


NRLM-MGNREGA-CFT Project

The Jharkhand Experience

15 June 2016



Introduction

The NRLM-MGNREGS-CFT project (henceforth referred to as the CFT project) is a three year pilot project of the Ministry of Rural Development, started in July 2014 to enhance rural livelihoods through MGNREGA in India's 250 backward blocks. This project aims to enhance the technical capacities to implement the programme at the block and gram panchayat levels and thereby increase the scale of MGNREGA works, reduce delays in wage payments to workers and improve the quality of assets constructed under the programme.

The objectives of the project are to be achieved by putting in place "Cluster Facilitation Teams" (CFTs) comprising of people with knowledge and experience on integrated natural resource management (INRM), civil engineering, social mobilisation and rural livelihoods at clusters of gram panchayats to support and facilitate the planning and implementation of MGNREGA. Every CFT has to comprise of a minimum of three persons. The CFTs are to be recruited and trained by a Civil Society Organisation (CSO) working in the block.

The CFTs are to work with the existing women collectives i.e. self-help groups, village organisations and federations of the block. These collectives have to help workers claim their MGNREGA entitlements by making them aware about the programme, helping them plan works for their village, demand work and voice their complaints in case their rights are violated.

In Jharkhand the CFT project is currently being implemented in 76 blocks across 21 districts with help of 29 CSOs. In the first year of the project a total of 186 CFTs were working in a total of 490 gram panchayats (although preferably three CFTs should work in every block, some CSOs had put in place only one or two of such teams in a block). From November 2015, the number of CFTs increased to 219 and the number of gram panchayats to 956. By the beginning of the third year of the project, the CFTs are expected to work in all the gram panchayats of the block.

This documents discusses the processes, achievements, challenges of the CFT project in Jharkhand and the state's future plan of action for this project.

Processes to be followed

This section discusses the various tasks to be done in the CFT project. These tasks are detailed in the memorandum of understanding signed between every CSO implementing the CFT project and the Rural Development Department and the "Standard Operating Procedure" of the project and are reiterated in the reviews of the project. Although most of these tasks are taking place in the project, there is a wide range in their quality and frequency across the state.

Recruitment and training of CFT members: The first step to be done by the CSO is to recruit suitable people for the CFTs. As mentioned earlier, each CFT should have a minimum of three members and preferably three such teams should work in a block. The members of the team should together have expertise on civil engineering, INRM, rural livelihoods and social mobilization. The selected persons are to be further trained by the CSO on MGNREGA, INRM, participatory planning etc.

Identification and training of SHG members and other local persons: The CSO and the CFTs have to also identify SHG members and other local persons keen to work on MGNREGA in the block, primarily to make workers aware of their entitlements, help them demand job card, bank account and work and seek redress to their grievances. The identified persons are also to be trained on MGNREGA, INRM, participatory planning etc by the CFTs and the CSOs. (Henceforth, the members of the Cluster Facilitation Teams and the

मनरेगा में मजदूरों के अधिकार



हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन की रोजगार गारन्टी
काम आगने के 15 दिनों के अन्दर काम का मिलना है
काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलना है
कार्यस्थल पर पीने के लिए पानी, छाया, टला, बोरे और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था होनी है
काम करने के 15 दिनों के अन्दर मजदूरी मिलनी है
देरी से शुरुआत होने पर मुआवजा मिलना है
महिला और पुरुष को बराबर मजदूरी (162 रुपये) मिलनी है।

एक घण्टा देने वाली विशेष बातें
एक बालू एवं बेंक बालू अपने पास होना
विश्राम पर साफ़ टील एवं जलिके वाले बरतन। सुविधियाँ बनाना
एक बालू, 100 जल और बेंक बालू से जलकें बनाना होना।
हिला लकड़ों एवं काम सम्पन्न उपकरण कार्य देकर एक घण्टा को मदद देना
एक घण्टा में महिला एवं पुरुष को अलग अलग करीबी होना।
एक घण्टा करने से पूर्व साफ़ टील में अपने काम की जलकें बनाना
एक घण्टा करने एवं बेंक बालू के साफ़ बनाने का काम करना



SHG members and other local persons identified for working with the project are collectively referred to as "CFT".)

District and block level orientation workshops: District and block-level workshops are to be organised at the beginning of the project to discuss the objectives of the project and the role of the various people expected to work on it. These workshops are to be attended by district and block officials, MGNREGA functionaries and members of CSOs, CFTs, women collective and gram panchayats.

Awareness generation: CFTs are to periodically carry out activities to make workers aware about their MGNREGA entitlements such as work on demand, worksite facilities, timely payment, right to grievance redress etc. Examples of such activities include discussions in tola sabhas, rallies, street plays, screening films, distribution of primers, wall writing etc.

Participatory planning of works: Participatory planning is to take place every year to select MGNREGA schemes for the coming year. The planning exercise should start with a hamlet-level meeting to discuss MGNREGA, INRM and the needs and available resources of the village. The meeting should be followed by social mapping to identify the facilities and different categories of households in the village. Resource mapping is to be done to identify the natural resources of the village, such as agricultural land, water bodies and forests. Transect walks are to be carried out through some patches of the village to identify suitable MGNREGA works for enhancing livelihoods of households owning land in those patches. Finally, tola sabhas and gram sabhas are to be convened to prioritize and approve the selected schemes.

Verification of workers' details in MIS: Incorrect data of workers in the official MGNREGA website (NREGASoft) is a common reason for delays in wage payments. To mitigate this problem, the CFTs should verify the NREGASoft data by examining the job card and passbook of workers. The required corrections in NREGASoft are to be made by the computer operator and the CFTs are to monitor this task.

Supervision of worksites by SHG mates: The CFT project aims to facilitate supervision of worksites by SHG members. SHG members with basic level literacy and an interest in supervising MGNREGA worksites are to be selected as mates by their gram sabhas. They have to be trained by the CFTs, Block Programme Officer and Junior Engineer and registered in NREGASoft.

Meetings for discussing implementation of sanctioned schemes: After the sanctioning of schemes, the CFTs are to conduct hamlet-level meetings to discuss starting work on the sanctioned schemes. Workers should be helped to identify the scheme they want to work on and all workers wanting to work on a particular scheme should demand work together, mentioning the scheme they want to work on. The CFTs are to also explain the process of demanding job card and work and applying for a bank account to workers keen to work in MGNREGA.

Facilitating rozgar diwas: The CFTs are to encourage workers to participate in weekly rozgar diwas to be organised at the panchayat bhavan to demand for a job card and/or work and lodge their complaints, if any. Applications for renewal of job cards, correcting mistakes in job cards/NREGASoft, adding names of household members in job cards are to also be made in the rozgar diwas. Workers should also be informed of the work allotted to them and the reasons for delays in their wage payments (if any) in these weekly events. The CFTs should monitor rozgar diwas to ensure they take place regularly and are attended by the Gram rozgar Sewak and Panchayat Secretary. At least one rozgar diwas per month should have the required facilities for workers to apply for a bank account.

Monitoring applications of workers: The CFTs have to also monitor workers' applications for job card, work, bank account etc and inquire about the reasons for delays if the demands are not met on time. They also need to monitor the entry of job cards, work demand and bank accounts in NREGASoft.

Facilitating and supervising implementation of schemes: The CFT members have to help the mate lay out the scheme and explain the technical estimate of the scheme to workers. Every day the mate is expected to mark the area to be dug by workers, measure the work done by them at the end of the day and accordingly fill the “mate measurement format” and the muster roll. The CFT members should periodically visit the worksite to help the mate with her work and ensure that work on the scheme is being done as per its technical estimate. Along with the mate, the CFTs should monitor whether the muster roll reaches the worksite on time and explain to workers that they should not work in case their name is not included in the muster roll.

Monitoring wage payments to workers: The CFTs are to also monitor wage payments by talking to workers and the mate and tracking the various steps of payment on NREGASoft. In case of delays, they are to inquire about the reasons of delays and convey them to the workers.

District and Block Coordination Committee meetings: A Block Coordination Committee is to be set up in every block where the CFT project is being implemented. This Committee is to comprise of block officials, MGNREGA functionaries, CSO representatives and CFT members. It is expected to meet weekly to discuss the progress of the project, in particular hurdles in achieving the objectives and plan the work to be done in the coming weeks. Similar committees are to be formed at the district-level as well.

State-level initiatives

Jharkhand's Rural Development Department has taken several important initiatives to support and monitor the CFT project. This section discusses these initiatives.

Preparation of a detailed MoU: The Department has signed a MoU with all the 29 CSOs implementing the CFT project in the state. These MoUs detail the role of the CSO, CFT members, SHGs, block and district administration and MGNREGA functionaries.

Exposure of block officials and functionaries: The Department organised exposure visits for the Block Development Officers, Block Programme Officers and one Junior Engineer of all the CFT blocks to Torpa or Ridih in August 2015 to understand the activities to be done in the CFT project and the role of various people in the project.



Self-help group mates supervising construction of a dobha in Hethbandha, Boarijore (Godda)

Training of CFT members: The Department conducted a two-day training of about 50 CFT members on MGNREGA and the CFT project in June 2015.

Initiating "Sahayata Kendras" in CFT blocks: The Department has decided to establish "MGNREGA Sahayata Kendra" in all the CFT blocks. (A MGNREGA Sahayata Kendra acts as a bridge between the local administration and MGNREGA workers. It helps workers secure their entitlements including prompt grievance redressal). It has circulated a format for a MoU between the district administration and the women collective federation/village organisation whose members will work at the Kendra. These Kendras are to be funded by the contingency fund of MGNREGA.

Preparation of a "standard operating procedure" for the CFT project: As it was realized that many CFTs are unclear about the various activities to be done in the project and the role of various people in these activities, the Department has prepared a "standard operating procedure" (SOP) on the CFT project and issued it as a government circular. All CFTs are expected to work as per this document.


Review of the CFT project: The Department has evolved a process of reviewing the CFT project. See the annexure for a note on the state's methodology of reviewing the CFT project.

Achievements

The CFT project has created a wide range of positive impacts. This section discusses some of the major impacts.

Increase in scale of works: A comparison of the average scale of work between all the gram panchayats in which the CFT project is being implemented and the remaining gram panchayats of the block reveal that in the past four years, the scale of work has been consistently higher in the former group of gram panchayats. However, the difference in the scale of works between these two groups of gram panchayats was highest in 2015-16 (see graph below).

The increase in availability of work has brought some relief in the lives of thousands of workers. Many have been able to avoid migrating to other places as they have been able to get some work in their own gram panchayat.



Malti Devi and Kameshwar Singh together worked for 106 days in MGNREGA in 2015-16



Forty year old Malti Devi and her husband Kameshwar Singh live in Bisaipur village of Hulsom gram panchayat in Chhattarpur block of Palamau with their three daughters. The family has only 0.75 acres of land, which does not produce enough to feed it all year round. Unavailability of work in their village used to force them to migrate. In 2015-16, Malti and her husband worked were able to get 106 days of MGNREGA work (although the central government had allowed households in drought-affected states to work for 150 days that year, Malti and her husband were unable to get work beyond 118 days). They earned a total of Rs 17,172 for the work done by them. This money was spent on housing, food, medicines and on their daughters' education and marriage.

Malti is also the secretary of her SHG. All the ten members of her group proposed the construction of Lukphichiya Ahar through MGNREGA for irrigation. The scheme was sanctioned and they all worked on it. However, due to delays in issuing of muster rolls and other reasons, they did not receive their wages on time. They complained several times but continued working. On an average, all the women of the SHG got work for about 80 days last year.

Source: Vikas Sahyog Kendra

Kalyani Manjhi is helping workers access their entitlements

Last year, Kalyani Manjhi, a self-help group member of Bhuni village of Mukurdih gram panchayat of Boram (East Singhbhum) learnt that the gram sabha of her village was going to select SHG members to work as mates. She came for the gram sabha meeting and expressed her desire to be chosen as a mate. After getting selected she received a three-day training and started working with the help of the CFT and the Gram Rozgar Sewak. Kalyani tries to ensure that the filled muster roll is submitted on time so that workers can be paid on time. She has helped several workers open a bank account. She is also teaching other women of self-help groups about their entitlements in MGNREGA and encouraging them to work in the programme.



Source: Tagore Society for Rural Development

Meena Devi finds work as a mate in her own village



From June 2015 to May 2016, Meena Devi and her husband Dvarik Rajak of Chakardaha village of Manjori gram panchayat in Benghabad (Giridih) have together earned Rs 34,056 by working as for 208 days in MGNREGA. They worked on their own land levelling scheme and also on a well, road and pond. In addition to this, Meena a member of the Jag Jyoti self-help group has also worked as a mate for six weeks and earned the semi-skilled wage rate of Rs 185 a day.

Source: Social Action for Rural Development

MGNREGA helps Roshani Gudiya afford better education for her children




Lack of work forced Roshani and Johan Gudiya to migrate with their children to Mumbai in 2012. However, in 2014 the family returned to their village Gopla in Husir gram panchayat of Torpa (Khunti) as the long hours of work was affecting Roshani's health. She joined a self-help group started with the help of PRADAN, a NGO working in the block. She received some training in agriculture from PRADAN but her family's land is not enough to feed it all year round, forcing Roshani and her husband to work as daily wage

labourers in nearby villages.

The same year Roshani also participated in meetings facilitated by the CFT in which workers learned about their MGNREGA entitlements. With the help of the CFT people of Gopala, including Roshani, selected MGNREGA schemes for implementation in their village and demanded work under the programme. Initially the workers' demand for work was turned down by the Gram Rozgar Sewika. But after much persistence, she was forced to acknowledge their demand with a receipt and workers were allotted work from May 2015.

In 2015-16 Roshani and Johan worked on a land levelling, bunding and farm pond scheme for a total of 92 days and earned Rs 14,904. They spent the money on their children's education, buying green vegetables and a mobile phone.

Source: PRADAN



Dobha (50' X 50' X 10') in Boarijore (Godda)



Poultry shed in Chandwa (Latehar)



Loose boulder check in Littipara (Pakur)



Pits for mango plantation in Raidih (Gumla)

Increase in number of households accessing MGNREGA work: The CFTs have helped thousands of households access a job card and hence become eligible to demand MGNREGA work.

Increase in number of bank accounts: The CFTs have helped thousands of workers open a bank account. They are also monitoring the freezing of the bank accounts in NREGASoft.

Supervision of MGNREGA worksites by SHG mates: Hundreds of SHG members have been selected by their gram sabha and trained by the CFTs and block functionaries to work as mates. Many of the women mates are doing exemplary work in laying out schemes, explaining the work to be done to workers, measuring the work done by workers and taking daily attendance on the muster roll. From many places there are reports of the SHG mates encouraging other members of their group to work in MGNREGA.

Improvements in quality of assets created: The laying out and supervision of schemes by mates with the help of the CFT members has enabled the creation of hundreds of good quality assets.

Reduction in delays in wage payments and cases of non-payment of wages: At many places the efforts of the CFTs in tracking wage payments to workers, verifying workers' account details in NREGASoft, ensuring that workers do not work without their names on the muster roll and encouraging workers with post office account to open bank account has helped in reducing cases of delays in wage payment and non-payment of wages.

Activating panchayati raj institutions and gram sabhas: The increase in scale of MGNREGA works, participatory planning exercises, training of gram panchayat members and rozgar diwas in panchayat bhavans have contributed in activating the panchayati raj institutions at many places. In many villages large numbers of people, especially women, have started attending gram sabhas to plan for schemes, select mates etc.



Dobha constructed in Angara block of Ranchi

Increase in awareness amongst workers: The various awareness generation activities and experience of working in MGNREGA has increased the awareness of a large number of workers on their entitlements under the employment guarantee act.

Challenging corruption and the power nexus in MGNREGA: At many places the work of the CFT project is bringing greater transparency and accountability in the implementation of MGNREGA. Plans are being sanctioned without paying a commission to local functionaries or officials, workers are getting their full wage from their bank account instead of cash in hand from the mate, middlemen working in the guise of mates are being replaced with SHG mates, monitoring of schemes is making siphoning off of their funds harder, and so on.

Skilling local people for improved implementation of MGNREGA: The CFT project has led to the creation of a large pool of local persons with various skills required for improved implementation of MGNREGA. These skills include planning of MGNREGA schemes based on available natural resources and people's needs, preparing technical estimates of schemes, mobilizing workers to demand for work, job card and bank account, laying out schemes, measuring work done by workers, using NREGASoft for monitoring of MGNREGA etc. Many of these resource persons are training people of other blocks on MGNREGA as well.

Ground for innovation: Some of the CFT blocks have proved to be inspirational ground for innovation. The exemplary participatory planning done in some villages of the CFT blocks helped the state conceptualize and implement Yojana Banao Abhiyan, Jharkhand's first state-wide rural planning campaign. The use of 'daily mate measurement format' initially used in some villages of the CFT blocks to record daily measurement of work done by workers is now expected to be maintained by mates across the state for aiding in timely completion of work and creation of good quality structures. In seven blocks of the state MGNREGA plantation is being piloted by the Rural Development Department with help of CFTs.

Providing feedback for policy decisions: The CFT members have proved to be a valuable source of information on the ground realities of MGNREGA. Their inputs have helped the Rural Development Department streamline the process of sanctioning MGNREGA schemes (and simplify the sanctioning process of small schemes), prepare comprehensive guidelines on the selection, training and deployment of mates and specify the role of gram panchayats in MGNREGA.

Challenges

There are a host of challenges impeding the CFT project in achieving its objectives. These challenges are of two types; those that affect MGNREGA in general and those that affect the CFT project in particular. This section discusses the important challenges of both these types.

General Challenges

Uncertainties in wage payments in case of delays in PFMS/postal department: While it is quite easy to track and identify officials/functionaries responsible for the various processes required for wage payment upto the stage of signing of the FTO by the second signatory, it is not as easy to understand the reasons for delays in wage payments henceforth i.e. in the Public Finance Management System (PFMS) in case of bank accounts and the postal system in case of post office accounts. As a result, it becomes very difficult to estimate the expected time taken for wages to get credited in workers' accounts in case the payment is delayed in PFMS or the postal system. This uncertainty causes immense hardship for workers who have little or no savings and severely discourages them from working further in MGNREGA.

Limitations of financial institutions: The inadequate infrastructure of post offices and banks cause further delays in wage payments. Delays in wage payments through post offices are substantial, as FTOs for post

office payments have to be processed at several stages before the amount is credited in the worker's account. Non-computerisation of the lowest level of post offices (branch post office) adds to the delays, as money and pay orders have to be transferred manually from the next higher level (sub-post office). Although delays are less in case of bank accounts, due to their limited number of branches in rural areas workers have to often travel long distances to access banks. Delays by banks in opening accounts of MGNREGA workers is also a significant bottleneck in transferring post office account to bank accounts.

Lack of internet: The internet plays a crucial role in the implementation of MGNREGA as most of the data related to the programme is to be maintained on NREGASoft and several activities e.g. generation of muster roll, wage list and FTO and signing of the FTO are to be done through this website. Although these activities are to be done preferably at the gram panchayat level, large parts of the state have poor internet connectivity even at the block headquarters. The lack of regular access to internet causes routine delays in the implementation of the programme.

Lack of adequate MGNREGA functionaries: The significant shortage of Block Programme Officers, Assistant Engineers, Junour Engineers, computer operators and Gram Rozgar Sewaks also cause substantial delays in the implementation of the programme.

Challenges particular to the CFT project

Lack of coordination between the administration and CFTs: A close coordination is required between the CFTs and the local administration for a host of activities of the project, such as weekly rozgar diwas, organizing bank account opening camps, allotting work to workers, training mates etc. In many blocks this coordination is missing; either due to the unwillingness of the local administration to work in a more transparent and accountable manner or/and due to the lack of competence of the CFTs.

Lack of quality CFTs: The CFTs of many blocks do not have adequate members with the required skills. Many CFT members are also unclear about the role of the various people responsible for the outcomes of the project, including themselves. The onus of the shortage of CFT members and their lack of understanding of MGNREGA and the CFT project lies primarily with the CSO that have to recruit the required number of CFT members and train them for working on the project.

Cooption of CFTs by the administration: Although the role of the CFTs is clearly distinguished from that of the local administration, some CFTs are working as the extended staff of the block administration. As a result, these CFTs are performing the responsibilities of local functionaries e.g. data entry in NREGASoft, collecting demand for job card and work from workers, submission of muster rolls in the block etc at the cost of the work that they are expected to do. Also, as a result of this cooption, these CFTs do not hold the local functionaries and officials accountable when they fail to perform their duties as per the employment guarantee act.

Lack of support and monitoring by the district administration: District Coordination Committees are to be constituted in every district in which the CFT project is being implemented. These Committees are expected to meet monthly to discuss issues which either remain unresolved by the block administration. However, in most districts these Committees do not meet regularly. Even when these meetings do take place, the district administration usually does not review the project with the required thoroughness.

Future Plan of Action

Expansion of the CFT project in 27 additional blocks: The CFT project will soon extend to an additional 28 backward blocks of Jharkhand.

Training of CFT members: The Department is preparing for a series of training for the existing CFTs and the ones that will be established for the expansion of the project.

Piloting initiatives for enhancing farm-based livelihoods: Block plantation is being piloted across eight CFT blocks on a total of 480 acres. Integrated agriculture model using water stored in dobhas also to be piloted in CFT blocks.

Supporting and reviewing the project through field visits: The Department is planning to supplement its monthly review of project with regular visits to the blocks to further support and review the CFT project.

Expansion of the CFT Cell: The CFT Cell currently comprises of a PMRDF supported by a NIRD consultant. The Department is in the process of hiring another person to work in this Cell.



SHG mates of Raidih block of Gumla

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।
(राज्य मनरेगा कोषांग)

पत्रांक -13-213/अभिषरण/2015/ग्रा0वि0-(11)2505(23) राँची, दिनांक 16.11.15

प्रेषक,

मनरेगा आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

सभी उप विकास आयुक्त,
झारखण्ड।

विषय :- MGNREGA- NRLM-CFT अभिषरण अन्तर्गत SOP (Standard Operating Procedure) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक MGNREGA- NRLM-CFT अभिषरण अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के बेहरत क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर तैयार SOP (Standard Operating Procedure) की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि मनरेगा योजनाओं का क्रियान्वयन SOP के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक -13-213/अभिषरण/2015/ग्रा0वि0-(11)2505(23) राँची, दिनांक 16.11.15
प्रतिलिपि - अनुलग्नक की छाया-प्रति के साथ सचिव, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग/
विशेष सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका
मिशन/सभी संबंधित CSOs, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि मनरेगा योजनाओं का क्रियान्वयन SOP के अनुसार कराना सुनिश्चित
किया जाय।

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक -13-213/अभिषरण/2015/ग्रा0वि0-(11)2505 राँची, दिनांक 16.11.15
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को
सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।

NRLM- MGNREGA-CFT अभिसरण कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ व हितधारकों की भूमिकाएं

प्रस्तावना

NRLM-MGNREGA-CFT ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक तीन वर्षीय पायलट कार्यक्रम है जो जुलाई 2014 से भारत के 250 पिछड़े प्रखंडों (झारखण्ड के 76 प्रखंडों) में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मजदूरों को उनके मनरेगा अधिकार पाने व साथ ही मनरेगा का बेहतर रूप से क्रियान्वयन करने में प्रशासन को सहायता करना है। इस कार्यक्रम में रोजगार के सृजन, उपयोगी संपत्तियों के निर्माण व स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की अत्यधिक संभावनाएं हैं।

इस कार्यक्रम का एक एहम पहलू है मनरेगा के क्रियान्वयन से महिला संगठनों (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन व फेडरेशन) को जोड़ना। महिला संगठन मुख्य रूप से ग्रामीणों को मनरेगा पर जागरूक कर रही हैं, सहभागितापूर्ण नियोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं व मजदूरों को संगठित कर अपने अधिकारों की मांग करने में सहायता कर रही हैं।

मनरेगा के क्रियान्वयन को सुधारने के लिए इस कार्यक्रम में "Cluster Facilitation Teams" (CFTs) का गठन हुआ है। हर CFT में तीन सदस्य होने हैं, जिन्हें समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सिविल इंजीनियरिंग, कृषि व मनरेगा मजदूरों के साथ काम करने का कौशल जैसे विषयों पर समझ व अनुभव होना चाहिए।

चूंकि इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए कई हितधारकों, जैसे महिला संगठन के सदस्यों, CFT के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों व मनरेगा कर्मियों, को मिलकर काम करना है, यह अतिआवश्यक है कि ये सब स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम में अपनी व औरों की भूमिका को समझें। साथ ही, वे मनरेगा के क्रियान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं को भी बारीकी से समझें।

इन दिशा-निर्देशों में मनरेगा के क्रियान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं व उनमें NRLM-MGNREGA-CFT कार्यक्रम के सब हितधारकों की भूमिकाओं का स्पष्ट उल्लेख है। अगर कहीं सक्रिय महिला संगठन नहीं है, तो वहां मजदूर संगठनों/मनरेगा सहायता केंद्र का सहयोग लिया जा सकता है।

1. CFT कार्यक्रम पर प्रखंड स्तरीय वार्षिक कार्यशाला

गतिविधि का विवरण	जिम्मेवारी
CFT कार्यक्रम के सभी सहभागियों (प्रखंड प्रशासन, पंचायत समिति प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, CFT के सदस्य, CSO(Civil Society Organisation) के सदस्य, महिला संगठन (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व अन्य ग्रामीण) की प्रखंड स्तरीय वार्षिक कार्यशाला का आयोजन CFT कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रथम महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यशाला सितम्बर या अक्टूबर के महीने में आयोजित होनी चाहिए। इस कार्यशाला में पूर्व/वर्तमान वर्ष में हुए CFT कार्यक्रम के अनुभवों, उपलब्धियों व बाधाओं पर चर्चा करनी है व आने वाले वर्षों में कार्यक्रम के विस्तार व सफल कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनानी है।	प्रखंड प्रशासन कार्यशाला का आयोजन करेगा व कार्यशाला में भाग लेने के लिए सहभागियों को सूचना देगा। इन गतिविधियों में CFT व CSO प्रशासन की सहायता करेंगे।

2. मनरेगा पर ग्रामीणों को जागरूक करना

गतिविधि का विवरण	जिम्मेवारी
मनरेगा कानून की जानकारी (विशेषकर मजदूरों के अधिकार) पर पुस्तिकाएं, पर्चे, पोस्टर आदि छपवाना	प्रखंड प्रशासन व CSO
ग्रामीणों को पुस्तिकाओं, पर्चों, पोस्टर, फ़िल्म, नारों, गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियों, टोला सभाओं के माध्यमों से मनरेगा (विशेषकर मजदूरों के अधिकार) के बारे में जागरूक करना	महिला संगठन के सदस्य जागरूकता का काम करेंगी व CFT उनकी सहायता करेगी
मनरेगा में मजदूरों के अधिकारों पर दिवाल लेखन	प्रखंड प्रशासन
मनरेगा में मजदूरों के अधिकारों पर दिवाल लेखन पर निगरानी	CFT व महिला मंडल/ग्राम संगठन

3. योजनाओं का सहभागितापूर्ण नियोजन

गतिविधि का विवरण	जिम्मेवारी
प्लानिंग से पूर्व टोला, गाँव व ग्राम पंचायत स्तरों पर मनरेगा व प्लानिंग पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. CFT, प्लानिंग दल के सदस्य, व पंचायत प्रतिनिधि सहायता करेंगे.
टोला सभा में मनरेगा व उसके अंतर्गत योजनाओं की प्लानिंग पर चर्चा	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधि/पारंपरिक प्रधान को टोला सभा का आयोजन करने में सहायता करेंगे व ग्रामीणों को मनरेगा व उसमें योजनाओं की प्लानिंग पर चर्चा करने में मदद करेंगे. CFT व प्लानिंग दल के सदस्य महिला संगठन के सदस्यों की सहायता करेंगे. इस बैठक में रोजगार सेवक व पंचायत सेवक भी उपस्थित रहेंगे.
प्लानिंग हेतु सहभागितापूर्ण सामाजिक मानचित्र, मौसमी मानचित्र व संसाधन मानचित्र बनाना	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य ग्रामीणों को इन मानचित्रों को बनाने में मदद करेंगे. CFT व प्लानिंग दल के सदस्य महिला संगठन के सदस्यों की सहायता करेंगे. इन गतिविधियों में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व रोजगार सेवक भी भाग लेंगे.
टोला के चिन्हित पैचों का पैदल भ्रमण	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य ग्रामीणों के साथ चिन्हित पैचों का दौरा करके उन्हें इन पैचों की समस्याओं को समझने में मदद करेंगे व ग्रामीणों की उनकी ज़रूरतों व पैचों की समस्याओं के अनुसार योजनाओं का चयन करने में मदद करेंगे. CFT व प्लानिंग दल के सदस्य महिला संगठन के सदस्यों की सहायता करेंगे. इस गतिविधि में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सेवक व कनीय अभियंता भी भाग लेंगे.
श्रम बजट बनाना	प्लानिंग दल चिन्हित योजनाओं के बजट का एक मोटा(स्थूल) अनुमान बनाएगा. CFT द्वारा प्लानिंग दल की सहायता की जाएगी.
अति-गरीब परिवारों का सर्वेक्षण	प्लानिंग दल अति-गरीब परिवारों का सर्वेक्षण करेगा. CFT द्वारा प्लानिंग दल की सहायता की जाएगी.
चिन्हित योजनाओं का दस्तावेजीकरण	प्लानिंग दल चिन्हित योजनाओं का दस्तावेजीकरण करेगा. CFT द्वारा प्लानिंग दल की सहायता की जाएगी.

चिन्हित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण व अनुमोदन	टोला सभा चिन्हित योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण व अनुमोदन करेगी। महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) टोला सभा की सहायता करेगी। इस गतिविधि में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक भी भाग लेंगे।
ग्राम सभा द्वारा सभी योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण व अनुमोदन	ग्राम सभा चिन्हित योजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण व अनुमोदन करेगी। महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) ग्राम सभा की सहायता करेगी। इस गतिविधि में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सेवक व पंचायत सेवक भी भाग लेंगे।
ग्राम पंचायत द्वारा सभी ग्राम सभाओं द्वारा पारित योजनाओं पर चर्चा व समेकन	ग्राम पंचायत मुखिया इस चर्चा का आयोजन करेंगे। पंचायत सेवक इस चर्चा का आयोजन करने में सहयोग करेंगे।
पंचायत समिति द्वारा सभी ग्राम पंचायतों द्वारा समेकित योजनाओं पर चर्चा व समेकन	पंचायत समिति प्रमुख इस चर्चा का आयोजन करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस चर्चा का आयोजन करने में सहयोग करेंगे।
ज़िला परिषद द्वारा सभी पंचायत समितियों द्वारा समेकित योजनाओं पर चर्चा व समेकन	ज़िला परिषद अध्यक्ष इस चर्चा का आयोजन करेंगे। उप-विकास आयुक्त इस चर्चा का आयोजन करने में सहयोग करेंगे।
समय पर योजनाओं और श्रम बजट की MIS में प्रविष्टि	Computer Operator व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

4. योजनाओं की स्वीकृति

गतिविधियाँ	ज़िम्मेवारी
योजनाओं का तकनीकी प्राक्कलन बनाना	ग्राम पंचायत/प्रखंड के कनीय अभियंता ये प्राक्कलन बनाएंगे, जिसके लिए वे CFT का सहयोग ले सकते हैं। CFT कनीय अभियंता को ग्रामीणों की आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन बनाने में सहयोग करेंगे।
योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देना	ग्राम पंचायत/प्रखंड के कनीय अभियंता या सहायक अभियंता या कार्यपालक अभियंता (योजना की प्राक्कलित राशि के अनुसार)
योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए तैयारी, जैसे अभिलेख बनाना, स्थल का फोटो लेना आदि। इन तैयारियों में होने वाले सभी खर्च का मनरेगा के प्रशासनिक मद से वहन होगा।	ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन
प्रत्येक गाँव की योजनाओं को एक "वर्क ऑर्डर" द्वारा Cप्रशासनिक स्वीकृति देना। यह स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा योजनाओं के पारित होने के 30 दिनों के अन्दर दी जाएगी।	ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA)
योजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें MIS में "proposed not yet approved" श्रेणी से हटाकर "approved not in progress" श्रेणी में जोड़ना	Computer Operator व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी
ग्राम पंचायत व CFT को योजनाओं की स्वीकृति के बारे में सूचना देना	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत सेवक व रोजगार सेवक
प्रखंड कार्यालय से योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में पता लगाना	महिला मंडल सदस्य, ग्राम संगठनों के सदस्य व ग्राम पंचायत प्रतिनिधि

5. MIS में freeze किए गए मजदूरों के विवरण का सत्यापन

[मजदूरी भुगतान होने के लिए यह आवश्यक है कि MIS में freeze किया हुआ मजदूरों का विवरण (नाम, जॉब कार्ड संख्या व खाता संख्या) सही हो.]

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
प्लानिंग समाप्त होने के बाद गाँव-वार MIS से मजदूरों की जानकारी (नाम, जॉब कार्ड संख्या व खाता संख्या) का प्रिंट निकालना	CFT
इस जानकारी का सत्यापन करने के लिए गाँव में मजदूरों का जॉब कार्ड व पासबुक देखकर यह जांचना कि MIS में दी गई जानकारियाँ सही हैं या गलत. अगर गलत, तो सही जानकारी को नोट करना.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य गाँव में मजदूरों की जानकारी का सत्यापन करेंगे. CFT उनको MIS से निकली जानकारी देंगे व सत्यापन करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे.
MIS में मजदूरों के विवरण में गलतियों को सुधारने के लिए प्रखंड प्रशासन को सही जानकारी देना.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) प्रखंड प्रशासन को यह जानकारी देगी. CFT महिला संगठन को सहयोग करेगी.
महिला संगठनों के सदस्यों द्वारा मिली सही जानकारी के अनुसार MIS में मजदूरों के विवरण को ठीक करना	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व Computer Operator
निगरानी करना कि MIS में मजदूरों का विवरण ठीक हुआ है या नहीं	CFT

6. मेट का चयन, MIS में पंजीयन व प्रशिक्षण

गतिविधियाँ	ज़िम्मेवारी
ग्राम सभा द्वारा गाँव के हर टोले से 2-3 मेटों का चयन. मेट महिला मंडल की सदस्य व कम से कम आठवीं कक्षा पास की हुई महिला होनी है.	मेटों का चयन ग्राम सभा द्वारा होगा. महिला मंडल व ग्राम संगठन मेटों के चयन के लिए योग्य महिलाओं के नाम सुझा सकती हैं. CFT इन प्रक्रियाओं में सहयोग करेगी.
चयनित मेटों का MIS में पंजीकरण के लिए उनकी जानकारी (जैसे पूरा नाम, खाता संख्या आदि) प्रखंड प्रशासन को देना	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य चयनित मेटों से यह जानकारी लेकर प्रखंड प्रशासन को दे. CFT इस कार्य में महिला संगठन के सदस्यों की सहायता करेगी.
समय पर मेटों का MIS में अर्ध-कुशल श्रमिक की श्रेणी में पंजीकरण	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व Computer Operator
मेटों के MIS में पंजीकरण पर निगरानी रखना	CFT
चयनित मेटों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण देना: <ul style="list-style-type: none"> - मनरेगा में मजदूरों के अधिकार - मनरेगा कार्यक्रम की विभिन्न प्रक्रियाएं - मनरेगा में मेटों की भूमिका, जैसे कार्य का ले-आउट व मापी करना, मस्टर रोल में हाज़िरी बनाना आदि 	प्रखंड प्रशासन CFT से तकनीकी सहयोग लेते हुए चयनित मेटों को प्रशिक्षण देगा.

7. स्वीकृत याजनाओं पर काम शुरू करने के लिए टोला सभा

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
<p>स्वीकृत योजना पर काम शुरू करने के लिए टोला सभा का आयोजन करना, जिसमें निम्नलिखित कार्य करने हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत योजनाओं पर चर्चा काम करने के इच्छुक ग्रामीणों की संख्या के अनुसार स्वीकृत योजनाओं की सूची में से कुछ योजनाओं का शुरू करने के लिए चयन ग्रामीणों को चर्चा, पर्चों, पुस्तिकाओं, नाटकों, नारों, गीतों आदि के माध्यम से उनके मनरेगा अधिकारों के बारे में बताना काम करने के इच्छुक जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है उन्हें रोज़गार दिवस में पंचायत भवन जाकर जॉब कार्ड की मांग करने के बारे में बताना व प्रोत्साहित करना. काम करने के इच्छुक जिन मजदूरों का डाकघर में खाता है उन्हें बैंक में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, चूंकि डाकघर से मजदूरी भुगतान में विलम्ब होने की अधिक संभावना होती है. ग्रामीणों को काम मांगने की प्रक्रिया के बारे में बताना योजनावार काम का आवेदन करना. जैसे, अगर 30X30X10 के पोखर की स्वीकृति हो गई है, तो उसमें काम करने के इच्छुक 10 मजदूर एक साथ मिलकर आवेदन करें. आवेदन फॉर्म में ही योजना का नाम, मेट व पानी पिलाने वाले व्यक्ति का नाम लिख दें. अगर योजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है, तो ग्रामीणों को काम का आवेदन फॉर्म भरने में मदद करना (योजनावार आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है). काम का आवेदन करने वाले ग्रामीणों को रोज़गार दिवस के दिन पंचायत भवन जाकर आवेदन रोज़गार सेवक/पंचायत सेवक/मुखिया को जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना 	<p>CFT की सहायता से महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य टोला सभा का आयोजन करें. कोशिश करें कि इस बैठक में रोज़गार सेवक एवं वार्ड सदस्य भी भाग लें</p>

8. साप्ताहिक रोज़गार दिवस

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
साप्ताहिक रोज़गार दिवस के आयोजन के लिए प्रखंड प्रशासन, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों व महिला मंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करना	CFT
पंचायत भवन में साप्ताहिक रोज़गार दिवस का आयोजन करना	ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन
<p>हर रोज़गार दिवस के दिन पंचायत भवन में उपस्थित रहकर मनरेगा सम्बंधित कार्य करना, जैसे:</p> <ol style="list-style-type: none"> जॉब कार्ड के लिए आवेदन; नए बने जॉब कार्ड का वितरण; काम के लिए आवेदन; आवंटित काम के बारे में मजदूरों को बताना; जॉब कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन करना; जॉब कार्ड में परिवार के वयस्क सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना; जॉब कार्ड में गलत जानकारी का सुधार करना; MIS में गलत जानकारी का सुधार करना; 	<p>महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT मजदूरों को आवेदन/शिकायत लिखने में सहायता करेंगे. ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक व रोज़गार सेवक आवेदन/शिकायत को स्वीकार करके मजदूरों को हस्ताक्षर एवं तिथि युक्त रसीद देंगे, नए जॉब कार्ड का वितरण करेंगे, आवंटित काम के बारे में सूचना देंगे और मजदूरी भुगतान के बारे में जानकारी देंगे. वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन/शिकायत करने के लिए प्रपत्र या सादा कागज़ व स्टैम्प पैड, पेन, कार्बन कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध हो.</p>

<p>(ix) मजदूरों को उनके खाते में मजदूरी राशि आ जाने के बारे में सूचित करना;</p> <p>(x) जब कार्ड बनने, काम मिलने, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर विलम्ब का कारण पता लगाना एवं बताना, तथा ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों को उनका हक दिलाना.</p>	
<p>स्थानीय बैंक के मैनेजर के साथ चर्चा करके महीने में कम से कम एक रोजगार दिवस में पंचायत भवन में बैंक खाता खोलने के लिए फॉर्म उपलब्ध करवाना, मजदूरों को फॉर्म भरने में मदद करना, भरे हुए फॉर्म के बाबत मजदूरों को लिखित रसीद दिलाना व जिन मजदूरों का खाता खुल गया है उन्हें उनका खाता संख्या व पासबुक मुहैया करना.</p>	<p>प्रखंड प्रशासन स्थानीय बैंक के मैनेजर के साथ रोजगार दिवस के दिन बैंक सम्बंधित सुविधाएं उपलब्ध करने के विषय में चर्चा करेगा व बैंक के कर्मियों से पंचायत भवन में मजदूरों को बैंक सम्बंधित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा. महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT मजदूरों को फॉर्म भरने में सहायता करेंगे.</p>
<p>रोजगार दिवस के तय दिन व समय का गाँव में व्यापक प्रचार करना, जिससे अधिक से अधिक मजदूर इसमें शामिल हो सके.</p>	<p>महिला मंडलों व ग्राम संगठनों की बैठकों के माध्यम से</p>
<p>निगरानी करना कि हर सप्ताह के तय दिन व समय पर रोजगार दिवस का आयोजन हो जिसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व बैंक कर्मियों उपस्थित होकर मजदूरों के आवेदन/शिकायतें स्वीकार करें व उन्हें रसीद दें.</p>	<p>महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT</p>

9. योजना पर काम होने की प्रक्रिया

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
<p>योजना का क्रियान्वयन शुरू होने से पहले महिला मंडल की बैठक में यह चर्चा हो कि मंडल की जो सदस्या मेट के रूप में चयनित हुई है, उसकी मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा कैसे सहायता व निगरानी की जाएगी.</p>	<p>महिला मंडल के सदस्य, CFT के सहयोग से</p>
<p>योजना पर काम शुरू होने के पहले दिन मजदूरों को उस योजना का तकनीकी प्राक्कलन समझाना. विशेष रूप से यह स्पष्ट करना कि एक दिन में कितनी मिट्टी काटनी है. साथ में योजना का तकनीकी रूप से ले-आउट करना.</p>	<p>CFT टीम मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राक्कलन/पक्ष समझाएगी व मेट को योजना का लेआउट करने में मदद करेगी. महिला मंडल के सदस्य लेआउट करने में मेट की सहायता करेंगे.</p>
<p>हर कार्य-सप्ताह के पहले दिन की सुबह तक कार्य स्थल पर उस कार्य-सप्ताह का इ-मस्टर रौल पहुंचाना</p>	<p>ग्राम रोजगार सेवक</p>
<p>योजना पर काम होने के प्रत्येक दिन मजदूर गुट (कार्यस्थल पर अक्सर मजदूर आपस में गुट बनाकर काम करते हैं) के सदस्यों की संख्या के अनुसार गुट के दैनिक कार्य का ले-आउट करना व दिन के अंत में मस्टर रौल एवं मेट मापी प्रपत्र (संलग्न) भरना (गुणवत्ता पूर्ण व ससमय योजना क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना अति-आवश्यक है कि मस्टर रौल पर बनी कुल हाजरी व कुल किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो. मेट मापी प्रपत्र प्रतिदिन भरा जाना मिट्टी के कार्यों में यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हाजरी व कुल किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो)</p>	<p>ये कार्य मेट द्वारा किए जाएंगे. महिला संगठन महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT यह निगरानी करेंगे कि मेट यह कार्य कर रही हैं या नहीं.</p>
<p>कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना जैसे छाया, प्राथमिक उपचार</p>	<p>ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन</p>

के लिए दवा, पानी पिलाने के लिए बाल्टी व योजना की जानकारी का बोर्ड (इन सामग्रियों पर खर्च योजना के लिए स्वीकृत राशि से होगा).	
कार्य-सप्ताह के आखिरी दिन मजदूरों द्वारा किए गए काम का विवरण उनके जॉब कार्ड में भरना व मजदूरों से कार्य स्थल पर भरे हुए मस्टर रोल का सत्यापन करवाना. मस्टर रोल पर मेट द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा.	ये कार्य मेट द्वारा किए जाएंगे. महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT यह निगरानी करेंगे कि मेट यह कार्य कर रही हैं या नहीं.
भरे हुए व मजदूरों द्वारा सत्यापित मस्टर रोल और मेट मापी पुस्तिका कार्य-सप्ताह के सातवें दिन तक रोजगार सेवक को दे देना	यह कार्य मेट द्वारा किया जाएगा. महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT यह निगरानी करेंगे कि मेट यह कार्य कर रही हैं या नहीं.
मस्टर रोल का समय पर MIS में प्रविष्टि	Computer Operator व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

10. मजदूरी भुगतान से संबंधित

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
सुनिश्चित करना कि भरे हुए मस्टर रोल पर समय से पंचायत सेवक व रोजगार सेवक का हस्ताक्षर हो.	मुखिया व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी
कार्य सप्ताह की आखिरी तिथि के दो दिनों के अन्दर भरे हुए मस्टर रोल की MIS में प्रविष्टि करना.	रोजगार सेवक व Computer Operator
कार्य सप्ताह की आखिरी तिथि के पांच दिनों के अन्दर Electronic Measurement Book (eMB) में कार्य की मापी करना (मेट द्वारा मापी प्रपत्र में लिखी जानकारी भी सन्दर्भ के रूप में प्रयोग की जा सकती है) व मापी की MIS में प्रविष्टि करना.	बेयरफुट इंजिनियर या कनीय अभियंता काम की मापी करेंगे व Computer Operator मापी की MIS में प्रविष्टि करेंगे
कार्य सप्ताह की आखिरी तिथि के छः दिनों के अन्दर वेतन सूची बनाना.	Computer Operator
कार्य सप्ताह की आखिरी तिथि के सात दिनों के अन्दर FTO बनाकर पहले हस्ताक्षरकर्ता द्वारा FTO पर डिजिटल हस्ताक्षर व कार्य सप्ताह की आखिरी तिथि के आठ दिनों के अन्दर FTO पर दूसरे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर हो.	FTO बनाना: Computer Operator FTO पर हस्ताक्षर: पहला व दूसरा हस्ताक्षरकर्ता
MIS की मदद से निगरानी रखना कि ऊपर लिखी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो.	CFT

11. समन्वय स्थापित करने के लिए समितियों का गठन व समितियों की नियमित बैठकें

गतिविधि	ज़िम्मेवार
ज़िला में CFT कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए ज़िला समन्वय समिति का गठन करना, जिसमें इस कार्यक्रम के relevant stakeholders शामिल होंगे.	ज़िला प्रशासन
ज़िला समन्वय समिति की मासिक बैठक जिसमें CFT कार्यक्रम व मनरेगा के सुचारु क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर चर्चा व समाधान करना है.	समिति के सदस्य
प्रखंड में CFT कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए प्रखंड समन्वय समिति का गठन करना, जिसमें इस	प्रखंड प्रशासन


कार्यक्रम के अभिषरण वाले विभागों के प्रतिनिधियों सहित relevant stakeholders शामिल होंगे. इन बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी.	
प्रखंड समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक जिसमें CFT कार्यक्रम व मनरेगा के सुचारु क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर चर्चा व समाधान करना है.	समिति के सदस्य
ग्राम पंचायत सदस्य, मनरेगा कर्मी, CFT, ग्राम संगठन सदस्यों व महिला मंडल सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए साप्ताहिक ग्राम पंचायत स्तरीय बैठकों का आयोजन करना. इन बैठकों में ग्राम पंचायत में मनरेगा के क्रियान्वयन व इससे सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा होगी.	ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन


12. मजदूरों के आवेदनों व शिकायतों पर कार्रवाई व निगरानी

गतिविधि	ज़िम्मेवारी
जिन परिवारों ने जॉब कार्ड की मांग की है उन्हें 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड मुहैया कराना व जॉब कार्ड की MIS में प्रविष्टि करना.	ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन
निगरानी करना कि जिन मजदूरों ने जॉब कार्ड की मांग की है उन्हें 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड मिला है या नहीं और जॉब कार्ड की MIS में प्रविष्टि हुई है या नहीं	CFT व महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य
जिन मजदूरों ने बैंक खाते की मांग की है उनका खाता खोलकर उन्हें खाता संख्या व पासबुक मुहैया करना.	बैंक के कर्मी
नए खुले खातों की जानकारी प्रखंड प्रशासन को देना, जिससे इन खातों की MIS में प्रविष्टि हो.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT
निगरानी करना कि जिन मजदूरों ने बैंक खातों की मांग की है, उनका समय पर खाता खुला है या नहीं और खाते की MIS में प्रविष्टि हुई है या नहीं.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT.
निगरानी करना कि जॉब कार्ड व बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते पासबुक मजदूरों के पास है या नहीं	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT
मजदूर की काम की मांग के 15 दिनों के अन्दर: (i) MIS में मांग की प्रविष्टि करना; (ii) मजदूरों को काम आवंटित करना; (iii) मजदूरों को आवंटित किये गए काम (योजना का नाम व काम की तारीख) के बारे में सूचना देना; (iv) मजदूरों का आवंटित योजना में मस्टर रोल निकालना.	ग्राम पंचायत व प्रखंड प्रशासन
निगरानी करना कि जिन मजदूरों ने काम की मांग की है, उन्हें 15 दिनों के अन्दर काम मिला है या नहीं.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT
कार्य सप्ताह के पहले दिन सुनिश्चित करना कि मस्टर रोल में उन्हीं मजदूरों का नाम है जिन्होंने उस योजना में काम करने के लिए आवेदन दिया था.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) व CFT
निगरानी करना कि कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए सुविधाएं जैसे, छाया, प्राथमिक उपचार के लिए दवा, पानी पिलाने के लिए बाल्टी व योजना की जानकारी वाला बोर्ड्स 0 उपलब्ध हो.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT

निगरानी करना कि कार्य स्थल पर कार्य-सप्ताह के पहले दिन रोजगार सेवक द्वारा मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया या नहीं; मस्टर रोल व मेट मापी पुस्तिका हर दिन के अंत में मजदूरों के उपस्थिति में मेट द्वारा भरा गया कि नहीं; कार्य-सप्ताह के आखिरी दिन मजदूरों द्वारा किए गए काम का विवरण उनके जॉब कार्ड में भरा गया कि नहीं व मजदूरों से कार्य स्थल पर भरे हुए मस्टर रोल का सत्यापन करवाया गया कि नहीं.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन) के सदस्य व CFT
उपरोक्त मुद्दों पर निगरानी रिपोर्ट को नियमित रूप से प्रखंड प्रशासन व ग्राम पंचायत को जमा करना.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT
महिला मंडल व CFT द्वारा की गए निगरानी के रिपोर्ट को स्वीकार करना व रिपोर्ट पर मनरेगा कानून अनुसार कार्रवाई करना.	प्रखंड प्रशासन
मजदूरों द्वारा की गई शिकायतों पर सात दिनों के अन्दर कार्रवाई करना.	प्रखंड विकास पदाधिकारी
निगरानी करना कि मजदूरों की शिकायतों पर सात दिनों के अन्दर कार्रवाई हुई है या नहीं.	महिला संगठन (स्वयं-सहायता समूह, ग्राम संगठन, फेडरेशन) के सदस्य व CFT

CFT MONITORING STRATEGY JHARKHAND





MONITORING FORMATS

Submitted to CSOs in April 2016

BANK ACCOUNTS

Gram Panchayat	Name of worker whose bank account has been opened	Bank account number	Has the bank account number been frozen in the MIS (yes/no)	Job Card Number
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>CSO → Collect bank account details</p> <p>Block → Unfreeze PO accounts</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Open new bank accounts</p> <p>Freeze Bank accounts</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Submit the list to block</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>Check</p> </div> <div style="width: 30%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Bank accounts checked for repetition in reporting </div> </div>				

SHG MATES

Gram Panchayat	Name of SHG mate	Has she been trained (yes/no)	Has she been registered in the MIS (yes/no)	Work code of scheme in which she has worked as a mate	Has she been paid for working in this scheme as a mate? (Fully/partially/none)
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <p>CSO → Selection of SHG mates</p> <p>Block → Facilitating training</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Training of SHG mates</p> <p>Registration or enrollment of worker in MIS</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Householding support to SHG mates</p> <p>Deployments for work</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>Check</p> </div> <div style="width: 30%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Status of registration of mate cross checked on MIS • Payment status verified by checking work details from MIS </div> </div>					

STRUCTURES COMPLETED

Gram Panchayat	Name (as per MIS) of physically completed structure	Work code of the structure	Status of structure as per MIS (completed/ongoing)

CSO Mobilisation of workers Quality structures

Block Timely MB booking Payment Marking 'complete' on MIS

Check

- Random checks on work coxist to see MIS status
- If structure is being reported physically complete, but little payment has been made as per MIS, it is flagged
- Photographs are checked for quality of structure

INFORMATION ON JOB CARDS

Name of Gram Panchayat	Job Card number issued	Date of issue of the Job Card

CSO Mobilisation of workers Apply for job cards

Block Furnish job card MIS entry for the job card

DETAILS OF CFT MEMBERS

Sl No.	Name of the CFT Member (as per member)	Educational Qualification of the CFT member	Designation of the Member in the CFT	Expertise of the CFT Member (Eg. Social Mobilisation, Integrated Rural Resource Management, Child Engineer etc.)	Gender	Phone Number of the CFT Member	Email ID of the CFT Member	Block/Village/City where the person is currently residing


BLOCK WISE SUMMARY SHEET FOR REVIEW												
Gram Panchayat	CFT Year	No. of job cards made and entered in the MIS	No. of bank accounts opened	No. of opened bank accounts frozen in the MIS	No. of structures physically completed	No. of physically completed schemes categorized as "complete" in the MIS	No. of SHG mates trained	No. of SHG mates registered in the MIS	No. of SHG mates that have worked in at least one scheme	No. of mates that have worked and have been paid fully	No. of mates that have worked but have not been paid partially	No. of mates that have worked but have not been paid at all
GP 1												
GP 2												
Total (Cumulative)												
Total (Till last review)												

DATA FROM MIS	
<ul style="list-style-type: none"> Total Workers Total Active Workers Percentage of active workers Aadhaar - percentage Aadhaar Verified Workers having bank account % of bank account Unskilled Labour engaged Total works started No. Of Ongoing Works Average works per village 	<ul style="list-style-type: none"> PDs generated Average PDs per HH Percentage ST participation Percentage SC participation Percentage Women participation No. of disabled individual participation Pending MR Percentage of Zero Filled MR Percentage of MB error Percentage of scheme completion Percentage of delayed wage payments against total wage payments Unemployment allowance payable PDs

CHALLENGES
<ul style="list-style-type: none"> Misreporting and incomplete data submission by CSOs Delays in submission of reports No provision of single click reporting for CFT blocks on MIS Inability to evaluate quality of processes in the existing reviewing structure

20

6/21/2016





NRLM-MGNREGA-CFT Convergence Project

Role of CFTs and women
collectives in MGNREGA

Mobilisation and ground work

Meeting with women collectives



CFTs and representatives of Village Organisations hold meetings with SHGs to discuss MGNREGA, implementation of the CFT project the role of SHGs in MGNREGA

Hamlet-level meetings



CFTs and SHG members hold hamlet-level meetings with workers to discuss workers' past experience of MGNREGA, their entitlements under the programme and the implementation of the CFT project in their village.

Rallies and nukkad natak



Various programmes have been organised by women collectives to make workers aware about their entitlements e.g. rallies, nukkad natak, wall writing, screening of films, distribution of primers, parchas etc.

Verification of workers' details in NREGASoft



CFTs and SHG members verify workers' details in NREGASoft by examining their job card and passbook as incorrect entry of data causes delays/non-payment of wages

Facilitating Rozgar Diwas



CFTs have been monitoring organisation of rozgar diwas in panchayat bhavan to enable workers to demand job card, work and bank account in their own gram panchayat. Women collective members encourage workers to participate in rozgar diwas.

Planning of Schemes

Supporting block administration, Gram Panchayat and people in Yojana Banao Abhiyan

Selection of community-based planners



CFTs participated in the selection of two community-based planners for every 'Panchayat Planning Team' of their block. These planners were selected amongst SHG members, watershed committees and MGNREGA workers.

Awareness Generation



CFTs and SHGs participated in awareness generation activities on the planning campaign, MGNREGA and selection of schemes for harvesting rain water for irrigation.

Capacity Building



CFTs made presentations in the district and block level workshops on the Planning Campaign and also gave five-day trainings to Panchayat Planning Teams. Some CFT members trained other CFT members as "master trainers" for the Campaign.

Supporting Panchayat Planning Teams




CFTs supported the Panchayat Planning Teams in facilitating planning exercises and documenting the plans in prescribed formats

Sanctioning of Schemes

- ### Sanctioning of schemes
- Supporting the Junior Engineer in preparation of technical estimates
 - Explaining the revised procedure of sanctioning of schemes to gram panchayat members, beneficiaries of individual schemes etc
 - Monitoring timely sanction of schemes

SHG Mates

Selection of SHG mates



SHG members with basic level literacy and an interest in supervising MGNREGA worksites are selected as mates by their gram sabhas.

Training and Registration of SHG Mates



Selected SHG mates are to be trained by the Block Programme Officer, Junior Engineer and CFTs. They are to be registered in NREGASoft by the administration.

Implementation of Schemes

Meeting for discussing implementation of sanctioned schemes



CFTs and SHG members discuss sanctioned schemes with workers to help them divide themselves on these schemes and demand work

Laying out of scheme



CFT and SHG members help mates lay out the scheme and mark the area to be dug by workers every day


Worksite supervision



The CFT and SHG members, along with the mate monitor the muster roll reaching the worksite on time, worksite facilities, quality of work being done and timely completion of the scheme.

Monitoring

Monitoring workers' applications and wages



The CFTs monitor workers' applications for job card/work/bank account and their wage payments and in case of delays, discuss the matter with MGNREGA functionaries and officials

Block and District Coordination Committee Meetings



Block Coordination Committees to meet weekly to discuss the project, particularly the hurdles being faced in achieving the outcomes of the project. District Coordination Committees to meet monthly

Capacity Building

Training of CFTs, SHGs and Community Resource Persons



The CSOs train the CFT members who in turn train SHG members and community resource persons on MGNREGA and the CFT project

Orientation of MGNREGA functionaries



CFT members orient MGNREGA functionaries on the CFT project, planning of MGNREGA schemes, preparation of technical estimates, worksite managements etc

Training of gram panchayat members



The CFTs train the gram panchayat members on the CFT project, MGNREGA and their role in the employment guarantee programme

35

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 13-013/यो० अनु० मू०/ 2016 /या० वि० (N) 1070 (अ०) रांची, दिनांक 9.6.2016
प्रेषक,

एन० एन० सिन्हा, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव।
सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गुमला, लातेहार, पाकुड़ एवं रांची।

विषय: नरेगा योजना अंतर्गत आम के वृक्षारोपण (बागवानी) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित किया जाता है कि ग्रामीणों द्वारा योजना बनाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें अधिकतम जल संरक्षण व आजीविका वर्धन की योजनाएँ शामिल हैं। इस साल लोगों ने अपने आजीविका वर्धन हेतु ग्रामसभा से बागवानी योजनाओं की भी काफी संख्या में मांग की है। फलदार वृक्षारोपण से लोगों के आजीविका सुदृढ़ होने के साथ साथ भूमि व नमी संरक्षण पर भी बहुत अच्छा असर होता है। ऐसे कुल चिन्हित नौ (9) CFT प्रखंडों में आम के वृक्षारोपण (बागवानी) योजना का सूत्रण किया गया है। इसी सन्दर्भ में ये निर्देश दिया जाता है कि उल्लेखित प्रखंडों में आम के वृक्षारोपण (बागवानी) योजना का कार्यान्वयन यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

ज़िला वार प्रखंडों की सूची निम्न है :-

Sl. No.	District	Block	CFT	Total Plot Area (in Acre)
1	Gumla	Basia	PRADAN	70.34
2	Gumla	Raidih	PRADAN	247.50
3	Gumla	Palkot	IWMP*	81.24
4	Gumla	Bharno	IWMP*	152.87
5	Latehar	Manika	SPWD	10.73
6	Latehar	Barwadih	SPWD	10.12
7	Pakur	Maheshpur	ASA	27.50
8	Pakur	Pakuriya	ASA	9.36
9	Ranchi	Chanho	Sanjivani	15.00
Total:	4	9	4	624.66

*Project Implementing Agency of MGNREGA

चुने गए प्रखंडों में CFT के तौर पर कार्यरत गैर-सरकारी संस्था इस पूरी प्रक्रिया में प्रखंड व संबंधित पंचायतों के साथ सहभागिता सुनिश्चित करें तथा बागवानी सम्बंधित तकनीकी सहयोग से लेकर सही vendor के चयन, सामग्रियों की सही गुणवत्ता व सही समय पर कार्यस्थल पर उपलब्धता करवाने में प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे।

पौधे की खरीदारी की प्रक्रिया:

Vendors की सूची नीचे बनी तालिका में दी गई है। इनमें से किसी भी vendor से संपर्क किया जा सकता है। प्रखंड प्रशासन जिस vendor से पौधा खरीदना चाहता है, वह सबसे पहले उस vendor का NREGASoft में पंजीकरण करेगा।

पौधों के vendors की सूची :-

Sl. No.	Organization	Address	Contact Person	Designation	Mob. No.	Email
1	HARP, Palandu	NBPGR Regional Station - Ranchi CHES Campus, Plandu, P.O. Rajaulatu, Tata Road, Namkum, Ranchi - 834010, Jharkhand, INDIA	Dr. Bikash Das	Director	8797795113	bikash41271@gmail.com
2	Birsa Agriculture University	Kanke Road, New Market, Kanke, Ranchi, Jharkhand 834006 Phone:0651 245 0626	Dr. K KJha	HOD, Deptt. of Hort.	9431325719	
3	Phal Udyog Nursery	Village-Aara, PO- Mahilaung, Thana- Tatisilvey, District- Ranchi, JH	Mr. Srawan	Nursery Owner	9431360542	
4	Aditya High Tech Nursery	Vill.- Tati, Taluka-Kuru, Dist.-Lohardaga, JH			9470357598	
5	Subarna Rekha Model	Vill.-Rudia, Kharswan, Dist.-Saraikella, JH			NA	

Nursery					
---------	--	--	--	--	--

पौधा खरीदने के दौरान ध्यान रखने वाली बातें:

1. पौधे की लम्बाई कम से कम 1 मीटर हो.
2. पौधे की कम से कम 2-3 स्वस्थ शाखाएँ हो.
3. पौधों की उम्र कम से कम 2 साल हो.
4. पौधे में जहाँ कलम (grafting) हुई है, उसके ऊपर (scion) व नीचे के तने (stock) की चौड़ाई में अधिक अंतर नहीं हो.
5. Stock की लम्बाई 1-1.5 फीट हो.
6. पौधे का थैला polythene का हो, रंग में काला हो व कम से कम 10 इंच गहरा हो (10" black polythene bag).

खाद, दवाई आदि खरीदने की प्रक्रिया:

फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) के लिए सही समय पर खाद, दवाई आदि का उचित मात्रा में प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। बागवानी के स्वामित्व (ownership) के अनुसार नीचे दी गई किसी एक खरीददारी की प्रक्रिया को चुने :-

1. अगर व्यक्तिगत लाभुक (Individual Beneficiary Scheme) की निजी ज़मीन पर बागवानी प्रस्तावित है तो ग्राम पंचायत उसे स्वयं सामग्री खरीदने का निर्देश देगी (ग्राम पंचायत निर्देशित चिट्ठी का प्रारूप संलग्न है)। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन में लिखी मात्रा व दर के अनुसार स्थानीय दुकान से आवश्यकता अनुसार सामग्री की खरीद की जाय। इस स्थिति में NREGASoft में 'vendor registration' आवश्यक नहीं है (ref. Master Circular: FY'2016-17; Item no. 2.5.1.6; Sl. No. i)। खरीदी गई सामग्री की रसीद के साथ लाभुक एक 'स्व-सत्यापित घोषणा-पत्र' (अनुलग्नक-1 पत्र के साथ संलग्न है) ग्राम पंचायत में जमा करेगा। इस घोषणा पत्र का उसके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा सत्यापन किया जाएगा। लाभुक को कोई quotation जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभुक द्वारा खरीदी गई सामग्री के लिए राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। अगर लाभुक सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो, तो वह नीचे दी गई प्रक्रिया द्वारा vendor के माध्यम से सामग्री खरीद सकता है।
2. अगर बागवानी सामुदायिक लाभुकों (Community Based Scheme) की निजी ज़मीन पर प्रस्तावित है तो खाद, दवाई आदि की खरीददारी ग्राम पंचायत द्वारा उस ज़िला में उपस्थित किसी vendor से की जा सके। Vendor अपनी पक्की रसीद (Bill/Invoice) के साथ सम्बंधित लाभुकों से एक 'संतुष्टि प्रमाण-पत्र' (अनुलग्नक-2 पत्र के साथ संलग्न है) प्राप्त करके प्रखंड कार्यालय में जमा करेगा। बिना 'संतुष्टि प्रमाण-पत्र' प्राप्त किए vendor को भुगतान करने पर सम्बंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे तथा उनपर यथोचित कानूनी कारवाई की जाएगी।

3. अगर ज़िले में कोई ऐसे पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक समवाय (VO/FPO/FPG/FPC/Farmers' Co-operative etc.) है जिन के पास खाद, दवाई आदि का कारोबार करने के लिए licence एवं TIN नंबर है तो कोशिश करे कि ज़िले की सारी प्रस्तावित व्यक्तिगत व सामुदायिक फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजनाओं के लिए एक साथ इन संगठनों से खाद, दवाई आदि खरीदी जाए।

व्यक्तिगत व सामुदायिक लाभुकों की निजी ज़मीन में फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजनाओं की ज़रूरत अनुसार खाद, दवाई आदि खरीदने के लिए महिला/कृषक संगठनों/उत्पादक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी है। इस विकल्प में भी संगठन/संस्था को अपनी पक्की रसीद (Bill/Invoice) के साथ सम्बंधित लाभुकों से 'संतुष्टि प्रमाण-पत्र' प्राप्त करके जमा करना होगा। बिना 'संतुष्टि प्रमाण-पत्र' प्राप्त किए संगठन/संस्था को राशी का भुगतान करने पर सम्बंधित पदाधिकारी ज़िम्मेवार होंगे तथा उनपर यथोचित कानूनी कारवाई की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि वे अपने ज़िले में उपस्थित योग्य महिला/कृषक संगठनों/उत्पादक संस्थाओं की सूची तैयार करके तुरंत उन्हें NREGASoft में vendor के रूप में पंजीकृत करें।

आपसे यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी प्रखंड विकाश पदाधिकारियों को इन निर्देशों से अवगत कराते हुए तुरंत प्रत्येक योजनाओं पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। आशा है कि उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन से लगभग 1,00,000 आम पौधों का बगीचा तैयार होगा और लगभग 250 हेक्टेयर ज़मीन में भूमि व नमी संरक्षण सुनिश्चित होगा। पत्र के साथ 'Activity Calendar' भी संलग्न है जिससे बागवानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आसानी होगी।

विश्वासभाजन,

Jolo
9/6/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ग्राम पंचायत कार्यालय

प्रखण्ड

पत्रांक:

दिनांक:

प्रेषक:

मुखिया.....

.....ग्राम पंचायत

.....प्रखंड,.....ज़िला.

सेवा में,

.....(लाभुक का नाम)

.....(पिता/पति का नाम)

.....(गाँव का नाम)

.....(मोबाइल नो.)

विषय: व्यक्तिगत निजी ज़मीन में फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजना के लिए खाद, दबाई आदि खरीदने के निर्देश के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरुक्त विषय के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिया जा रहा है की आप अपनी निजी ज़मीन में बन रही फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजना (MIS work code....., वित्तीय वर्ष:.....) के लिए खाद, दबाई आदि खरीदने की प्रक्रिया संगलग्रक प्राक्कलन में दिए गए प्राक्कलित राशी के अनुसार खुद से करें और तदोपोरांत खरीदारी रशीद (bill/invoice) के साथ स्व-सत्यापित 'घोषणा-पत्र' यथाशीघ्र पंचायत कार्यालय में जमा करें।

अनुलग्नक: प्राक्कलन के फोटोकॉपी।

विश्वासभाजन,

मुखिया का हस्ताक्षर

(मुखिया का नाम)

.....ग्राम पंचायत

अनुलग्नक 1: घोषणा-पत्र

[यह प्रपत्र केवल वैसी फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजना के लिए भरना है जो व्यक्तिगत है]

मैं पिता/पति
 गाँव ग्राम पंचायत प्रखंड
 जिला का/की स्थायी निवासी हूँ।
 वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा मेरी/ पुस्तेनी जमीन पर मनरेगा अंतर्गत किर्यान्वयन हेतु फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजना का चयन किया गया है, जिसका खाता संख्या खसरा संख्या एवं रकवा है। योजना को सम्बंधित प्रक्रियाओं से प्रारित किया गया (तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति) एवं मेरे जानकारी के अनुसार योजना का MIS work code (NREGASoft से उपलब्ध करें), कुल प्राकृतित राशि रु व work order No. है। सम्बंधित कार्य की निगरानी करने के लिए मेट (मेट का नाम लिखें) को (मेट Registration Id.) मोनोनित किया गया है।

मुझे पत्रांक व दिनांक को पंचायत द्वारा निर्देशित किया गया की मेरी फलदार वृक्षारोपण (बागवानी) योजना के लिए प्राक्कलन के दर व मात्रा अनुसार खाद, दबाई आदि का खरीदारी मेरी खुद की सहूलियत के हिसाब से खरीद कर उसका उपयोग करना सुनिश्चित करूँ तथा ज़मीन में कार्यरत मनरेगा मजदूरों को ससमय उपलब्ध कराऊँ। निर्देश का पालन करते हुए मैं दिनांक को (दुकान का पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ अवश्य दें) से निचे दिए हुए विवरण के अनुसार खाद, दबाई आदि का खरीदारी किये:

क्रमांक	विवरणी (खाद, दबाई आदि का नाम.....प्राक्कलन के अनुसार)	खरीदारी की मात्रा (gm/kg/ltr.)	दर (रु/मात्रा)	कुल राशि (रु)
			कुल राशि:	

अतः आपसे विनम्र अनुरोध हूँ की समुचित राशी का भुगतान यथाशीघ्र मेरी बैंक खाता में करने की कृपा की जाए. मेरे बैंक खाता विवरणी निम्नरूप है:

आवेदक का नाम:

बैंक खाता नंबर (Bank SB A/c. No.):

बैंक का नाम एवं पता:

IFSC code:

अनुलग्नक: 1. सामग्री खरीदारी रशिद, 2. पंचायत से प्राप्त 'सामग्री खरीदारी निर्देश' सम्बंधित पत्र का फोटोकॉपी एवं 3. आवेदक की बैंक पासबुक की पहले पन्ने की फोटोकॉपी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध यथाचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार हूँगा।

स्थान: दिनांक: लाभुक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

सत्यापन पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। मैं खरीदा गया सामग्री खुद देखा हूँ व उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हूँ। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथाचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान: दिनांक: वार्ड सदस्य/PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम-प्रधान का हस्ताक्षर

2. सभी सामग्री की मात्रा प्राकलन के अनुसार है व सामग्रियों की गुणवत्ता से मैं/हम संतुष्ट हूँ/हैं:

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी समझ से पूर्णतः सत्य है. भविष्य में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे/हमारे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार होंगे।

जमीन मालिक का नाम (सभी सम्बंधित जमीन मालिकों का नाम लिखें)	जमीन मालिक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान (सभी संबंधित जमीन मालिकों का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लें)

स्थान: दिनांक:

सत्यापन पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। मैं खरीदा गया सामग्री खुद देखा हूँ व उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हूँ। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान: दिनांक: वार्ड सदस्य/PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम-प्रधान का हस्ताक्षर

ACTIVITY CALENDAR (ESTABLISHMENT OF MANGO PLANTATION) _1st Part:

Task	Sub-task	Timeline
'Abhilekh' preparation	Photo on-site to filling up of 'self declaration' format, ensuring technical report (by JE)etc.	Immediately
TS and AS	To prepare and approve the estimate (TS) as per the 'Draft version' and ensure the final administrative approval (AS)	Immediately
Lay-out	CPT, 30x40 plots & pits, Mango- pits	By 15 th June'16
Digging of Mango-pits	1 st 1 feet soil to be deposited separately (top-soil)	By 30 th June'16
CPT- excavation	The excavated soil has to be deposited to the inner-side of the plot	By 15 th July'16
Fencing	Arrangements of Bamboos, Koranda Ready to use	By 15 th July
Arrangements of FYM, Fertilizers, Termicide & Pesticides	Ensure storing in dry place avoiding direct sunlight	By 07 th July
Mango-pit filling	Spraying of Biflex(Anti-termite);Top-soil (1') to be filled up first mixing with 1/4 th of FYM recommended per pit	By 10 th July
Arrangements of Mango saplings	Ensuring transportation and carrying with proper care and arrangements 'resting' for the plants at village itself; Spraying of fungicide	By 15 th July
Transplantation	Cutting off the 'Black polythene bag' and transplanted the plant in the center of each pit; Ensure to fill the 'air-gap'	By 21 st July
'H'-staking	1' to be colored with coal-tar before staking; Ensure use of jute thread to be tied up with mango sapling immediately after transplantation	By 25 th July
Establishment of 30x40 model		By 15 th July
Inter-cropping	Start immediately after completion of 30x40 model (as per beneficiaries choices)	31 st July onward

For any further clarification...Pls. Call:

MANAS

TC, RDD, Planning Cell

8809185368/9474451543

Whats App: 9932821318

E_mail: manasmandal2909@gmail.com

45

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक-- 4-1009 (NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 672 ⁽³¹⁹⁾ राँची, दिनांक 6-4-16

प्रेषक,

मनरेगा आयुक्त,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय: मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि ग्रामीणों द्वारा योजना बनाओ अभियान के दौरान बड़ी संख्या में योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में जल संरक्षण व आजीविका वर्धन की योजनाएं शामिल हैं। यह आशा की जाती है कि योजना बनाओ अभियान में चयनित सभी मनरेगा योजनाओं की NREGASoft में निदेशानुरूप शत-प्रतिशत प्रविष्टि कर ली गयी होगी।

2. अभियान के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि राज्य के लगभग 55% ग्रामीण परिवारों ने काम की मांग की है। यह अत्यंत दुखद है कि अभी भी राज्य के अधिकांश टोलों-गांवों में योजनाएं कार्यान्वित नहीं हैं। यह अतिआवश्यक है कि प्रत्येक टोले-गाँव में ग्रामीणों की काम की मांग, ज़रूरत व प्राथमिकता अनुसार तुरंत बड़े स्तर पर मनरेगा योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जाए।

3. मार्च महीने के अंतिम दिनों में रोजगार सृजन की समीक्षा से उसमें भारी गिरावट देखने में आई है। राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए यह चिंताजनक है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया है कि मनरेगा योजनाओं में अधिकाधिक काम उपलब्ध कराया जाए एवं जल संरक्षण विशेषकर डोभा/ फार्म पाण्ड/पोखर संबन्धित योजनाओं को अविलंब प्रारम्भ करते हुए 15 जून तक उन्हें पूर्ण कराया जाय।

4. मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन को सहज करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनके अनुसार शीघ्र योजनाओं की स्वीकृति व कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

- योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए निम्नवत seasonality calendar का अनुसरण करें:-

मौसम	अवधि	योजनाओं का प्रकार
Pre - monsoon	मार्च से जून	डोभा, पोखर, तालाब, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, गली प्लगिंग, लूज बोल्टर स्ट्रक्चर, भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, वृक्षारोपण के लिए pit-digging, कच्ची सड़क आदि
Monsoon	जुलाई से सितम्बर	भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, बकरी शेड, मुर्गी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श व मूत्र टैंक, वृक्षारोपण (pit-digging के बाद की गतिविधियाँ) आदि
Post - monsoon	अक्टूबर से फरवरी	कुआँ, स्टैगर्ड ट्रेंच, 30X40 मॉडल, गली प्लगिंग, लूज बोल्टर स्ट्रक्चर, भूमि समतलीकरण व मेढ़बंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कच्ची सड़क आदि

- इस seasonality कैलेंडर के अनुसार योजनाओं को तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति देनी है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच "खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में" के अनुसार वर्षा ऋतु से पहले जल संरक्षण की योजनाओं जैसे डोभा, पोखर, तालाब आदि की स्वीकृति एवं निर्माण को प्राथमिकता देनी है। अभियान में पूरे राज्य में 1.3 लाख डोभों, पोखरों व तालाबों का मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है। यह अनिवार्य है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ये सभी जल संरक्षण संबन्धित योजनाएं अवश्य पूर्ण कर ली जाय।
- ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक योजना श्रेणी (Category) में तय प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक श्रेणी (Category) में वंचित परिवारों के लिए चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि चालू (Ongoing) योजनाओं का कार्यान्वयन उपर्युक्त seasonality calendar से प्रभावित नहीं होगा।
- ग्रामीणों की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा shelf of works से योजनाओं को seasonality व ग्राम सभा की प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी शीघ्र ग्राम पंचायतों को जून माह तक की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए shelf of works से पर्याप्त योजनाओं का चयन करने के लिए बैठक करने का अनुरोध करें।

- ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति shelf of works से योजनाओं को निम्नलिखित तथ्यों के मद्दे नज़र चयनित करेगी:
 - seasonality calendar
 - ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक category में तय की गई प्राथमिकता
 - प्रत्येक category में वंचित परिवारों की योजनाओं को प्राथमिकता
 - जून माह तक ग्रामीणों की काम की मांग को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक गाँव/टोला में पर्याप्त संख्या में योजनाओं को खोलने की आवश्यकता
- इसी प्रकार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति मई-जून के माह में जुलाई से सितम्बर में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं एवं अगस्त-सितम्बर माह में अक्टूबर से मार्च में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को shelf of works से चयनित करेगी।
- ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति योजनाओं की सूची बनाएं व पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक को योजना-वार अभिलेख बनाने का निर्देश दे। ग्राम पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन करके योजनाओं का अभिलेख बनाया जाएगा।
- छोटी निजी योजनाओं (एक लाख रुपए से कम प्राक्कलित राशि वाली सभी योजनाएं व 1.5 लाख रुपए तक की प्राक्कलित राशि वाली डोभा, पोखर व तालाब की योजनाएं) की स्वीकृति के लिए अंचल कार्यालय (व अंचल कार्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारियों) द्वारा ज़मीन के मालिकाना हक के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवश्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ज़मीन मालिक द्वारा योजना व ज़मीन के मालिकाना हक सम्बंधित एक घोषणा पत्र दी जाएगी जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा। इन योजनाओं के अभिलेख संधारण में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
 - लाभुक द्वारा अनुलग्नक 1 अनुसार घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा।
 - राजस्व नक्शा की एक प्रति जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा। राजस्व नक्शा न उपलब्ध होने पर नज़री नक्शा से भी काम चलाया जा सकेगा।

- खतियान की एक प्रति अथवा माल गुजारी रसीद जिसका सत्यापन उनके वार्ड के वार्ड सदस्य एवं PESA क्षेत्र में पारंपरिक प्रधान द्वारा किया जाएगा।
- योजना स्थल पर लाभुक के साथ photograph की एक प्रति।
- तकनीकी प्रतिवेदन (मानक प्रारूप अनुलग्नक 2 में संलग्न)।
- अनुलग्नक 3 अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चेक स्लिप।
- योजनाओं का अभिलेख अनुलग्नक 4 में दिए प्रारूप अनुसार संधारण किया जा सकता है।
- इन प्रपत्रों को जिलों एवं प्रखंडों द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाय। इसकी सॉफ्ट प्रतियाँ ग्रामीण विकास विभाग, नरेगा एवं योजना बनाओ अभियान के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
- अभिलेख संधारण में होने वाले व्यय जैसे फोटोग्राफ, छायाप्रति इत्यादि, मनरेगा के प्रशासनिक मद से किया जाएगा।
- इन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं के लिए अंचल पदाधिकारी द्वारा ज़मीन सत्यापन किया जाएगा। अगर ग्रामीणों द्वारा ऐसी छोटी योजना गैर मजरुआ ज़मीन पर प्रस्तावित है, तो उस योजना स्थल का सत्यापन भी अंचल पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा व योजना को सामुदायिक योजना अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। अगर सामुदायिक योजना ग्रामीणों के निजी ज़मीन पर बनें, तो उनसे अनुलग्नक 5 अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) लिया जाएगा।
- प्रत्येक अभिलेख के साथ ग्राम सभा द्वारा योजना पारित करने संबंधी प्रस्ताव की प्रति लगानी आवश्यक नहीं है। ग्राम सभा के प्रस्ताव की एक प्रति व ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति के लिए चयनित योजनाओं की सूची पंचायत भवन व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पास उपलब्ध होना सुनिश्चित कराया जाय।
- एक लाख रुपए से कम प्राक्कलित राशि वाली सभी योजनाएं व 1.5 लाख रुपए तक की प्राक्कलित राशि वाली डोभा, पोखर व तालाब की योजनाएं यदि स्वीकृत मोडेल प्राक्कलन अनुसार ली जानी प्रस्तावित हों तो अनु० - 2 अनुसार कनीय अभियंता का तकनीकी प्रतिवेदन पर्याप्त होगा। सहायक अभियंता उनके post-facto समीक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। त्रुटि पाये जाने पर कनीय अभियंता से राशि वसूली सहित अन्य कार्रवाइयाँ की जा सकेगी। अन्य योजनाओं का तकनीकी प्राक्कलन राज्य द्वारा प्रेषित model अनुसार कनीय अभियंता द्वारा बनाया जायेगा जिसपर सहायक अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

- 49
- प्रखंड विकास पदाधिकारी योजनाओं के अभिलेख संधारित होने के पश्चात् एवं योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् सभी योजनाओं (यदि प्रत्येक योजना की प्राक्कलित राशि 10 लाख रु० से कम हो) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। अगर किसी योजना की प्राक्कलित राशि 10 लाख रु० से अधिक हो, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जून माह तक के लिए सभी टोलों-गांवों के लिए पर्याप्त संख्या में योजनाओं को स्वीकृत किया जाए। इसके पश्चात् कार्यान्वित होने वाली योजनाओं को मई-जून महीने में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी योजनाओं की पंचायत वार प्रशासनिक स्वीकृति आदेश (जिसमें योजनाओं का नाम, योजनाओं का workcode, राजस्व ग्राम का नाम, खाता संख्या, प्लाट संख्या, योजना की कुल स्वीकृत राशि का व्योरा आदि) एक अग्रसारण पत्र में समेकित रूप से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन सूचियों (उपरोक्त विवरण के साथ) का पंचायत भवन व अन्य सामुदायिक भवनों पर दीवाल लेखन किया जाएगा।
 - प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात सभी योजनाओं को NREGASoft में "proposed not yet approved" श्रेणी (Category) से हटाकर "approved not yet started" श्रेणी (Category) में प्रविष्टि कराएं।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि इन निर्देशों से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अवगत कराएं जो यथाशीघ्र ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समितियों को उपरोक्त विषय में बैठक करने का अनुरोध करें एवं इस पत्र की प्रति सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका अनुसार शीघ्र योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कराएं व 10 अप्रैल तक प्रत्येक गाँव व PESA क्षेत्र में प्रत्येक टोले में ग्रामीणों की काम की मांग अनुसार पर्याप्त संख्या में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कराएं। यह भी सुनिश्चित कराएं कि वर्षा से पहले छोटी जल संरक्षण की योजनाएं जैसे डोभा, पोखर व तालाब का कार्यान्वयन पूर्ण हो जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मन्त्रालय आयुक्त।

ज्ञापांक- 4-1009(NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 672 राँची, दिनांक 6-4-18
प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त/6

ज्ञापांक- 4-1009(NREGA)/2009/ग्रा0वि0(खण्ड-II) (N) 672 राँची, दिनांक 6-4-18
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त/6

अनुलग्नक 1 - घोषणा-पत्र

(यह प्रपत्र केवल वैसी योजना के लिए भरना है जो व्यक्तिगत है व 1 लाख रूपए से कम की प्राकृतित राशि की है अथवा व्यक्तिगत डोभा/पोखर/तालाब की योजना है व 1.5 लाख रूपए से कम की प्राकृतित राशि की है)

मैं पिता/पति

गाँव ग्राम पंचायत प्रखंड

जिला का/की स्थायी निवासी हूँ।

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा मेरी / पुस्तेनी जमीन पर मनरेगा अंतर्गत किर्यान्वयन हेतु योजना

..... का चयन किया गया

है, जिसका खाता संख्या....., खसरा संख्या..... एवं रकवा..... है. मैं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / घुमंतु

जनजाति / अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ / गरीबी रेखा से नीचे का परिवार / महिला प्रधान वाला परिवार / शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान

वाला परिवार / भूमि सुधार का हितग्राही / इंदिरा आवास योजना का लाभार्थी / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार

मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितग्राही / लघु किसान (2.5 - 5 एकड़ रकबे जमीन पर खेती करते हों) / सीमान्त किसान (2.5

एकड़ या उससे कम रकबे जमीन पर खेती करते हों) से आता/आती हूँ। मेरा जाँब कार्ड संख्या.....

है। अनियत कार्य के किर्यान्वयन से मेरे परिवार की आजीविका वृद्धि में सहयोग होगा।

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :

- योजना स्थल मेरी रैयती जमीन है एवं पूर्णतः मेरे दखल में है।
- किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है।
- यह जमीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है।
- मनरेगा श्रमिक इसमें काम कर सकते हैं; इससे मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
- प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार हूँगा।

स्थान: दिनांक:

लाभुक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

सत्यापन पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांकको पारित किया गया है एवं ग्राम सभा पंजी संख्या..... की पृष्ठ संख्या..... की योजना प्राधिकन संख्यापर अंकित है।

प्रस्तावित योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की जमीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित जमीन नहीं है। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान: दिनांक: वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर

PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम-प्रधान का हस्ताक्षर

अनुलग्नक 2: तकनीकी प्रतिवेदन प्रारूप

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /

योजना का नाम: / _____ /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

यह प्राक्कलन वार्षिक कार्य योजना वित्तीय वर्ष / _____ / के आधार पर स्थल निरीक्षणोपरांत वर्तमान में प्रभावित अनुसूची दर एवं प्रभावित मजदूरी दर रूप / _____ / प्रतिदिन के आधार पर तैयार किया गया है।

ज़मीन से संबंधित प्रतिवेदन - 1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना के लिए अनु० - 1 तथा अन्य योजना हेतु अंचल प्रतिवेदन अलग से संलग्न हैं, जिसके अनुसार प्रस्तावित प्लॉट का खाता संख्या / _____ /, प्लॉट संख्या / _____ /, एवं ज़मीन की इकाई / _____ / है।

इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।

योजना की प्राक्कलित राशि:

मजदूरी (अकुशल): रु / _____ /

सामग्री: [अर्धकुशल मजदूरी: रु / _____ /; कुशल मजदूरी: रु / _____ /; सामग्री: रु / _____ /]

आकस्मिकता (contingency): रु / _____ /

कुल: रु / _____ /

योजना के कार्यान्वयन में अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मजदूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त तकनीकी प्राक्कलन संलग्न है।

कनीय अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

सहायक अभियंता का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

अनुलग्न 3: योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए चेक स्लिप

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /

योजना का नाम: / _____ /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

लाभुक की जानकारी

लाभुक का नाम (अगर व्यक्तिगत योजना है): / _____ /

लाभुक का जॉब कार्ड संख्या (अगर व्यक्तिगत योजना है): / _____ /

अगर व्यक्तिगत योजना है, तो लाभुक इनमे से कौन कौन सी श्रेणियों में आता है (1-1.5 लाख रुपए तक की योजना के लिए अनु० -1 के अनुरूप व अन्य योजना के लिए अंचल प्रतिवेदन अनुरूप उपर्युक्त श्रेणियों पर "√" का निशान लगाए):

अनुसूचित जाति (SC): / _____ /; अनुसूचित जनजाति (ST): / _____ /; घुमंतु जनजाति: / _____ /; अधिसूचना में से निकली गई जनजातियाँ: / _____ /; गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का परिवार: / _____ /; महिला प्रधान वाला परिवार / _____ /; शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाला परिवार: / _____ /; भूमि सुधार का हितग्राही: / _____ /; इंदिरा आवास योजना (IAY) का लाभार्थी: / _____ /; अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हितग्राही: / _____ /; लघु किसान (2.5 - 5 एकड़ रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) / _____ /; सीमान्त किसान (2.5 एकड़ या उससे कम रकबे ज़मीन पर खेती करते हों) / _____ /

ग्राम सभा प्रस्ताव का विवरण

ग्राम सभा की तिथि (जिस बैठक में यह योजना पारित हुई है): / _____ /

ग्राम सभा पंजी संख्या (जिसमे इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): / _____ /

ग्राम सभा पंजी की पृष्ठ संख्या (जिसपर इस योजना का प्रस्ताव लिखा गया है): / _____ /

कौन सी तारीख को इस योजना का प्रस्ताव हुआ है: / _____ /; योजना प्राथमिकता संख्या: / _____ /

योजना की ज़मीन का विवरण

ज़मीन का क्षेत्रफल (रकबा): एकड़ / _____ /; खाता संख्या: / _____ /; प्लोट संख्या: / _____ /

ज़मीन का किस्म (उपर्युक्त श्रेणियों पर "√" का निशान लगाए): निजी: / _____ /; गैर मजदूरी: / _____ /; सरकारी जमीन: / _____ /; अन्य (स्पष्ट करें _____): / _____ /

योजना की प्राक्कलित राशि अनु० के अनुरूप

मजदूरी (अकुशल): रु / _____ /;

सामग्री: [अर्धकुशल मजदूरी: रु / _____ /; कुशल मजदूरी: रु / _____ /; सामग्री: रु / _____ /]

आकस्मिकता (contingency): रु / _____ / कुल: रु / _____ /

योजना की अन्य जानकारी

अनुमानित मानव दिवस: / _____ /; मजदूरी दर: रु / _____ /; मजदूरी-सामग्री का अनुपात: / _____ /

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. योजना से सम्बंधित भूमि प्रतिवेदन (1 - 1.5 लाख तक की व्यक्तिगत योजना हेतु अनु० - 1 एवं अन्य हेतु अंचल प्रतिवेदन) संलग्न है।
2. इस योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी मद से कार्य नहीं हुआ है।
3. योजना में किसी भी प्रकार का duplication of work नहीं है।
4. योजना के प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. योजना का प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण मुक्त है।
6. योजना का प्राकलन स्थल निरीक्षण करने के बाद तैयार किया गया है।
7. योजना का प्राकलन सरकार द्वारा निर्धारित मनरेगा मजदूरी दर पर तैयार किया गया है।
8. योजना के प्रस्तावित स्थल पर लाभुक के साथ फोटो अभिलेख में संलग्न है।

तकनीकी स्वीकृति संख्या: / _____ /; तकनीकी स्वीकृति देने की तिथि: / _____ /

ग्राम पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

कनीय अभियंता / सहायक अभियंता का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर (तिथि के साथ): / _____ /



अनुलग्नक 4: योजना अभिलेख का सुझावित प्रारूप

55

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; राजस्व गाँव: / _____ /; टोला: / _____ /

योजना का नाम: / _____ /

योजना का work code (NREGASoft में दिया गया): / _____ /

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के विषय में टिपण्णी (तारीख के साथ)
	2	3
	<p>ग्राम पंचायत कार्यालय</p> <p>प्रखण्ड</p> <p>मनरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप ससमय रोजगार मुहैया कराने के लिए निमित्त योजना का कार्य प्रारंभ कराने हेतु अभिलेख के संधारण के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाओं यथा प्राकल्पित तैयार करना, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना एवं अन्य अपेक्षित प्रतिवेदन आवश्यक हैं।</p> <p>(अगर योजना व्यक्तिगत है व 1 लाख रुपए से कम की प्राकल्पित राशि की है अथवा व्यक्तिगत डोभा, पोखर व तालाब की योजना है व 1.5 लाख रुपए से कम की प्राकल्पित राशि की है।)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p> <p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है। इस योजना को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works से यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया। अनुलग्नक-1 के अनुसार लाभुक का घोषणा पत्र जो वार्ड सदस्य/ पारंपरिक ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित प्राप्त है। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करने हेतु व प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजे।</p> <p>लेखापित</p> <p>पंचायत सचिव</p> <p>मुखिया</p> <p>(उपरोक्त कोटि से भिन्न योजना)</p> <p>वर्ष में ग्राम पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम में ग्राम सभा द्वारा योजना</p> <p>प्राथमिकता के आधार पर दिनांक को पारित की गई है। इस योजना को ग्राम</p>	

✓

पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक को ग्राम पंचायत के shelf of works से यथाशीघ्र क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया।

योजना संबंधित भूमि प्रतिवेदन अंचलाधिकारी के पत्रांक संख्या से प्राप्त हुई। अतः योजना की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजें।

लेखापित

पंचायत मंचिव

मुखिया

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

अभिलेख उपस्थापित किया गया। योजना के प्राक्कलन एवं तकनीकी प्रतिवेदन/ स्वीकृति के लिए कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है।

लेखापित

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

प्रखंड कार्यालय

ज़िला

(अगर योजना 10 लाख रु० से कम प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कनीय/सहायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपए है। अतः उपरोक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। योजना का क्रियान्वयन यथाशीघ्र शुरू करने की दिशा में काम किया जाए।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

(अगर योजना 10 लाख रु० से अधिक प्राक्कलित राशि की है)

अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जो संतोषजनक है। योजना की तकनीकी स्वीकृति कनीय/सहायक/कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जिसकी कुल मद राशि रुपए है। अतः अतः उपरोक्त योजना को जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला को भेजें।

लेखापित

प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

अनुलग्नक 5: अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(यह प्रपत्र केवल वैसी सामुदायिक योजनाओं के लिए है, जो निजी ज़मीन पर बनेंगी)

मैं/हम (सामुदायिक योजना-स्थल के ज़मीन मालिक)

गाँव ग्राम पंचायत
 प्रखंड ज़िला के स्थायी निवासी है.

वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा द्वारा हमारी/मेरी ज़मीन पर मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु योजना का चयन किया गया है, जिसका खाता संख्या प्लॉट संख्या एवं रकवा है. इस योजना का कार्यान्वयन इच्छुक मजदूरों को रोज़गार देने हेतु अतिआवश्यक है. यह योजना जनोपयोगी है एवं उक्त योजना के निर्माण से ग्राम के लिए स्थाई संपदा का निर्माण होगा.

योजना स्थल के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जाता है कि :

1. योजना स्थल हमारी रैयती ज़मीन है एवं पूर्णतः हमारे दखल में है.
2. योजना स्थल पर किसी प्रकार का भूमि सम्बंधित विवाद नहीं है.
3. योजना स्थल की ज़मीन गैर-मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित ज़मीन नहीं है.
4. योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।
5. मनरेगा श्रमिक इस योजना में काम कर सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है.
6. योजना समाप्त होने के उपरांत सभी ग्राम वासी इस योजना को इस्तेमाल कर सकते हैं.

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण हमारी समझ से पूर्णतः सत्य है. भविष्य में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो हमारे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और स्वयं इसके लिये जिम्मेवार होंगे।

ज़मीन मालिक का नाम (सभी सम्बंधित ज़मीन मालिकों का नाम लिखें)	ज़मीन मालिक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान(सभी सम्बंधित ज़मीन मालिकों का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लें)

स्थान: दिनांक:

सत्यापन रसीद

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि दिया गया उपर्युक्त लिखित विवरण मेरी समझ से पूर्णतः सत्य है। यह योजना ग्राम सभा द्वारा दिनांक को पारित किया गया है एवं ग्राम सभा पंजी संख्या की पृष्ठ संख्या की योजना प्राथिकता संख्या पर अंकित है।

✓

✓

प्रस्तावित योजना जन कल्याणकारी है व योजना में पिछले पांच वर्षों में किसी भी विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। योजना की ज़मीन मजरुआ (GM) / सरकारी भूमि / धार्मिक स्थान / कब्रगाह एवं शमशानघाट आदि से सम्बंधित ज़मीन नहीं है। इसमें यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूँगा तथा मेरे विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

वार्ड सदस्य / ग्रामपंचायत मुखिया / PESA क्षेत्र में पारंपरिक ग्रामप्रधान का हस्ताक्षर

स्थान: दिनांक:

✓

✓

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड-III) (N/873) (अगु) राँची, दिनांक 12-5-16

प्रेषक

मनरेगा आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय:

मनरेगा में मेट के चयन, प्रशिक्षण, पंजीकरण, भूमिका व निगरानी पर दिशा-निदेश के प्रेषण के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मजदूरों को मनरेगा में उनके काम के अधिकार की प्राप्ति व योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मेट द्वारा उचित पर्यवेक्षण अतिआवश्यक है। आप सभी को विभागीय पत्रांक - (N) 672 दिनांक 6.4.2016 द्वारा निदेश दिया गया है कि यथा-शीघ्र सभी गाँव-टोलों में मजदूरों की काम की मांग के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव-टोले में पर्याप्त संख्या में मेटों का चयन व प्रशिक्षण हो।

मेट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:

मेट की योग्यता

- जिस गाँव-टोले के लिए मेट का चयन हो रहा है, मेट उस ही गाँव-टोले का निवासी होना चाहिए।
- पुरुष मेट कम से कम 9वीं कक्षा पास व महिला मेट कम से कम 7वीं कक्षा पास होनी चाहिए।

मेट चयन की प्रक्रिया

- चयनित मेटों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होनी हैं। महिला मेट के चयन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन प्रखंडों में Cluster Facilitation Teams (CFTs) काम कर रही हैं, वहां केवल महिला मेटों का ही चयन किया जाएगा। अगर किसी गाँव-टोले में उपरोक्त योग्यता अनुसार महिलाएं न हों, तो ही पुरुष मेट का चयन किया जाएगा।
- मेट चयन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- मेट का चयन उपरोक्त योग्यता अनुसार ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। मेट के चयन में ग्राम सभा स्वयं सहायत समूह व महिला ग्राम संगठन (village organisation) का सहयोग ले सकती है व ये संगठन ग्राम सभा के समक्ष अपने सदस्यों के चयन का प्रस्ताव रख सकते हैं।
- प्रत्येक गाँव/टोले में हर 40 परिवारों के लिए कम-से-कम एक मेट का चयन किया जाएगा (40 परिवारों से छोटे गाँव/टोले में एक मेट का चयन करना है)।
- चयनित मेट अधिकतम तीन वर्ष के लिए काम कर सकते हैं।

मेट का प्रशिक्षण

सभी चयनित मेटों का प्रशिक्षण संलग्न प्रारूप अनुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण का खर्च मनरेगा के प्रशासनिक मद से व्यय होगा। ऐसे प्रखंड जिनमें CFTs कार्यरत हैं, वहां



60

प्रशिक्षण में CFTs के सदस्यों की प्रशिक्षक के रूप में भागीदारी अनिवार्य है। अन्य प्रखंडों में प्रशिक्षण के लिए प्रखंड के अन्य सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं व योजना बनाओ अभियान की State Resource Team के योग्य सदस्यों का सहयोग लिया जा सकता है। वैसे प्रशिक्षकों को प्रति दिन 500 रु मानदेय देय होगा। सभी प्रखंडों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी प्रशिक्षक के रूप में भाग लेंगे।

प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का होगा।

मेट किट

- जिन प्रशिक्षित मेटों को काम आवंटित किया गया है, उन्हें काम शुरू होने से पहले एक मेट किट मुहैया करना है।
- मेटों को मेट किट मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा।
- मेट किट एक मजबूत बैग में दी जाएगी जिसमें एक छोटा calculator, मापी के लिए कम-से-कम 30 फीट लम्बाई का फीता (measuring tape), 'दैनिक मेट मापी प्रपत्र' की 50 प्रतियां, जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की 50 प्रतियां, काम का आवेदन फॉर्म का 50 प्रतियां, मनरेगा पर प्रवेशिका की एक प्रति, इस मेट गाईडलाइन की एक प्रति, पेन व नोटबुक होगी।
- मेट किट पर होने वाला खर्च प्रशासनिक मद से व्यय होगा।

मेट का पंजीकरण

- ग्राम सभा द्वारा सभी चयनित मेटों की सूची ग्राम रोजगार सेवक द्वारा ग्राम पंचायत को दी जाएगी।
- मेट चयन के एक सप्ताह के अन्दर सभी चयनित मेटों का NREGASoft में अर्ध-कुशल मजदूर की श्रेणी में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की है।
- NREGASoft में पंजीकरण के पश्चात हर पंजीकृत मेट को "Registration ID" निर्गत होगा।

मेट की जिम्मेदारियां

- योजना पर काम होने के पहले दिन उस पर काम कर रहे मजदूरों को योजना का तकनीकी प्राक्कलन समझाना। प्रत्येक कार्य-दिन के प्रारम्भ में मजदूर गुट (कार्यस्थल पर उपस्थित मजदूर अधिकतर समय अपने आप को 2-3 मजदूरों के गुटों में बाँट कर काम करते हैं) के सदस्यों की संख्या के अनुसार गुट के दैनिक कार्य का लेआउट करना व मजदूरों को उनके काम के बारे में समझाना; जैसे, कितनी मिट्टी काटनी है, मिट्टी कहा फेकनी है आदि।
- अगर कार्यस्थल पर निम्न सुविधाएं न हो, तो योजना की कार्यकारी एजेंसी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करना। (1) सूचना बोर्ड; (2) पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था; (3) छाया की व्यवस्था; (4) क्लेश की व्यवस्था (अगर छः वर्ष से कम उम्र के कम से कम पांच बच्चे हो); (5) मेडिकल किट व (6) योजना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री।
- अगर कार्यस्थल पर काम होने के पहले दिन तक मस्टर रॉल न पहुंचे, तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी को सूचित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि मस्टर रॉल में जिन मजदूरों के नाम हो, केवल वे ही योजना में काम करें। अगर मस्टर रॉल में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो तुरंत योजना की कार्यकारी एजेंसी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित करना।
- अगर कार्यस्थल पर कोई इच्छुक मजदूर (जिसका नाम मस्टर रॉल में न हो) काम मांगे, तो तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करना व मजदूर को काम मांगने की प्रक्रिया समझाना।
- हर कार्य दिवस को मस्टर रॉल में मजदूरों की हाजरी बनाना (मस्टर रॉल हर समय कार्यस्थल पर उपस्थित रहना है और कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है)।
- कार्य सप्ताह के आखिरी दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर मजदूरों को उनके नाम से बनी हाजरी पढ़कर सुनाना और उनसे मस्टर रॉल पर हस्ताक्षर/ठेपा लेना। (मेट के सत्यापन के पश्चात् सम्बंधित वार्ड के वार्ड सदस्य द्वारा मस्टर रॉल का सत्यापन किया जाएगा। वार्ड

सदस्य के अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत मुखिया अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य वाई सदस्य द्वारा किया जाएगा)।

- मेट प्रत्येक कार्य-दिन के अंत में मजदूरों के सामने उनके द्वारा किए गए कार्य की मापी करेंगे व डोभा, तालाब, पोखर, भूमि समतलीकरण, सड़क आदि योजनाओं के लिए संलग्न "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" भरेंगे। (गुणवत्तापूर्ण व ससमय योजना कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना अतिआवश्यक है कि मस्टर रॉल पर बनी हाज़री व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो। "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" के प्रतिदिन भरे जाने से ऐसा सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलती है।)
- मेट सुनिश्चित करेंगे कि मस्टर रॉल पर बनी हाज़री व किए गए कार्य की मात्रा में अंतर न हो।
- प्रत्येक कार्य-सप्ताह के अंत में भरे हुए मस्टर रॉल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" को सत्यापित करना। रोजगार सेवक मेट से प्रत्येक कार्य सप्ताह के अंत में मेट द्वारा सत्यापित मस्टर रॉल व "दैनिक मेट मापी प्रपत्र" लेंगे।
- मजदूरों के जॉब कार्ड में उनके द्वारा किए गए काम व उनको मिली मजदूरी का ब्यौरा लिखना।
- सभी प्रकार के निजी व सामुदायिक योजनाओं के पर्यवेक्षण में मेट के उपरोक्त जिम्मेवारियां होंगी।

मेट को योजना में कार्यरत करने की प्रक्रिया

- योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कार्यकारी एजेंसी गाँव-टोले के प्रशिक्षित मेटों को सम्बंधित योजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए कार्यादेश के माध्यम से सूचित करेगी। कार्यादेश के साथ इस पत्र की एक प्रति व योजना की तकनीकी प्राक्कलन भी मेट को उपलब्ध कराएगी।
- जिस अवधि में कोई व्यक्ति मेट के रूप में कार्यरत है, उस अवधि में वह मनरेगा में अकुशल मजदूरी नहीं कर सकता है।
- निजी योजनाओं का पर्यवेक्षण भी ग्राम सभा द्वारा चयनित मेटों द्वारा ही किया जाएगा, और न कि योजना के लाभार्थी द्वारा।

मेट के भुगतान की प्रक्रिया

- मेट का भुगतान अर्ध-कुशल मजदूरी दर से किया जाएगा। यह भुगतान सामग्री मद से व्यय होगा।
- मेट का भुगतान योजना के तकनीकी प्राक्कलन में दिए गए मानक अनुसार किया जाएगा। जैसे, अगर किसी योजना के प्राक्कलन के अनुसार 20 अकुशल मजदूर मानव-दिवस पर मेट के एक दिन की हाज़री बनती है, और प्रतिदिन उस योजना पर 10 मजदूर काम करते हैं, तो हर दो दिनों पर मेट की एक दिन की हाज़री बनेगी। एक मेट एक साथ अधिकतम तीन छोटी योजनाओं (ऐसी योजना जिसमें एक साथ अधिकतम 20 मजदूर काम कर सकते हैं व जिसकी प्राक्कलित राशि 1.5 लाख रुपए तक की हो) का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इससे बड़ी योजनाओं पर कार्यरत मेट एक समय पर एक ही योजना का पर्यवेक्षण कर सकेंगे।
- मेट के भुगतान हेतु NREGASoft से प्रत्येक कार्य-सप्ताह के लिए अर्ध-कुशल मस्टर रॉल निर्गत किया जाएगा। जो मेट छोटी योजनाओं पर काम करेंगे, उनके लिए एक साथ एक से अधिक योजना का मस्टर रॉल निर्गत किए जाने का प्रावधान होगा।
- मेट का भुगतान PFMS द्वारा प्रति कार्य-सप्ताह समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा।



मेट का मूल्यांकन व निगरानी

- ग्राम पंचायत द्वारा सभी मेटों के कार्य का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई मेट मजदूरों के हित के विपरीत काम करते पाया गया, तो ग्राम पंचायत उन्हें तुरंत हटा सकती है।
- अगर मेट मजदूरों के हित के विपरीत काम करते हैं तो मजदूर व गाँव के समुदाय आधारित संगठनों (जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला ग्राम संगठन आदि) मेट के विरुद्ध शिकायत ग्राम पंचायत या प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को दे सकते हैं। अगर कार्रवाई में मेट दोषी पाए गए, तो ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उन्हें तुरंत हटा सकते हैं।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा द्वारा गाँव के समुदाय आधारित संगठनों (जैसे मजदूर संगठन, स्वयं सहायता समूह, महिला ग्राम संगठन आदि) के सहयोग से सभी मेटों के कार्य की समीक्षा की जाएगी व मजदूरों के हित में काम नहीं करने वाले मेटों को हटाकर नए मेटों का चयन किया जाएगा।
- मस्टर रॉल पर फर्जी हाजिरी लगाते पाए जाने पर मेट के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- अगर मजदूरों का जॉब कार्ड या पासबुक मेट के पास पाया जाता है, तो मेट के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

- योजनाओं में सामग्री की व्यवस्था करना मेट की ज़िम्मेवारी नहीं है। कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए सामग्री की ससमय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- ऐसे पुरुष मेट जो तीन वर्ष से अधिक समय से मेट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत हटा कर नए मेटों का चयन किया जाएगा।

उपरोक्त दिशा-निदेश पूर्व में प्रेषित सभी मेट सम्बंधित दिशा-निदेशों को supersede करेगा। आपसे अनुरोध है कि इन निदेशों से मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों/ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को अवगत कराएं जो शीघ्र सभी मनरेगा कर्मियों व ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को इस पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराएं। मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि तुरंत सभी गाँव-टोलों में मेटों का चयन किया जाए व चयनित मेटों को संलग्न module अनुसार प्रशिक्षित करने के पश्चात् NREGASoft में पंजीकृत किया जाए। विभाग द्वारा प्रति सप्ताह NREGASoft में मेटों के पंजीकरण की प्रगति का आकलन किया जाएगा।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

मनरेगा आयुक्त

राँची, दिनांक

12-5-16

ज़ापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड-III)

(N) 873

प्रतिलिपि - सभी उपायुक्त/प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त

ज़ापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ ग्रा0वि0 (खण्ड-III)

(N) 873

राँची, दिनांक

12-5-16

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त

63
जापांक - 4-1009(NREGA)/2009/ गा0वि0 (खण्ड-III) (M) 873 राँची, दिनांक 12-5-16
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव
को सूचनार्थ प्रेषित।

मन्तरगा आयुक्त।
12/5/16

मेट के तीन दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारूप

प्रतिभागी: चयनित मेट (एक प्रशिक्षण बैच में 40 प्रतिभागी होंगे)

प्रशिक्षक: प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, Cluster Facilitation Team के सदस्य (अनिवार्य रूप से), "स्टेट रीसोर्स टीम" के योग्य सदस्य, अन्य योग्य गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों के सदस्य (प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रशिक्षक आपस में तय कर ले कि कौन प्रशिक्षक कौनसा सत्र लेगा)

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री: तीन-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के आयोजन के लिए प्रशिक्षण स्थल (venue) में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करें (इन सुविधाओं व सामग्रियों की व्यवस्था करना प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेदारी है): बड़ा whiteboard, whiteboard markers, whiteboard मिटाने के लिए duster, projector, laptop, "रोजगार अधिकार यात्रा" फ़िल्म, प्रशिक्षण के दौरान दिखाई जाने वाली PowerPoint presentations, 6 measurement tapes, एक ऐसा डब्बा जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई मापी जा सके, पीने का पानी, प्रतिभागियों के लिए दोपहर व रात के लिए भोजन, नशते व चाय की व्यवस्था, प्रतिभागियों के लिए सोने के लिए गद्दे, चादर व कम्बल व field-work के लिए गाँव जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था

प्रशिक्षण किट की सामग्री: पेन, नोटबुक, मनरेगा पर प्रवेशिका, जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की एक प्रति, काम की मांग की एक प्रति, जॉब कार्ड में दिए गए Schedule of Rates की एक प्रति, 2016-17 के लिए राज्य द्वारा प्रेषित सभी हिन्दी में model estimates, मेट मार्गदर्शिका सम्बंधित विभागीय पत्रांक - (शु) 973/16/2016 12.5.2016

समय	गतिविधि	विवरण	प्रशिक्षकों के लिए सुझाव	गतिविधि में प्रयोग होने वाला प्रशिक्षण "tool"
पहला दिन				
10:15 - 10:30	प्रशिक्षण के प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन व परिचय			रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रशिक्षण किट
10:30 - 11:00	प्रशिक्षण के उद्देश्य व प्रतिभागियों की प्रशिक्षण से अपेक्षा पर चर्चा	प्रतिभागियों के साथ चर्चा	प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताएं व उनसे उनकी प्रशिक्षण से अपेक्षाएं व "क्या सीखना चाहते हैं" पूछें (उनको सोचने के लिए 5 मिनट का समय दें). फिर प्रशिक्षक उनकी अपेक्षाओं को whiteboard पर लिखें, एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य के साथ मिलान करें	प्रतिभागियों के साथ चर्चा
11:00 - 11:30	प्रतिभागियों का योजना बनाओ अभियान व मनरेगा के अनुभव पर चर्चा	प्रतिभागियों के साथ चर्चा	प्रतिभागियों से उनके योजना बनाओ अभियान में हुए नियोजन के अनुभव व उनके गाँव में मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में पूछें. कोशिश करें कि सभी प्रतिभागी अपने अनुभव को बताएं.	प्रतिभागियों के साथ चर्चा
11:30 - 11:40	चाय			
11:40 - 12:25	मनरेगा कानून का इतिहास, मनरेगा में मजदूरों के	फ़िल्म प्रस्तुति - रोजगार अधिकार यात्रा	मनरेगा कानून को पारित करवाने के संघर्ष पर विस्तृत चर्चा करें. चर्चा के लिए विषय - मनरेगा कानून क्यों बना व किसके लिए बना? काम के अधिकार की	फ़िल्म योजना बनाओ अभियान resource DVD में

<p>12:25 - 13:25</p>	<p>अधिकारों, मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका व मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विस्तृत सत्र</p>	<p>आवश्यकता क्यों है? मनरेगा की समानता में समानता एवं न्याय लाने में क्या भूमिका है? उदाहरण के साथ समझाए - जैसे संविधान में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उसी प्रकार काम का अधिकार भी है.</p>	<p>उपलब्ध है</p>
<p>13:25 - 13:55</p>	<p>मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के अधिकारों व मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं पर सत्र</p>	<p>प्रतिभागियों के साथ गाँव में मनरेगा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें एवं मजदूरों के मनरेगा में विभिन्न अधिकारों पर चर्चा करें.</p>	<p>‘मनरेगा में मजदूरों के अधिकार’ पर PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा</p>
<p>13:55 - 14:45</p>	<p>मनरेगा में ग्राम पंचायत की भूमिका</p>	<p>ग्राम पंचायत की मनरेगा योजनाओं के नियोजन, स्वीकृति, कार्यान्वयन व निगरानी में भूमिका पर चर्चा करें. झारखंड सरकार का इस विषय पर पत्र को पढ़ें व उसपर चर्चा करें.</p>	<p>PowerPoint presentation, सरकार का पत्र एवं प्रतिभागियों संग चर्चा</p>
<p>14:45 - 15:15</p>	<p>जॉब कार्ड व काम की माँग की प्रक्रिया</p>	<p>कौन जॉब कार्ड का आवेदन कर सकता है? जॉब कार्ड का आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है व इस प्रक्रिया में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं? चर्चा के पश्चात् सभी प्रतिभागी जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म भरने का अभ्यास करेंगे.</p>	<p>सभी प्रतिभागियों के लिए जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म की प्रिति.</p>
<p>15:15 - 15:45</p>	<p>काम के आवेदन पर चर्चा व उसके फॉर्म को भरने का अभ्यास</p>	<p>काम की माँग करने की प्रक्रिया एवं उसमें आने वाली कठिनाइयाँ चर्चा. चर्चा के पश्चात् सभी प्रतिभागी काम की माँग का आवेदन फॉर्म भरने का अभ्यास करेंगे.</p>	<p>सभी प्रतिभागियों के लिए काम की माँग के आवेदन फॉर्म की प्रिति.</p>
<p>15:45 - 16:45</p>	<p>मनरेगा में काम की माँग से लेकर मजदूरी भुगतान तक की प्रक्रियाओं</p>	<p>मजदूरों द्वारा काम के माँग होने के बाद योजनाओं में काम आवेदन, मस्टर रोल का सृजन व entry, वेतान्सूची, फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) आदि पर विस्तृत चर्चा करें.</p>	<p>PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा</p>
<p>16:45 - 17:00</p>	<p>चाय</p>		
<p>17:00 - 17:45</p>	<p>मेट की भूमिका</p>	<p>प्रतिभागियों के साथ विभागीय पत्रांक xx विस्तार में पढ़ें व उसपर चर्चा करें.</p>	<p>PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा</p>
<p>दूसरा दिन</p>			
<p>09:00 - 09:30</p>	<p>प्रशिक्षण के पहले दिन बताई गई बातों पर चर्चा</p>	<p>प्रतिभागियों संग चर्चा</p>	<p>प्रशिक्षक प्रतिभागियों के साथ पहले दिन के सत्रों में बताई गई बातों पर चर्चा करें. (प्रतिभागियों को 5 मिनट सोचने का समय दें कि उन्होंने पिछले दिन क्या सीखा व उनके मन में कोई सवाल है क्या).</p>

09:30 - 10:30	मस्टर रोल व जॉब कार्ड से परिचय होना व इन्हें भरने का अभ्यास करना	मस्टर रोल व जॉब कार्ड से परिचय होना व इन्हें भरने का अभ्यास करना	सभी प्रतिभागी मस्टर रोल व जॉब कार्ड में "उपलब्ध कराए गए भुगतान की विवरणी" भरने का अभ्यास करेंगे.	सभी प्रतिभागियों के लिए एक खाली मस्टर रोल व जॉब कार्ड के प्रासंगिक पन्नों की प्रतियां
10:30 - 10:45	चाय			
10:45 - 11:30	मापी की इकाई व संरचना के आयाम की विभिन्न इकाइयों (लम्बाई, चौड़ाई व गहराई) पर चर्चा	मापी की इकाई व संरचना के आयाम की विभिन्न इकाइयों (लम्बाई, चौड़ाई व गहराई) पर चर्चा	प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूहों में बांटे व प्रशिक्षण हॉल की इकाइयों (लम्बाई, चौड़ाई व गहराई) की मापी करना सिखाएं.	
11:30 - 12:15	परहलुओं पर विस्तृत चर्चा	संरचना का क्षेत्रफल व आयतन निकालने पर चर्चा	प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हॉल के क्षेत्रफल (floor area) की गणना करना सिखाएं. आयतन (volume) पर चर्चा के लिए एक के बड़े डब्बे का प्रयोग कर सकते हैं.	एक ऐसा डब्बा जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई मापी जा सके
12:15 - 13:00	मजदूरों को प्रति दिन एक हाजरी के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है		-प्रतिभागियों को समझाएं कि मजदूरों को प्रति दिन एक हाजरी के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है (लीड व लिफ्ट अनुसार)	सभी प्रतिभागियों के लिए जॉब कार्ड में दिए गए Schedule of Rates की एक प्रति
13:00 - 14:00	भोजन			
14:00 - 14:00	मनरेगा योजनाओं के तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	जल संचायन व संरक्षण की योजनाओं (डोआ, पोखर, तालाब, मेंढकी, जमीन समतलीकरण आदि) के कार्यान्वयन सम्बंधित तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	डोआ, पोखर व तालाब की खुदाई में ध्यान देने वाली बातों पर गहन चर्चा करें (जैसे स्थल चयन, seepage line पर डोआ/पोखर/तालाब बनाने की आवश्यकता, योजना का लेआउट करना, योजना की सीढ़ी-नुमा खुदाई, तालाब व berm (मेंढ) के बीच की दूरी आदि)	PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा
14:00 - 16:00	मनरेगा योजनाओं के तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	पशुपालन सम्बंधित योजनाओं (बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शैड के लिए पक्का फर्श आदि) के कार्यान्वयन सम्बंधित तकनीकी बिन्दुओं पर चर्चा	इन बिन्दुओं पर विशेष चर्चा करें - पशु घर बनाने में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है, कितने मात्रा में सामग्री का प्रयोग होता है, rat-trap bond तकनीक से ईंटों की जुड़ाई आदि)	PowerPoint presentation एवं प्रतिभागियों संग चर्चा

16:00 - 16:15	चाय		जल संचायत व संरक्षण योजनाएं (डोभा, पोखर, तालाब, मेढ़बंदी, जमीन समतलीकरण आदि) व पशुपालन सम्बन्धित योजनाएं (बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शेड के लिए पक्का फर्श आदि) के तकनीकी प्राक्कलनों पर चर्चा करें. प्रत्येक प्राक्कलन में मनरेगा कानून अनुसार कार्य-स्थल पर मिलने वाली सुविधाओं के उल्लेख के विषय में चर्चा करें	2016-17 के लिए राज्य द्वारा भिन्न सभी हिन्दी में model estimates
16:15 - 17:15	योजनाओं के तकनीकी प्राक्कलन पर चर्चा			
तीसरा दिन (सब प्रतिभागी सुबह 8 बजे तक तय किए गए कार्यस्थल पहुंचें. कोशिश करें कि प्रतिभागियों को डोभा या तालाब के कार्यस्थल पर ले जाएं)				
08:00 - 10:00	कार्यस्थल पर होने वाली गतिविधियों व मेट की भूमिका पर चर्चा व प्रदर्शन		प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूह में बांटे व निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करें - मस्टर रोल में हाजरी चढ़ाना, मजदूरों के जॉब कार्ड पर उनके कार्य का विवरण चढ़ाना, कार्य की मापी करना, कार्यस्थल सुविधाएं सुनिश्चित करना आदि.	
10:00 - 12:00	योजनाओं का ले-आउट करने का अभ्यास करना		प्रतिभागियों को 7-8 लोगों के समूह में बांटे व निम्नलिखित योजनाओं के ले-आउट का अभ्यास करवाएं - डोभा, पोखर, तालाब, जमीन समतलीकरण, बकरी घर, मुर्गी घर, गाय शेड के लिए पक्का फर्श आदि	
12:00 - 13:00	fieldwork के अनुभव पर चर्चा		fieldwork के अनुभव व सीख पर चर्चा करें. यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागी मजदूरों के अधिकारों व कार्यस्थल पर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मेट द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका को अच्छे से समझें.	
13:00 - 14:00	तैन-दिवसीय मेट प्रशिक्षण के अनुभव पर चर्चा		प्रशिक्षण के अनुभव व सीख पर चर्चा करें. (प्रतिभागियों को सोचने के लिए 5 मिनट का समय दें). उनसे यह भी पूछें कि वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मजदूरों को उनके अधिकार मिलें.	
13:00 - 14:00	भोजन			

मनरेगा में बन रहे डोभों की जांच के लिए चेकलिस्ट

चेकलिस्ट भरने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम: / _____ /

ज़िला: / _____ /; प्रखंड: / _____ /

ग्राम पंचायत: / _____ /; गाँव: / _____ /

इस गाँव में कितने डोभे स्वीकृत हैं: / _____ /; चालू हैं: / _____ /; पूर्ण हैं / _____ /

निरीक्षण हो रहे डोभे का workcode (MIS के अनुसार): / _____ /

निरीक्षण हो रहे डोभे का नाम (MIS के अनुसार): / _____ /

सबसे पहले योजना का भौतिक निरीक्षण करें और इस चेकलिस्ट का भाग 1 भरें. स्थल पर जाने से पहले प्रखंड प्रशासन से योजना के लिए निर्गत सब मस्टर रोल की original कॉपी आपके निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने को कहे. कार्यस्थल की एक फोटो भी ले. अगर स्थल पर अभी तक डोभा बनना शुरू नहीं हुआ है, तो डोभे के प्रस्तावित स्थल की फोटो ले. जब सब योजनाओं का भौतिक निरीक्षण हो जाए, तब प्रखंड कार्यालय में सम्बंधित दस्तावेजों की जांच व ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बात करने के बाद भाग 2 भरें.

ऐसा हो सकता है कि अगर डोभे पर वास्तव में काम शुरू नहीं हुआ है पर उसके फर्जी मस्टर रोल बन गए हैं, तो स्थानीय कर्मचारी/पदाधिकारी आपको कोई अन्य डोभा दिखाने की कोशिश करेंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही डोभे का निरीक्षण कर रहे हैं, डोभे के लाभार्थी व डोभे पर काम कर रहे या पूर्व में काम किए मजदूरों से बात करने की कोशिश करें.

डोभे के निरीक्षण के अतिरिक्त गाँव में मजदूरों के साथ निम्न मुद्दों पर चर्चा करें:

- क्या मनरेगा में काम करने के इच्छुक सभी परिवारों के पास जॉब कार्ड है?
- क्या मनरेगा में काम करने के इच्छुक सब जॉब कार्डधारी मजदूर काम की मांग कर रहे हैं?
- क्या काम की मांग कर रहे मजदूरों को 15 दिनों के अन्दर काम मिल रहा है?
- क्या मनरेगा मजदूरों को उनके द्वारा पहले किए गए काम का पूरा भुगतान मिला है?

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड प्रशासन से निम्न सवाल पूछें:

- क्या ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रखंड प्रशासन द्वारा मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति व मनरेगा में ग्राम पंचायतों की भूमिका पर सरकारी आदेशों की प्रति मिली है? अगर नहीं तो क्यों?
- क्या ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं की सूची मिली है? नहीं तो क्यों?
- क्या स्वीकृत योजनाओं का पंचायत भवन पर दीवाल लेखन हुआ है?
- अभी ग्राम पंचायत में कितनी योजनाएं चल रही हैं? इन सभी योजनाओं के अभिलेख की जांच करें.

भाग 1: डोभे का भौतिक निरीक्षण

1.	क्या स्थल पर डोभा बनना शुरू हो गया है? [1 = हाँ, डोभा बन रहा है; 2 = हाँ, डोभा पूरा भी हो गया है; 3 = नहीं, अभी तक डोभा बनना शुरू नहीं हुआ है; 9 = अस्पष्ट]			
2.	डोभा किस ज़मीन पर बन रहा है / डोभे का प्रस्तावित स्थल कहाँ है? [1 = निचले धान खेत (दोन) में; 2 = मध्यम वर्गीय धान खेत (बैद) में; 3 = ऊपरी ज़मीन में; 4 = बाड़ी ज़मीन]			
3.	योजना के मस्टर रोल पर जिन मजदूरों के नाम हैं, उनसे मिले और पूछें कि क्या उन्होंने वास्तव में उस योजना पर काम किया है या नहीं. उनके जवाबों के अनुसार यह तालिका भरें:			
	योजना के लिए निर्गत हुए मस्टर रोल नंबर (उदाहरण के लिए 1139)	मस्टर रोले की अवधि (उदाहरण के लिए 14/05/2016 से 19/05/2016)	मस्टर रोल पर कितने मजदूरों का नाम है (उदाहरण के लिए 7)	वास्तव में कितने मजदूरों ने काम किया/कर रहे हैं (जवाब ग्रामीणों से मांगें, न कि रोजगार सेवक या पंचायत सेवक से)

अगर डोभे पर काम शुरू नहीं हुआ है तो इस भाग के बाकी प्रश्न छोड़ दे और भाग 2 को भरे.	
4.	डोभे की वास्तविक लम्बाई, चौड़ाई व अब तक की गहराई कितनी है? [टेप से नापी करके उत्तर लिखें] लम्बाई: / _____ / फीट; चौड़ाई: / _____ / फीट; अभी तक की गहराई: / _____ / फीट
5.	क्या डोभा सीढ़ीनुमा बना है? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 9 = अस्पष्ट]
6.	अगर डोभा सीढ़ीनुमा बना है, तो अभी तक कितनी सीढ़ियाँ बनी हैं? / _____ / सीढ़ियाँ
7.	सीढ़ी की चौड़ाई व उचाई कितनी है? चौड़ाई: / _____ / फीट; उचाई: / _____ / फीट
8.	क्या सब सीढ़ियों का slope 1:1 के अनुपात में हैं? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 3 = कुछ का है, कुछ का नहीं; 9 = अस्पष्ट]
9.	अगर सब सीढ़ियों का slope 1:1 के अनुपात में नहीं है, तो आपकी राय में इसका क्या कारण है? क्या डोभा बनाने में मशीन का प्रयोग किया गया है? विस्तार में लिखें.
10.	आपकी राय में डोभे की खुदाई कैसे की गई है? [उपर्युक्त जवाब के सामने ✓ का निशान लगाए] डोभे में चारों ओर मज़दूरों ने चौंके के अनुसार एक प्रकार समतल खुदाई की है / _____ / एक प्रकार की समतल खुदाई नहीं दिख रही है, कहीं कम कहीं अधिक खुदाई की गई है / _____ / खुदाई में JCB/poclaim मशीन के निशान दिख रहे हैं / _____ /
11.	डोभे और उसकी मेढ़ के बीच कितनी दूरी है? [फीट में लिखें] / _____ / फीट
12.	क्या उपरी मेढ़ में पानी घुसने के लिए इनलेट व निचली मेढ़ में पानी निकलने के लिए आउटलेट बनाया गया है? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 9 = अस्पष्ट]
13.	क्या डोभे के चारों ओर की मेढ़ की ड्रेसिंग व compacting की गई है? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 3 = कहीं की गई है और कहीं नहीं; 9 = अस्पष्ट]
14.	अगर डोभा पूर्ण (physically complete) हो गया है, तो मस्टर रोलों के अनुसार डोभे के निर्माण में कुल कितने मानव-दिवस सृजित हुए हैं? / _____ / मानव-दिवस
15.	क्या योजना के लिए कोई मेट नियुक्त हुआ है? [1 = हाँ, ग्राम सभा द्वारा चयनित मेट; 2 = हाँ, पर लाभुक को ही मेट नियुक्त कर दिया गया है; 3 = नहीं]
16.	मेट स्त्री है या पुरुष? [1 = स्त्री; 2 = पुरुष; 9 = योजना के लिए कोई मेट नियुक्त नहीं हुआ है]
17.	क्या कार्यस्थल पर योजना की जानकारी का बोर्ड है? [1 = हाँ; 2 = नहीं]
अगर आपके कार्यस्थल पहुंचने के समय मज़दूर डोभे पर काम नहीं कर रहे थे, तो इस भाग के बाकी प्रश्न छोड़ दे और भाग 2 भरे.	
18.	क्या कार्यस्थल पर मस्टर रोल उपलब्ध था? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 9 = अस्पष्ट]
19.	अगर नहीं है, तो मेट/रोज़गार सेवक के अनुसार मस्टर रोल कार्यस्थल पर क्यों नहीं उपलब्ध है? [1 = मस्टर रोल issue नहीं हुआ है; 2 = issue हुआ मस्टर रोल कार्यस्थल पर नहीं दिया गया है; 3 = कोई अन्य कारण (स्पष्ट करें _____); 9 = अस्पष्ट]
20.	क्या कार्यस्थल पर काम कर रहे सभी मज़दूरों के नाम मस्टर रोल में दर्ज है? [1 = हाँ; सभी मज़दूरों के नाम मस्टर रोल में दर्ज हैं; 2 = नहीं, कुछ ही मज़दूरों के नाम मस्टर रोल में दर्ज हैं; 3 = नहीं, किसी भी मज़दूर का नाम मस्टर रोल में दर्ज नहीं है; 4 = मस्टर रोल कार्यस्थल पर नहीं है; 9 = अस्पष्ट]
21.	क्या काम कर रहे सभी मज़दूरों का जॉब कार्ड बना है? [1 = हाँ; सभी मज़दूरों का जॉब कार्ड बना है और उनके पास है; 2 = हाँ, लेकिन कुछ/सभी मज़दूरों के जॉब कार्ड मेट / बिचौलिया / रोज़गार सेवक के पास है; 3 = नहीं, किसी / कुछ मज़दूरों का जॉब कार्ड नहीं बना है; 9 = अस्पष्ट]

	क्या मज़दूरों द्वारा कोढ़ा गया चौका SoR के अनुसार है? [1 = हाँ; 2 = नहीं, मज़दूर 10X10X1 का चौका कोढ़ रहे हैं; 3 = नहीं, मज़दूरों द्वारा बिना चौका ले-आउट किए काम करवाया जा रहा है; 9 = अस्पष्ट]
23.	कार्यस्थल पर नीचे लिखी कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? आराम करने की छाया का प्रबंध / _____ / पीने का पानी / _____ / प्राथमिक उपचार के लिए दवाई / _____ / बच्चों की देखभाल की सुविधा / _____ / बच्चों के लिए सत्तू / _____ / योजना की जानकारी पर बोर्ड / _____ /

भाग 2: डोभे से सम्बंधित दस्तावेजों की जांच

24.	क्या इस योजना का अभिलेख बना है? [1 = हाँ; 2 = नहीं; 9 = अस्पष्ट] अगर नहीं, तो क्यों?																																								
25.	अगर डोभे का अभिलेख बना है, तो क्या उसमें निम्न दस्तावेज हैं? (उत्तर स्वयं अभिलेख की जांच करने के बाद लिखें) वार्ड सदस्य/पारंपरिक प्रधान द्वारा सत्यापित लाभुक का घोषणा पत्र / _____ / वार्ड सदस्य/पारंपरिक प्रधान द्वारा सत्यापित राजस्व नक्शा / नजरी नक्शा / _____ / वार्ड सदस्य/ पारंपरिक प्रधान द्वारा सत्यापित खतियान / माल गुजारी रसीद / _____ / योजना स्थल पर लाभुक के साथ फोटो / _____ / तकनीकी प्रतिवेदन / तकनीकी स्वीकृति / _____ / प्रशासनिक स्वीकृति (चेक स्लिप में) / _____ /																																								
26.	अभी तक डोभे के लिए निर्गत आखिरी चार मस्टर रोल की जांच करने के बाद निम्न सवालों के उत्तर लिखें:																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">मस्टर रोल संख्या</th> <th rowspan="2">क्या आपके निरीक्षण के लिए प्रखंड द्वारा मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया? (अगर नहीं तो कारण लिखें)</th> <th colspan="5">क्या मस्टर रोल पर निम्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं?</th> </tr> <tr> <th>BPO</th> <th>रोज़गार सेवक</th> <th>मेट</th> <th>वार्ड सदस्य</th> <th>पंचायत सेवक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	मस्टर रोल संख्या	क्या आपके निरीक्षण के लिए प्रखंड द्वारा मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया? (अगर नहीं तो कारण लिखें)	क्या मस्टर रोल पर निम्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं?					BPO	रोज़गार सेवक	मेट	वार्ड सदस्य	पंचायत सेवक																												
मस्टर रोल संख्या	क्या आपके निरीक्षण के लिए प्रखंड द्वारा मस्टर रोल उपलब्ध कराया गया? (अगर नहीं तो कारण लिखें)			क्या मस्टर रोल पर निम्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं?																																					
		BPO	रोज़गार सेवक	मेट	वार्ड सदस्य	पंचायत सेवक																																			
27.	निम्न सवाल उन मस्टर रोलों के लिए हैं जिनकी अवधि पूर्ण हुए कम से कम पांच दिन हो गए हैं:																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>मस्टर रोल संख्या</th> <th>क्या इस मस्टर रोल पर लिए गए काम की मापी हो गई है? अगर नहीं तो क्यों?</th> <th>अगर हाँ, तो क्या सम्बंधित measurement book आपकी जांच के लिए उपलब्ध थी? अगर नहीं, तो क्यों?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	मस्टर रोल संख्या	क्या इस मस्टर रोल पर लिए गए काम की मापी हो गई है? अगर नहीं तो क्यों?	अगर हाँ, तो क्या सम्बंधित measurement book आपकी जांच के लिए उपलब्ध थी? अगर नहीं, तो क्यों?																																					
मस्टर रोल संख्या	क्या इस मस्टर रोल पर लिए गए काम की मापी हो गई है? अगर नहीं तो क्यों?	अगर हाँ, तो क्या सम्बंधित measurement book आपकी जांच के लिए उपलब्ध थी? अगर नहीं, तो क्यों?																																							

पंचायत की ongoing water conservation and water harvesting योजनाओं की सूची में डोभा की योजनाएं गिनें। अगर आपके अनुसार इन योजनाओं की संख्या कम है (हर गाँव में मॉनसून से पहले कम से कम पांच डोभे बनने हैं) तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका कारण पूछें।

प्रखंड प्रशासन से उनके अनुसार भौतिक रूप से पूर्ण सब डोभों के workcodes देने को कहें।

CFT monitoring strategy in Jharkhand

The CFT monitoring strategy in Jharkhand has evolved over the months. Initially, the CSO partners were reviewed on a self reported Monthly Progress Report. The district administration was reviewed separately. However, something seemed amiss. Self reported data could not be verified, and there were cases of data inflation. The CFT project is unique in the way it brings the block administration and CSO together to create an ecosystem for better implementation of MGNREGA. At the state level, monitoring of districts on CFT performance was leading to a transmission loss in communication with perhaps the most important stakeholders in the project – the block administration.

The review mechanism was revamped recently. The state now directly reviews the blocks directly on CFT project. Also, the block administration and CSO partner for CFT projects in respective blocks are reviewed jointly at the state headquarters. So, from each block, for the monthly CFT review, the following people are called for the review: Block Development Office, Block Project Officer – MGNREGA, District Project Officer – MGNREGA, CFT member working in the block and the MoU signatory for the respective CSOs.

The monthly review happens on verifiable data reported by CSOs and parameters from MIS. The CSOs are asked to submit a set of MS excel based formats, which is then analysed by CFT cell at state level. The monitoring formats submitted by CSO include:

- Data on new job cards made. The CSOs share the list of new job cards made with their help. This data is checked for duplication of job card numbers, and random checks are made on MIS to verify the job card numbers submitted.
- Data on SHG mates: This format collates information on the SHG mates trained, registered on MIS, deployed for work and the status of payment, for the SHG mates who have been deployed for work.
- Data on structures completed: The list of structures completed with help from CFT members is enlisted in this format. The format collects information on name of the work, its work code and whether the scheme has been marked as 'complete' in the

MIS. Additionally, CSOs are also requested to send photographs of structures they are reporting as complete.

- Data on CFT members: This format collects information on the human resources engaged for the CFT project in the block by the CSO. The template gives out the names, gender, designation and contact details of CFT personnel working in the block.
- Data on bank accounts: Details regarding name of worker whose bank account has been opened/collected by CFT, bank account number, whether the bank account has been frozen in MIS or not and the job card number are collected in this format.

For each block, GP level data is derived from MIS by the state MIS team. The parameters reviewed from MIS data include:

- Total Workers, Total Active Workers, percentage of active workers, Aadhaar percentage, Aadhaar Verified, Workers having bank account, Percentage of bank account, Unskilled Labour engaged, Total works started, No. Of Ongoing Works, Total No. of Villages and Average works per village
- PDs generated, Average PDs per HH, percentage ST participation, percentage SC participation, percentage Women participation, no. of disabled individual participation, Pending MR, Percentage of Zero Filled MR, Percentage of MB entry, Percentage of scheme completion, Percentage of delayed wage payment against total wage payment and Unemployment allowance payable PDs

Thus, a final report sheet for each CFT block is prepared by incorporating information that is derived from formats by CSOs and MIS data. This helps present a picture of overall functioning of the CFT project in the block. For the review, both CFT CSO and block administration is present. Block wise report sheets are presented and issues are flagged. The review also helps in clear demarcation of the role of both the stakeholders, the block and CSO, who need to work as complementary partners to bring out the best from the project.

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक- 14-001/प्राक्कलन/2015/ग्रा0 वि0 (N) 651 (असु0) राँची, दिनांक 31.3.16
प्रेषक,

मनरेगा आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सगी उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड।

विषय :- MGNREGA से निर्मित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार की योजनाओं के निर्माण हेतु Model प्राक्कलन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के योजनाओं के निर्माण का Model प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। प्राक्कलन विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in एवं www.ippejharkhand.org पर अपलोड कर दिया गया है जिसे आवश्यकतानुसार download कर स्थल के अनुरूप प्राक्कलन तैयार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनुरोध है कि अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

Model प्राक्कलन की सूची निम्न है :-

Sl. No.	Type of Schemes	Sl. No.	Type of Schemes
1	24'x30'x10' (Farm Pond/ Dobha)	11	80'x100'x10' (Farm Pond/ Dobha)
2	30'x30'x10' (Farm Pond/ Dobha)	12	100'x100'x10' (Farm Pond/ Dobha)
3	36'x36'x10' (Farm Pond/ Dobha)	13	Cattle Proof Trench (CPT)
4	36'x40'x10' (Farm Pond/ Dobha)	14	Farm Bunding
5	40'x40'x10' (Farm Pond/ Dobha)	15	Land levelling with Farm Bunding
6	40'x50'x10' (Farm Pond/ Dobha)	16	30x40 model
7	50'x50'x10' (Farm Pond/ Dobha)	17	Staggered Contour Trench
8	50'x60'x10' (Farm Pond/ Dobha)	18	Gully Plug
9	60'x60'x10' (Farm Pond/ Dobha)	19	Loose Boulder/Rock Check Dam
10	60'x80'x10' (Farm Pond/ Dobha)		

अनुमोदन - सञ्चालक।

विश्वासभाजन

मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापक :- 14-001/प्राक्कलन/2015/ग्रा0 वि0 (N) 651 राँची, दिनांक 31.3.16
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आर. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

मनरेगा आयुक्त।

31/3/16

फार्म तालाब/डोभा साइज 24'X30'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरों का भुगतान स्वरूप


	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	19.73	19	167.00	3173.00
2 से 5 फीट	25.78	26	167.00	4342.00
5 से 8 फीट	21.19	21	167.00	3507.00
8 से 10 फीट	7.72	8	167.00	1336.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	3.84	4	167.00	668.00
मजदूरों को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	8.03	8	167.00	1336.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	88.28	88	167.00	14696.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	4.00		185.07	740.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				16386.00

[Handwritten signature]


supported by
M.S.
RDD, Maninagar

324

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 24'X30'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 24'X30'X10'



SI.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	30	24
2	2nd Layer	26	20
3	3rd Layer	22	16
4	4th Layer	18	12
5	5th Layer	14	8

[Handwritten signature]
3/3/16

Supported by
[Handwritten signature]
BDD, Planning Cell

77

(225)

**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE FARM
POND AND DOBHA OF 24'x30'x10'**

Sl. No.	Items of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	74.42	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I	3.84	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	8.03	m.d		
	Total Labour (Uskd):	88.28	m.d		
	Say:-	88.00	m.d	167.00	14696.00
	(ii) Mate (labour rate min Rs.135+ DA 50.07=Rs. 185.07)	4.00	Nos	185.07	740.28
	(iii) Contingencies:				
	Signboard		L.S		500.00
	Photography		L.S		100.00
	First Aid Box		L.S		100.00
	Temp. Shed		L.S		250.00
	Total:-				16386.28
	Say:-				16386.00

Total Labour-days:-	88.00	m.d
Labours:-	95.20	%
Materials:-	4.80	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mesh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs. 16386.00
(Rupees Sixteen Thousand and Three hundred Eighty Six) only

(Signature)
(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

Supported by
(Signature)
RDD, Planning Cell

221

DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 24'x30'x10'

Sl.No.	Details of items	Labour-days Unit																				
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2 00 md																				
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/																					
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>1440</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>1040</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>22</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>352</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	30	24	2	1440	1	26	20	2	1040	1	22	16	1	352	
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	30	24	2	1440																		
1	26	20	2	1040																		
1	22	16	1	352																		
	(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth @ 1 md /73 cft	1440 19.73 md																				
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth @ 1 md /54 cft	1392 25.78 md																				
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>432</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	22	16	1	352	1	18	12	2	432						
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	22	16	1	352																		
1	18	12	2	432																		
	Very Hard soil 5-8ft depth @ 1 m.d /37 cft	784 21.19 md																				
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>224</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	14	8	2	224											
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	14	8	2	224																		
	Very Hard soil 8-10ft depth @ 1 m.d /29 cft	7.72 md																				
	Total Labour-	74.42 md																				
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do... E/																					
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 3840																					
	Labour:- 1 no. per 1000 cft	3.84 md																				
	Total Labour-days (1+2+3):-	80.26 md																				
4	PROVISION AS PER MGNREGA																					
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour	4.01 md																				
ii.	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour	4.01 md																				
	Grand Total																					
	(Uskd) :	88 28 md																				
	Say:-	88.00 md																				
5	(ii) Mate :- @ 1No /20 no of labour	4 40 Nos																				
	Say:-	4.00 Nos																				


31/3/16

1

Supported by
M.S.
RDD, Planning
cell

करA बिंदु की दिशा मे 3 feet/meter की दुरी पर जो बिन्दु मिलेगा उसे तय करना होगा और उसी बिन्दु के उपर से बाद मे डोभा की चौडाई की ओर लाइन लीचना होगा. ठिक ईसी तरह चौडाई की ओर से समकोण (Right-angle/90 degree) बनाने हुए लाइन को जोड़ना होगा. सही आकलन के लिये एकबार विपरीत दिशा के दो बिन्दु की दुरी (length of diagonal-axis)को मेल करना आवश्यक है. ये हमेशा एक समान होना चाहिए.

1. 2 फीट गड्ढा होने के बाद (चौडाई और लम्बाई की ओर से) हर कोने से २फीट की दुरी मे फिर से एक बिन्दु चिन्हित करना है और फिर उनको सीधा सीधा जोड़ना है. इसके लिये मजदुर 2 फीट की पांच लकरी का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कर पाएँगे (निचे दिये हुए तस्वीर का सहारा ले) इसप्रक्रिया को एकदम सबसे नीची सतह तक बार बार दोहराना है.



Top-View/PLan (Lay-out, not to scale)

2. खुदाई के बाद मिट्टी हमेशा डोभा के किनारे से 3 फीट से 5 फीट की दुरी पर ही रखना है. मेट कार्यस्थल पर ये निश्चित करे की मजदुर पहले दुर से मिट्टी को रखते हुए धीरे धीरे नजदीक की ओर आये . इस तरह से मिट्टी रखने से बाद मे मेड का समतल, ड्रेसिंग एवं धुरमुस(compacting) भी अच्छे से होना है.
3. जहाँ निचले जमीन मे ये डोभा बन रहे हो वहाँपर किनारे की चौडाई की तरफ 1फीट से 2फीट का ऊँचा मेड (खुदाई से निकला अति कडी/पत्थर का इस्तेमाल करे) से बांध दे, ताकि पानी भरने के बाद खेत और डोभा को अलग से समझने मे आसानी हो.

.....

Supported by
M.S.B
ROD Planning Cell


विनेश कुमार 23/3/16

(3/2/16)

डोभा/तालाब/जलकुण्ड का निर्माण शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें
(सभी आकार के संरचनाओं के लिए)

डोभा/तालाब/जलकुण्ड कहाँ बनाए

1. अगर डोभा/तालाब/जलकुण्ड मध्यम वर्गीय ज़मीन (जिसे बैद या 2 नम्बर ज़मीन भी कहाँ जाता है) में बनाना हो तो उस ज़मीन के ऊपरी हिस्से के दाएँ या बाएँ कोने में बनाए जिससे ज़मीन के निचले हिस्से में नमी बना रहता है. इसमें केवल वर्षा जल ही संग्रह होगा.
2. अगर डोभा/तालाब/जलकुण्ड निम्नवर्गीय ज़मीन (जिसे बड़हर, दोन या 1 नम्बर ज़मीन भी कहाँ जाता है) में बनाना हो तो उस ज़मीन के निचले हिस्से के दाएँ या बाएँ कोने में बनाए ताकि ज़मीन के ऊपरी हिस्से से रिसता हुआ पानी को डोभे आदि में इकट्ठित किया जा सके. ऐसी ज़मीन पर बने डोभे (जिसे चुआँ डोभा, seepage tank या seepage well भी कहाँ जाता है) में साल भर पानी रहेगा जिससे गर्मी में गरमा फसल की भी सिंचाई हो सकती है.



डोभा/तालाब/जलकुण्ड का ले- आऊट(Not to Scale):

डोभा/तालाब/जलकुण्ड खोदने से पहले उसका ठीक से लेआऊट (layout) करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मापी लेने का फीता (measurement tape), रस्सी और चूने की व्यवस्था करें

फिर ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार ज़मीन के किसी भी मेढ से 5 फीट (अगर ज़मीन का आकार छोटा है तो 3 फीट) की दूरी पर चूने से रेखा खींचें (चित्र में बनी रेखा जो A से शुरू होकर B में समाप्त होती है). इस रेखा को बेसलाइन (baseline) कहते हैं. फिर उस रेखा पर A से लेकर 4 फीट या 4 मीटर की दूरी पर बिन्दु C चिन्हित करें.

अब उस बिन्दु से 5 feet/meter की दुरी डोभा की चौड़ाई की दिशा में ले के फिर A बिन्दु से 3 feet/meter मेल कराना हैं (A बिन्दु से कुल दुरी होगी 4+5+3 feet/meter=12 feet/meter). ध्यान रखने वाली बात ये है A बिन्दु और 'baseline' की उपर 4 feet/meter पर लिए गये C बिन्दु को fixed


Submitted by
M.S.
RDD, Planning
cell

3/2/16
दिनेश

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 30'x30'x10'**

Sl.No.	Details of items	Labour-days Unit																				
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00 m.d																				
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil... do...E/I																					
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>2</td> <td>1800</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>2</td> <td>1352</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>1</td> <td>484</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	30	30	2	1800	1	26	26	2	1352	1	22	22	1	484	
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	30	30	2	1800																		
1	26	26	2	1352																		
1	22	22	1	484																		
	(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth	1800																				
	@ 1 m d /73 cft	24.66 m d																				
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth	1836																				
	@ 1 m.d /54 cft	34.00 m.d																				
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>1</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>648</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	22	22	1	484	1	18	18	2	648						
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	22	22	1	484																		
1	18	18	2	648																		
	Very Hard soil 5-8ft depth	1132																				
	@ 1 m d /37 cft	30.59 m d																				
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>																					
	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No</th> <th style="text-align: left;">L(ft)</th> <th style="text-align: left;">B(ft)</th> <th style="text-align: left;">D(ft)</th> <th style="text-align: left;">Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>2</td> <td>392</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	14	14	2	392											
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																		
1	14	14	2	392																		
	Very Hard soil 8-10ft depth	13.52 m d																				
	@ 1 m d /29 cft																					
	Total Labour-days	102.77 m.d																				
3	Labour required for clods breaking & rough dressing... do... E/I																					
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 5160	5 16 m d																				
	Labour:- 1 no. per 1000 cft																					
	Total Labour-days	109.93 m d																				
	(1+2+3):-																					
4	PROVISION AS PER MGNREGA	5.50 m d																				
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour	5.50 m d																				
ii	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour																					
	Grand Total (Uskd):	120 92 m d																				
	Say:-	121.00 m d																				
5	(ii) Mate :- @ 1No. /20 no. of labour	6.05 Nos																				
	Say:-	6.00 Nos																				

Supported by
B.S.
RDD, Planning Cell


 दिनेश कुमार शर्मा
 महाजन, अजमेर

221 22

ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 30'x30'x10'

Sl. No.	Items of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do.. E/l	102.77	m d		
3	Labour required for cluds breaking & rough dressingdo..... E/l	5.16	m d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	10.99	m d		
	Total Labour (Uskd):	120.92	m d		
	Say:	121.00	m d	167.00	20207.00
	(ii) Male (labour rate min Rs 135+ DA 50.07=Rs. 185.07)	6.00	Nos	185.07	1110.42
	(iii) Contingencies:				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				22267.42
	Say:-				22267.00

Total Labour-days:-	121.00	m d
Labours:-	94.79	%
Materials:-	5.21	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merh bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs . 22267.00
 (Rupees Twenty two thousand and Two hundred sixty seven) only

[Signature]
 23/3/16
 (Assistant Engineer)
 MGNREGA Cell
 Ranchi (Jharkhand)


Supported by
[Signature]
 RDD, Planning Cell

(220)
83

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 30'X30'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 30'X30'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	30	30
2	2nd Layer	26	26
3	3rd Layer	22	22
4	4th Layer	18	18
5	5th Layer	14	14

21/3/16

Supported by
M.A.S.
RDD, Planning Cell

212
84

फार्म तालाब/झंझा साइज 30'X30'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	24.66	25	167.00	4175.00
2 से 5 फीट	34.00	34	167.00	5678.00
5 से 8 फीट	30.59	30	167.00	5010.00
8 से 10 फीट	13.52	14	167.00	2338.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	5.16	5	167.00	835.00
मजदूरी को पानी पिन्नाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए.	10.99	11	167.00	1837.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	120.92	121	167.00	20207.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	6.00		185.07	1110.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				22267.00

दिनेश कुमार शर्मा
सहायक अभियंता

Supported by
MAB
RDD, Manning Cell

उपरी जमीन में मिट्टी एवं जल संरक्षण के लिए 30 X 40 मॉडेल

तकनीकी प्रतिवेदन

8 प्रतिशत से कम ढलान वाले बिना मेंडबंदी किए हुए इलाकों में भूक्षरण रोकने एवं वर्षा जल का जमीन में अंतःस्त्रवण बढ़ाने के लिए 30 X 40 मॉडेल को बनाया जाता है। इस मॉडेल में बनने वाली संरचनाओं के कारण वर्षाजल से होने वाला भूक्षरण रुक जाता है और रुका हुआ पानी एक छोटे गड्ढे से जमीन में समा जाता है। इससे भूक्षरण रुकता है और जमीन में नमी बढ़ती है।

निर्माण के सिद्धान्त

टांड या उपरी जमीन जिसमें मेंडबंदी नहीं हुई है और जिसकी ढलान 3-8 प्रतिशत है उस जमीन पर 30 X 40 मॉडेल का निर्माण किया जाता है।

किसी बड़े इलाके को 30X40 मॉडेल से उपचारित करने के लिए उसे ढलान की दिशा में 30 फीट लम्बे और ढलान के क्षैतिज दिशा में 40 फीट चौड़े टुकड़े में बाँट दिया जाता है। बाँटने के लिए मेढ़ बनायी जाती है। मेढ़ बनाने के लिए मिट्टी इसी 30X40 फीट के टुकड़े के अन्दर में 100 cft आकार का एक गड्ढा बना कर लिया जाता है। यह गड्ढा टुकड़े के सबसे नीचले कोने में बनाया जाता है।


इस मेढ़ बंदी के कारण वर्षा जल से होने वाला भूक्षरण रुक जाता है एवं पानी 100 cft के गड्ढे में जमा होकर जमीन में समा जाता है, जिससे भूजल के स्तर में वृद्धि होती है।


इस बात पर ध्यान रखना चाहिए की यह संरचना किसी एक बड़े इलाके (Patch) को उपचारित करने के लिए बनायी जाती है। उदाहरण स्वरूप, 1 हेक्टेयर इलाके को इस मॉडेल से उपचारित करने के लिए 30X40 आकार के 90 संरचनायें बनायी जाती हैं।

प्रत्याशित फायदा

इस संरचना के कारण उपरी जमीन में भूक्षरण रुक जाता है, भूजल स्तर में वृद्धि होती है और इस उपचारित क्षेत्र में लगाये हुए पेड़-पौधों से हरियाली बढ़ती है और लोगों को आमदनी प्राप्त होती है।

अगर मिट्टी की गहराई 3m से अधिक है, तो फलदार पौधे (जैसे आम, सरीफ इत्यादी) भी लगाये जा सकते हैं और अगर मिट्टी की गहराई 3m से कम हो तो जंगली पौधे जैसे अर्जुन, सुबबूल इत्यादी लगायी जा सकती है। इन पेड़ों से जलावन की लकड़ी के साथ-साथ नगद आये भी हो सकती है।


विनेश कुमार त्यागी/3/16
सहायक अभियंता

Supported by

M.S.D., Planning Cell

DETAILED MODEL ESTIMATE of 30X40 MODEL FOR In-Situ 'Soil and Moisture Conservation'

162
26

in upland (1 Hectare)

Item	No.	Unit	
Treatment Area:		1 Ha	
Treatment Area in Sqft (calculating on 1 Ha=10000 Sqm.; 1 Sqmtr.=10.764 Sqft):	107640	Sqft	
Area of each 30'x40' plot:	1200	Sqft	
Number of plots in one hectare:	90	Nos	
TOP WIDTH OF BUND:	1	ft	
HEIGHT OF BUND:	1	ft	
SLOPE of theBund (in Ratio):	2:1		
WIDTH OF BOTTOM BUND =	2	ft	
C/S AREA OF BUND (0.5x (d+g)Xe) =	1.5	Sqft	
PERIMETER OF BUND in running feet (i.e. 'Across the slope' & 'Along the slope' bund of 40' and 30' respectively for each 30'x40' plot area):	6300	ft	
Total volume of soil required to strengthen the the bunds for whole plot as per specification:	9450	cft	
Sl. No. Detail of Item			Labour D Unit
1 Labour required for site clearance and bush cutting (Lumpsum):			5 00 md

2 E/W in excavation of pit.....do.....E/I

(i) 1ft 0'00" to 3'00" lead upto 50'00" for 1 pit

Description	LENGTH(ft)	WIDTH(ft)	DEPTH(ft)	QUANTITY (cft)
Upto 1 ft depth	7	7	1	49
Upto 2 ft depth	6	6	1	36
Upto 3 ft depth	5	5	1	25
Therefore, Volume of one pit:				110

9900

Therefore, Total E/W in 90 plots of 1 Ha area:

(a) Hard soil

183 33 md

Labour days@1pd/54Cft for E/W in 90 plots:

3 Labour required for clods breaking & rough dressing. do..E/I

9900

Qty(cft) same as item no 2(i)

9.90 md

person days@1PD/1000 CFT :

Total Labour-Days (1+2+3):

198.23 md

4 Provision as per MGNREGA

(i) Labour required for drinking water @1MD/20 Nos of labour:

9.91 md

(ii) Labour required for child care @1MD/20 Nos of labour:

9.91 md

Total Labour-Days:

218.06 md

Say:

218 md

(iii) Mate@1 No./20 Nos of labour:

10 90 md

Say:

11.00 md

(Signature)
दिनेश कुमार त्यागी
सहायक अभियंता

Supported by
(Signature)
ROD, Planning Cell

FIGURE OF 30X40 MODEL FOR LAND HAVING 3-8 % SLOPE

FIG.1: DIVISION OF UPLAND INTO 30'X40' PLOTS




FIG.2: A STANDARD PIT DESIGN




FIG.3: A STANDARD 30'X40' PLOT





FIG.4: DESIGN OF THE BUNDS

supported by
R.A.
RDP, Planning Cell



विनेश कुमार तिवारी
सहायक अभियंता
20/12/16

1 Hectare में 30x40 model (30 फिट) बनाने का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

(57)

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशि (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी खोदाई के लिए (कड़ी मिट्टी के कार्य हेतु)				
गहराई 0-5 फीट तक और मिट्टी फिलने की दूरी: 50 फीट तक कुल 90 गड़दा खोदने के लिए 1 अकुशल प्रति 54 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से	183.33	183	167.00	30561.00
मिट्टी के टुकड़ा तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकुशल प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	9.90	10	167.00	1670.00
मजदूरों को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	19.82	20	167.00	3340.00
	218.06	218	167.00	36406.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस				
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल मजदूरी दर (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	11.00		185.07	2036.00
				1000.00
सूचना पट बनाने के लिए				100.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				250.00
स्थल पर शैड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				1450.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				39892.00
कुल:				

दिनेश कुमार त्यागी
सहायक अभियंता

Supported by
M.A.
RDD, Planning Cell

DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 36'x36'x10'

Sl.No.	Details of items	Labour-days	Unit																				
1	Labour required for site clearance & bush cutting																						
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I		2.00 m.d																				
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>2592</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>2</td> <td>2048</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>1</td> <td>784</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	36	36	2	2592	1	32	32	2	2048	1	28	28	1	784		
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	36	36	2	2592																			
1	32	32	2	2048																			
1	28	28	1	784																			
	(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth @ 1 m.d /73 cft	2592																					
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth @ 1 m.d /54 cft	2832	35.51 m.d																				
			52.44 m.d																				
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>1</td> <td>784</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>1152</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	28	28	1	784	1	24	24	2	1152							
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	28	28	1	784																			
1	24	24	2	1152																			
	Very Hard soil 5-8ft depth @ 1 m.d /37 cft	1936	52.32 m.d																				
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	20	20	2	800												
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	20	20	2	800																			
	Very Hard soil 8-10ft depth @ 1 m.d /29 cft		27.59 m.d																				
		Total Labour-days	167.86 m.d																				
3	Labour required for clods breaking & rough dressing...do...E/I																						
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 8160																						
	Labour:- 1 no. per 1000 cft		8.16 m.d																				
		Total Labour-days (1+2+3):-	178.02 m.d																				
4	PROVISION AS PER MGNREGA																						
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour		8.90 m.d																				
ii.	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour		8.90 m.d																				
		Grand Total (Uskd):	195.82 m.d																				
		Say:-	196.00 m.d																				
5	(ii) Mate :- @ 1No. /20 no of labour		9.80 Nos																				
		Say:-	10.00 Nos																				

[Handwritten signature]
21/2/14

Supported by
[Handwritten signature]
RDD, Planning Cell

ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 36'x36'x10'

Sl.No.	Items of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	167.86	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I	8.16	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	17.80	m.d		
	Total Labour (Uskd):	195.82	m.d		
	Say:-	196.00	m.d	167.00	32732.00
	(ii) Mate (labour rate min Rs.135+ DA 50.07=185.07)	10.00	Nos	185.07	1850.70
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				35532.70
	Say				35,533.00

Total Labour days:-	196.00	m.d
Labours:-	94.65	%
Materials:-	5.35	%


Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mesh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs .35,533.00
 (Rupees Thirty Five Thousand and Five Hundred Thirty three) only


(Signature)
 (Assistant Engineer)
 MGNREGA Cell
 Ranchi (Jharkhand)

Supported by
M/S
RDD, Planning Cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 36'X36'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 36'X36'X10'




Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	36	36
2	2nd Layer	32	32
3	3rd Layer	28	28
4	4th Layer	24	24
5	5th Layer	20	20


Handwritten signature and text in the bottom left corner.

*Supported by
M.A.S.
ADD, Planning Cell*

फार्म तालाब/डोभा साइज 36'x36'x10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरों का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य...				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	35.51	36	167.00	6012.00
2 से 5 फीट	52.44	52	167.00	8684.00
5 से 8 फीट	52.32	52	167.00	8684.00
8 से 10 फीट	27.59	28	167.00	4676.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बांध बनाने के लिए.....	8.16	8	167.00	1336.00
मजदूरों को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	17.80	18	167.00	3006.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	195.82	196	167.00	32732.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	10.00		185.07	1851.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (सनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				35533.00


 दिनेश कुमार
 शासन अधिकारी

Supported by

 Mahesh
 100, Planning Cell

94
214

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME
LIKE FARM POND AND DOBHA OF 36'x40'x10'**

Sl.No Details of items

Labour-days Unit
2.00 m d

- 1 Labour required for site clearance & bush cutting
- 2 Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil ...do. E/I

(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	40	36	2	2880
1	36	32	2	2304
1	32	28	1	896

Ordinary Soil upto 2 ft depth 2880

@ 1 m.d /73 cft

39.45 m.d

Hard soil 2 to 5 ft depth 3200

@ 1 m.d /54 cft

59.26 m d

(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	32	28	1	896
1	28	24	2	1344

Very Hard soil 5-8ft depth 2240

@ 1 m.d /37 cft

60.54 m d

(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	24	20	2	960

Very Hard soil 8-10ft depth

@ 1 m.d /29 cft

33.10 m d

Total Labour-days 192.36 m,d

- 3 Labour required for clods breaking & rough dressing..... do. E/I

Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 9280

Labour:- 1 no. per 1000 cft

9.28 m.d

Total Labour-days

(1+2+3):- 203.64 m,d

- 4 PROVISION AS PER MGNREGA

- i. Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour

10.18 m.d

- ii. Labour child care @ 1No. /20 no. of labour

10.18 m.d

Grand Total (Uskd): 224.00 m,d

Say:- 224.00 md

11.20 Nos

- 5 (ii) Mate :- @ 1No /20 no. of labour

Say:- 11.00 Nos

Signature
दिनेश कुमार झा
सहायक अभियंता

Supported by
Signature
RDD, Planning Cell

13


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 36'x40'x10'**

LN	Items of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	192.36	m.d		
3	Labour required for chads breaking & rough dressing...do...E/I	9.28	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	20.36	m.d		
	Total Labour (Uskd):	224.00	m.d		
	Say:-	224.00	m.d	167.00	37408.00
	(ii) Mate (labour rate min Rs,135+ DA 50.07=185.07)	11.00	Nos	185.07	2035.77
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp, Shed			L.S	250.00
	Total:-				40393.77
	Say:-				40,394.00

Total Labour-days:-	224.00	m.d
Labours:-	94.84	%
Materials:-	5.16	%

implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merh bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs .40,394.00
(Rupees Fourty Thousand and Three hundred Ninty Four)
only


(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)


Supported by

RDD, Planning Cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 36'X40'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 36'X40'X10'




Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	40	36
2	2nd Layer	36	32
3	3rd Layer	32	28
4	4th Layer	28	24
5	5th Layer	24	20

(Signature)
 दिनेश कुमार त्वाणी
 महायुक्त अधिकारी

Supported by
(Signature)
 RSD, Planning
 Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 36'X40'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (रु)	कुल प्राक्कलित राशी (रु)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य...				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	39.45	40	167.00	6680.00
2 से 5 फीट	59.26	59	167.00	9853.00
5 से 8 फीट	60.54	61	167.00	10187.00
8 से 10 फीट	33.10	33	167.00	5511.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बांध बनाने के लिए.....	9.28	9	167.00	1503.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	20.35	20	167.00	3340.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	224.00	224	167.00	37408.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कृशल)		कुल मजदूरी दर (रु)	कुल प्राक्कलित राशी (रु)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगता (1 अर्ध-कृशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	11.00		185.07	2036.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				40394.00


 दिनेश तालाब/डोभा
 3/12/16

Supported by

 RBD, Planning Cell

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 40'x40'x10'**

Sl.No.	Details of items	Labour-days	Unit																				
1	Labour required for site clearance & bush cutting		2.00 m.d																				
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I																						
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>2</td> <td>3200</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>2</td> <td>2592</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>1</td> <td>1024</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	40	40	2	3200	1	36	36	2	2592	1	32	32	1	1024		
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	40	40	2	3200																			
1	36	36	2	2592																			
1	32	32	1	1024																			
	Ordinary Soil upto 2 ft depth	3200																					
	@ 1 m d /73 cft		43.84 m d																				
	Hard soil 2 to 5 ft depth	3616																					
	@ 1 m d /54 cft		66.96 m d																				
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>1</td> <td>1024</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>2</td> <td>1568</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	32	32	1	1024	1	28	28	2	1568							
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	32	32	1	1024																			
1	28	28	2	1568																			
	Very Hard soil 5-8ft depth	2592																					
	@ 1 m.d /37 cft		70.05 m.d																				
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>1152</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	24	24	2	1152												
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	24	24	2	1152																			
	Very Hard soil 8-10ft depth																						
	@ 1 m d /29 cft		39.72 m.d																				
		Total Labour-days	220.58 m.d																				
3	Labour required for clods breaking & rough dressing ...do...E/I																						
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 10560																						
	Labour:- 1 no per 1000 cft		10.56 m d																				
		Total Labour-days	(1+2+3):- 233.14 m.d																				
4	PROVISION AS PER MGNREGA																						
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour		11.66 m.d																				
ii.	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour		11.66 m.d																				
		Grand Total (Uskd):	256.45 m d																				
		Say:-	256.00 md																				
5	(ii) Mate :- @ 1No. /20 no. of labour		12.82 Nos																				
		Say:-	13.00 Nos																				

दिनांक २०/०८/२०१६
सहायक अभियंता

supported by
RDD, Planning Cell

009

**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 40'x40'x10'**


Sl.No	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil do E/I	220.58	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing do E/I	10.56	m.d		
4	PROVISION AS PER MONREGA				
	Labour for drinking water & child care	23.31	m.d		
	Total Labour	256.45	m.d		
	Say:-	256.00	m.d	167.00	42752.00
	(ii) Mate (labour rate min Rs 135+ DA 50.07=185.07)	13.00	Nos	185.07	2405.91
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				46107.91
	Say:-				46,108.00

Total Labour-days:-	256.00	m.d
Labours:-	94.67	%
Materials:-	5.33	%


Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mesh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs . 46,108.00
(Rupees Forty Six Thousand and One Hundred Eight) only



(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

Supported by

RDD, Planning Cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 40'X40'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 40'X40'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	40	40
2	2nd Layer	36	36
3	3rd Layer	32	32
4	4th Layer	28	28
5	5th Layer	24	24

विनय कुमार शर्मा 21/3/16
सहायक अभियंता

Supported by
RSD, Planning Cell

233

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 40'X40'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के खूदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	43.84	44	167.00	7348.00
2 से 5 फीट	66.95	67	167.00	11189.00
5 से 8 फीट	70.05	70	167.00	11690.00
8 से 10 फीट	39.72	39	167.00	6513.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	10.56	11	167.00	1837.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	23.31	23	167.00	3841.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	256.45	256	167.00	42752.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगता (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	13.00		185.07	2406.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				46108.00

दिनेश कुमार
सहायक अभियंता

Supported by
Bhad
RDD, Family Cell

206

102

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME
LIKE FARM POND AND DOBHA OF 40'x50'x10'**

Sl.No Details of items Labour-days Unit

1 Labour required for site clearance & bush cutting 2.00 m d

2 Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I

(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	50	40	2	4000
1	46	36	2	3312
1	42	32	1	1344

Ordinary Soil upto 2 ft depth 4000
 @ 1 m.d /73 cft 54.79 m d
 Hard soil 2 to 5 ft depth 4656
 @ 1 m d /54 cft 86.22 m d

(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	42	32	1	1344
1	38	28	2	2128

Very Hard soil 5-8ft depth 3472
 @ 1 m.d /37 cft 93.84 m d

(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	34	24	2	1632

Very Hard soil 8-10ft depth 1632
 @ 1 m d /29 cft 56.28 m.d

Total Labour-days 291.13 m.d

3 Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I

Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 13760

Labour:- 1 no. per 1000 cft 13 76 m.d

Total Labour-days (1+2+3):- 306.89 m d

4 PROVISION AS PER MGNREGA

i. Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour 15 34 m d

ii Labour child care @ 1No. /20 no. of labour 15.34 md

Grand Total (Uskd): 337.58 m.d

Say:- 338.00 md

5 (ii) Mate :- @ 1No. /20 no of labour 16.88 Nos

Say:- 17.00 Nos

(Signature)
 दिनेश कुमार वर्मा 31/3/16
 कक्षाधिकारी

supported by
(Signature)
 PDD, Planning Cell

203


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 40'x50'x10'**


Sl.No	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	2.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do	291.13	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do...	13.76	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	30.69	m.d		
	Total Labour	337.58	m.d		
	Say:-	338.00	m.d	167.00	56446.00
	(ii) Mate (labour rate min Rs.135+ DA 50.07=185.07)	17.00	Nos	185.07	3146.19
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				60542.19
	Say:-				60,542.00

Total Labour-days:-	338.00	m,d
Labours:-	94.72	%
Materials:-	5.28	%


Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs .60,542 .00
(Rupees Sixty Thousand and Five Hundred Forty Two) only



(Assistant Engineer) 31/3/16
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

Supported by

RDD, Planning Cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 40'X50'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 40'X50'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	50	40
2	2nd Layer	46	36
3	3rd Layer	42	32
4	4th Layer	38	28
5	5th Layer	34	24

दिनेश कुमार तिवारी
सहायक अभियंता

supported by
M.S.
RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 40'X50'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	2.00	2	167.00	334.00
मिट्टी के छदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	54.79	55	167.00	9185.00
2 से 5 फीट	86.22	86	167.00	14362.00
5 से 8 फीट	93.84	94	167.00	15698.00
8 से 10 फीट	56.28	56	167.00	9352.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	13.76	14	167.00	2338.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	30.69	31	167.00	5177.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	337.58	338	167.00	56446.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	17.00		185.07	3146.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शैड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				60542.00


31/3/16


supported by
M.S.
RDP, Planning
cell U

(202) 106

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 50'x50'x10'**

Sl.No.	Details of items	Labour-days	Unit																				
1	Labour required for site clearance & bush cutting																						
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I		5.00 m.d																				
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>2</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>2</td> <td>4232</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>1</td> <td>1764</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	50	50	2	5000	1	46	46	2	4232	1	42	42	1	1764		
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	50	50	2	5000																			
1	46	46	2	4232																			
1	42	42	1	1764																			
	Ordinary Soil upto 2 ft depth @ 1 m.d /73 cft	5000																					
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth @ 1 m.d /54 cft	5996	68.49 m.d.																				
			111 04 m.d																				
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>1</td> <td>1764</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>2</td> <td>2888</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	42	42	1	1764	1	38	38	2	2888							
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	42	42	1	1764																			
1	38	38	2	2888																			
	Very Hard soil 5-8ft depth @ 1 m.d /37 cft	4652	125.73 m.d.																				
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>																						
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>L(ft)</th> <th>B(ft)</th> <th>D(ft)</th> <th>Qty(cft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>2</td> <td>2312</td> </tr> </tbody> </table>	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)	1	34	34	2	2312												
No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)																			
1	34	34	2	2312																			
	Very Hard soil 8-10ft depth @ 1 m.d /29 cft		79.72 m.d.																				
	Total Labour-days	384 98 m d																					
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I																						
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 17960																						
	Labour:- 1 no. per 1000 cft		17.96 m.d.																				
	Total Labour-days																						
		(1+2+3):-	407 94 m.d																				
		Say:-	408 00 m d																				
4	PROVISION AS PER MGNREGA																						
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour		20.40 m d																				
ii.	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour		20 40 md																				
	Grand Total (Uskd):	448 80 m.d																					
	Say:-	449.00 md																					
5	(ii) Mate :- @ 1No. /20 no. of labour		22.44 Nos																				
		Say:-	22.00 Nos																				


 दिनेश कुमार झा
 सहायक अभियंता

Supported by

 ADD, Planning Cell

2E1


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 50'x50'x10'**


Sl.No.	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	5.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/1	384.98	m.d		
3	Labour required for cloda breaking & rough dressing.....do..... E/1	17.96	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	40.80	m.d		
	Total Labour	448.74	m.d		
	Say:-	449.00	m.d	167.00	74983.00
	(ii) Mate (labour-rate min. Rs. (35.00+ DA 50.07=185.07)	22.00	Nos	185.07	4071.54
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				80004.54
	Say:-				80,005.00

Total Labour-days:-	449.00	m.d
Labours:-	94.83	%
Materials:-	3.15	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mesh bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs .80,005 .00
(Rupees Eighty Thousand and Five) only


(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)


Supported by

BDD, Planning Cell

200
106

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 50'X50'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 50'X50'X10'




Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	50	50
2	2nd Layer	46	46
3	3rd Layer	42	42
4	4th Layer	38	38
5	5th Layer	34	34


दिनेश कुमार शर्मा
महानगर पंचायत

supported by
RDD, Planning cell

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 50'X50'X10' का तकनीकी-प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप .

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी के खूदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	68.49	68	167.00	11356.00
2 से 5 फीट	111.04	111	167.00	18537.00
5 से 8 फीट	125.73	126	167.00	21042.00
8 से 10 फीट	79.72	80	167.00	13360.00
मिट्टी के ढेला लोडकर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	17.96	18	167.00	3006.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बर्छों की देख-रेख के लिए..	40.80	41	167.00	6847.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	448.74	449	167.00	74983.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
गैट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	22.00		185.07	4072.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				80005.00


 दिनेश कुमार त्याग
 सहायक अभियंता

supported by

 RDD, Planning Cell

15
110

DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 50'x60'x10'

I.N: Details of items

1 Labour required for site clearance & bush cutting

Labour-days Unit
5.00 m.d

2 Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do.. E/I
 (i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	60	50	2	6000
1	56	46	2	5152
1	52	42	1	2184

(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth @ 1 m.d /73 cft 6000

(b) Hard soil 2 to 5 ft depth @ 1 m.d /54 cft 7336

82.19 m.d

(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	52	42	1	2184
1	48	38	2	3648

Very Hard soil 5-8ft depth @ 1 m.d /37 cft 5832

135.85 m.d

(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	44	34	2	2992

Very Hard soil 8-10ft depth @ 1 m.d /29 cft

157.62 m.d.

Total Labour-days 478.84 m.d.

3 Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.E/I
 Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 22160
 Labour:- 1 no. per 1000 cft

22.16 m.d.

Total Labour-days (1+2+3):- 506.00 m.d
 Say:- 506.00 m.d

4 PROVISION AS PER MGNREGA

- i. Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour
- ii. Labour child care @ 1No. /20 no. of labour

25.30 m.d
25.30 m.d

Grand Total (Uskd): 556.60 m.d
 Say:- 557.00 md
 27.83 Nos
 Say:- 28.00 Nos

5 (ii) Mate :- @ 1No. /20 no. of labour

[Signature]
 दिनेश कुमार शर्मा 21/2/16
 सहायक अभियंता

Supported by
[Signature]
 RDD, Planning Cell

**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 50'x60'x10'**

Sl.No	Items of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs)
1	Labour required for site clearance & bush cutting				
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...d	5.00	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing...do	478.84	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA	22.16	m.d		
	Labour for drinking water & child care				
	Total Labour:	50.60	m.d		
	Say:-	556.60	m.d		
	(ii) Mate (labour rate min Rs.135.00+ DA 50.07=185.07)	557.00	m.d	167.00	93019.00
	(iii) Contingencies	28.00	Nos	185.07	5181.96
	Signboard				
	Photography			L.S	500.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	100.00
	Total:-			L.S	250.00
	Say:-				99150.96
					99,151.00

Total Labour-days:-	557.00	m.d
Labours:-	94.72	%
Materials:-	5.28	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs .99,151 .00
(Rupees Ninty Nine Thousand and One Hundred Fifty One) only



(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

Supported by


RDD, Planning Cell

196
112

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 50'X60'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 50'X60'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	60	50
2	2nd Layer	56	46
3	3rd Layer	52	42
4	4th Layer	48	38
5	5th Layer	44	34

156
विश्व कृषि विश्वविद्यालय
राजसमूह

supported by
RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/झोभा साइज 50'X60'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप


	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी के खदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट				
2 से 5 फीट	82.19	82	167.00	13694.00
5 से 8 फीट	135.85	136	167.00	22712.00
8 से 10 फीट	157.62	158	167.00	26386.00
	103.17	103	167.00	17201.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	22.16	22	167.00	3674.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	50.60	51	167.00	8517.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	556.60	557	167.00	93019.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
सेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	28.00		185.07	5182.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				99151.00


31/3/14

Supported by
35.03
RPO, Planning Cell

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 60'x60'x10'**

Sl.No.	Details of Items	Labour-days Unit
1	Labour required for site clearance & bush cutting	
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	5 00 m d
	<u>(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"</u>	
	No L(ft) B(ft) D(ft) Qty(cft)	
	1 60 60 2 7200	
	1 56 56 2 6272	
	1 52 52 1 2704	
	(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth	7200
	@ 1 m.d /73 cft	
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth	8976
	@ 1 m.d /54 cft	98 63 m d
		166.22 m d
	<u>(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"</u>	
	No L(ft) B(ft) D(ft) Qty(cft)	
	1 52 52 1 2704	
	1 48 48 2 4608	
	Very Hard soil 5-8ft depth	7312
	@ 1 m.d /37 cft	197.62 m d
	<u>(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"</u>	
	No L(ft) B(ft) D(ft) Qty(cft)	
	1 44 44 2 3872	
	Very Hard soil 8-10ft depth	
	@ 1 m.d /29 cft	133.52 m d
	Total Labour-days	595 99 m,d
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I	
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 27360	
	@ 1 m.d /1000 cft	27.36 m,d
	Total Labour-days	27.36 m,d
	(1+2+3):-	628 35 m,d
4	PROVISION AS PER MGNREGA	
i.	Labour for availing drinking water @ 1 No. /20 no. of labour	31 42 m,d
ii.	Labour child.care @ 1 No. /20 no. of labour	31 42 md
	Grand Total (Uskd):	691.19 m,d
	Say:-	691.00 md
		34.55 Nos
	Say:-	35.00 Nos
	(i)Mate @ 1No /20 no of labour	


 31/3/16
 दिनेश कुमार त्यागी
 सहायक अभियंता

Supported by

 PDD, Planning Cell


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 60'x60'x10'**


Sl.No	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	5.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/1	595.99	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/1	27.36	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	(i) Labour for drinking water & child care	62.84	m.d		
	Total Labour:	691.19	m.d		
	Say:-	691.00	m.d	167.00	115397.00
	(ii) Mate/labour rate min Rs.135+ DA 50.07=185.07..)	35.00	Nos	185.07	6477.45
	(iii) Contingencies				
	Signboard			LS	500.00
	Photography			LS	100.00
	First Aid Box			LS	100.00
	Temp. Shed			LS	250.00
	Total:-				122824.45
	Say:-				122824.00

Total Labour-days:-	691.00	m.d
Labours:-	94.69	%
Materials:-	5.31	%


Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mesh bunding.

Technical Sanction is accorded for Rs .1,22,824 .00
(Rupees One Lakh Twenty Two Thousand and Eight Hundred Twenty Four) only



(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

Supported by

RDD, Planning Cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 60'X60'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 60'X60'X10'




Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	60	60
2	2nd Layer	56	56
3	3rd Layer	52	52
4	4th Layer	48	48
5	5th Layer	44	44

115 ✓ 2/3/16
विनीत कुमार त्यागी
सहायक अभियंता

Supported by
Mals
RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज 60'X60'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	98.63	98	167.00	16366.00
2 से 5 फीट	166.22	166	167.00	27722.00
5 से 8 फीट	197.62	198	167.00	33066.00
8 से 10 फीट	133.52	134	167.00	22378.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बांध बनाने के लिए.....	27.36	27	167.00	4509.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	62.84	63	167.00	10521.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	691.19	691	167.00	115397.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	35.00		185.07	6477.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				122824.00


 दिनेश कुमार त्रिपाठी
 सहायक अभियंता

Supported by
 M. S.
 RDD, Planning Cell

(139)
118

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME
LIKE FARM POND AND DOBHA OF 60'x80'x10'**

Sl.No. Details of items Labour-days Unit

- 1 Labour required for site clearance & bush cutting 5.00 m.d
- 2 Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil, do, do, E/I

(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	80	60	2	9600
1	76	56	2	8512
1	72	52	1	3744

- (a) Ordinary Soil upto 2 ft depth 9600
- @ 1 m.d /73 cft 131.51 m.d
- (b) Hard soil 2 to 5 ft depth 12256
- @ 1 m d /54 cft 226.96 m.d

(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	72	52	1	3744
1	68	48	2	6528

- (a) Hard soil 5-8ft depth 10272
- @ 1 m.d /37 cft 277.62 m.d

(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	64	44	2	5632

- (a) Extreme Hard soil 8-10ft depth 5632
- @ 1 m.d /29 cft 194.21 m.d

Total Labour-days 830.30 m.d

- 3 Labour required for clods breaking & rough dressing, do, do, do, E/I
- Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 37760
- @ 1 m.d /1000 cft 37.76 m.d

Total Labour-days
(1+2+3):- 873.06 m.d


4 PROVISION AS PER MGNREGA

- i. Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour 43.65 m.d
- ii. Labour child care @ 1No. /20 no. of labour 43.65 m.d

Grand Total (Uskd): 960.36 m.d

Say:- 960.00 md

- (i) Mate @ 1No. /20 no. of labour 48.00 Nos
- Say:- 48.00 Nos


विनय कुमार शर्मा
सहायक अभियंता

Supported by

RDD, Planning Cell

135


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 60'x80'x10'**

S.No	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	5.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	830.30	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I	37.76	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	87.31	m.d		
	Total Labour:	960.36	m.d		
	Say:-	960.00	m.d	167.00	160320.00
	(ii) Mate(labour rate min Rs. 135+ DA 50.07=185.07,)	48.00	Nos	185.07	8883.36
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	750.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	500.00
	Total:-				170653.36
	Say:-				170653.00

Total Labour-days:-	960.00	m.d
Labours:-	94.75	%
Materials:-	5.25	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merh bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs .1,70,653 .00
(Rupees One Lakh Seventy Thousand and Six Hundred
Fifty three) only


(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)


supported by

ADD, Planning cell

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 60'X80'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 60'X80'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	80	60
2	2nd Layer	76	56
3	3rd Layer	72	52
4	4th Layer	68	48
5	5th Layer	64	44


 दिनेश कुमार शर्मा
 सहायक अभियंता

Supported by
Bhaskar
 RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज 60'X80'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	131.51	132	167.00	22044.00
2 से 5 फीट	226.96	227	167.00	37909.00
5 से 8 फीट	277.62	277	167.00	46259.00
8 से 10 फीट	194.21	194	167.00	32398.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	37.76	38	167.00	6346.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	87.31	87	167.00	14529.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	960.36	960	167.00	160320.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
सेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	48.00		185.07	8883.00
सूचना पट बनाने के लिए				750.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				500.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				1450.00
कुल:				170653.00

[Handwritten signature]
21/11/16

Supported by
Mak
RDD, Planning Cell

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 80'x100'x10'**

Sl.No. Details of Items Labour-days Unit

- 1 Labour required for site clearance & bush cutting 5.00 m.d
- 2 Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil.. do ..E/I

(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	100	80	2	16000
1	96	76	2	14592
1	92	72	1	6624

- (a) Ordinary Soil upto 2 ft depth 16000
- @ 1 m.d /73 cft 219.18 m d
- (b) Hard soil 2 to 5 ft depth 21216
- @ 1 m d /54 cft 392.89 m.d

(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead upto 50'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	92	72	1	6624
1	88	68	2	11968

- Very Hard soil 5-8ft depth 18592
- @ 1 m.d /37 cft 502.49 m.d

(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead between 50'0"-100'0"

No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)
1	84	64	2	10752

- Very Hard soil 8-10ft depth 18592
- @ 1 m.d /23 cft 370.76 m.d

Total Labour- 1485.31 m.d

- 3 Labour required for clods breaking & rough dressing..... do.....E/I
- Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii) 66560
- @ 1 m.d /1000 cft 66.56 m.d

Total Labour-days (1+2+3):- 1556.87 m d

- 4 PROVISION AS PER MGNREGA
- i. Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour 77.84 m d
- ii. Labour child care @ 1No. /20 no. of labour 77.84 m d

Grand Total (Uskd): 1712.56 m.d
Say:- 1713.00 md

- (i) Mate @ 1No. /20 no. of labour 85.65 Nos
- Say:- 86.00 Nos

[Handwritten Signature]
 विभाग प्रमुख, जल संवर्धन
 जल संवर्धन विभाग

supported by
[Signature]
 JOD, Planning Cell


**A SUMMARY OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION
SCHEME LIKE FARM POND AND DOBHA OF 80'x100'x10'**


Sl. No.	Items of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	5.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canar embankment in all kinds of soil...do...E/I	1485.31	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/I	66.56	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	155.69	m.d		
	Total Labour:	1712.56	m.d		
	Say:-	1713.00	m.d	167.00	286071.00
	(ii) Mate(labour rate min Rs.135+ DA 50.07=185.07, .)	86.00	Nos	185.07	15916.02
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	750.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	500.00
	Total:-				303437.02
	Say:-				303437.00

Total Labour-days:-	1713.00	m.d
Labours:-	94.73	%
Materials:-	5.27	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or merr bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs .3,03,437 .00
(Rupees Three Lakh Three Thousand and Four
Hundred Thirty Seven) only


(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)


Supported by

ADD, Planning Cell

12/4

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 80'X100'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 80'X100'X10'



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	100	80
2	2nd Layer	96	76
3	3rd Layer	92	72
4	4th Layer	88	68
5	5th Layer	84	64

22/11/16
31/12/16

Supported by
RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 80'X100'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी के खदाई के लिए कार्य...				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	219.18	219	167.00	36573.00
2 से 5 फीट	392.89	393	167.00	65631.00
5 से 8 फीट	502.49	502	167.00	83834.00
8 से 10 फीट	370.76	371	167.00	61957.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बांध बनाने के लिए.....	66.56	67	167.00	11189.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	155.69	156	167.00	26052.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	1712.56	1713	167.00	286071.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
सेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	86.00		185.07	15916.00
सूचना पट बनाने के लिए				750.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शैड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				500.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				1450.00
कुल:				303437.00

(Signature)
 21/11/16
 2016-17
 2016-17

Supported by
 M.S.
 RDD, Planning Cell

182
26

**DETAIL OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME LIKE
FARM POND AND DOBHA OF 100'x100'x10'**

Sl.No.	Details of items					Labour-days	Unit
1	Labour required for site clearance & bush cutting					8.00	m.d
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/l						
	(i) Lift 0'0" to 5'0" Lead 50'0"-100'0"						
	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)		
	1	100	100	2	20000		
	1	96	96	2	18432		
	1	92	92	1	8464		
	(a) Ordinary Soil upto 2 ft depth				20000		
	@ 1 m.d /67 cft					298.51	m.d
	(b) Hard soil 2 to 5 ft depth				26896		
	@ 1 m.d /49 cft					548.90	m.d
	(ii) Lift 5'0" to 8'0" Lead 50'0"-100'0"						
	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)		
	1	92	92	1	8464		
	1	88	88	2	15488		
	Very Hard soil 5-8ft depth				23952		
	@ 1 m.d /34 cft					704.47	m.d
	(iii) Lift 8'0" to 10'0" Lead 50'0"-100'0"						
	No	L(ft)	B(ft)	D(ft)	Qty(cft)		
	1	84	84	2	14112		
	Very Hard Soil 8-10ft depth						
	@ 1 m.d /23 cft					613.57	m.d
	Total Labour-days:-					2165.44	m.d
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/l						
	Qty(cft) same as item no 2(i)+2(ii)+2(iii)				70848		
	@ 1 m.d /1000 cft					70.85	m.d
	Total Labour-days (1+2+3):-					2244.29	m.d
	Say:-					2244.29	m.d
4	PROVISION AS PER MGNREGA						
i.	Labour for availing drinking water @ 1No. /20 no. of labour					112.21	m.d
ii.	Labour child care @ 1No. /20 no. of labour					112.21	md
	Grand Total (Uskd):					2468.72	m.d
	Say:-					2469.00	md
	(i) Mate @ 1No. /20 no. of labour					61.73	Nos
	Say:-					62.00	Nos

(Signature)
विशेष कार्य स्वामी
सहायक अभियंता

supported by
(Signature)
ADD, Planning Cell


**ABSTRACT OF MODEL ESTIMATE FOR IN-SITU WATER CONSERVATION SCHEME
LIKE FARM POND AND DOBHA OF 100'x100'x10'**

Sl.No	Item of work	Qty	Unit	Rate(Rs.)	Amount(Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	8.00	m.d		
2	Earth work in cutting in canal embankment in all kinds of soil...do...E/I	2165.44	m.d		
3	Labour required for clods breaking & rough dressing...do...E/I	70.85	m.d		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	Labour for drinking water & child care	224.43	m.d		
	Total Labour	2468.72	m.d		
	Say:-	2469.00	m.d	167.00	412323.00
	(ii) Mate (labour rate :min Rs.135+ DA 50.07=185.07.)	62.00	No.	185.07	11474.34
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	1000.00
	Photography			L.S	250.00
	First aid Box			L.S	250.00
	Temp. Shed			L.S	1000.00
	Total:-				426297.34
	Say:-				426297.00

Total Person days:-	2469.00	m.d
Labour:-	97.29	%
Materials:-	2.71	%

Note: As this scheme will be implemented in clusters or patch-wise, the contingency might be combined by the implementing agency. For example, if 4-5 ponds are being constructed in one patch, the implementing agency can consider combining the contingency for signboard for constructing one patch-wise signboard. Excavated earth will be used in field bunding or mech bunding.


Technical Sanction is accorded for Rs .4,26,297 .00
(Rupees Four Lakh Twenty Six Thousand and Two
Hundred Ninty Seven) only


(Assistant Engineer)
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)


Supported by
Shal
ADD, Planning Cell

180
128

TOP VIEW OF Water Harvesting Pond 100'X100'X10'



CROSS SECTION OF Water Harvesting Pond 100X100X10



Sl.No	Details of Layer	Length (ft)	Breadth (ft)
1	1st Layer	100	100
2	2nd Layer	96	96
3	3rd Layer	92	92
4	4th Layer	88	88
5	5th Layer	84	84

15/2/2016
विनय कुमार शर्मा
सहायक अभियंता

supported by
Mst
RDD, Planning Cell

फार्म तालाब/डोभा साइज़ 100'X100'X10' का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ़ करने के लिए	8.00	8	167.00	1336.00
मिट्टी के खुदाई के लिए कार्य....				
मिट्टी को 10 फीट गहराई से निकालकर एवं 50 फीट दूरी तक फेंकने के लिए:				
0 से 2 फीट	298.51	299	167.00	49933.00
2 से 5 फीट	548.90	549	167.00	91683.00
5 से 8 फीट	704.47	704	167.00	117568.00
8 से 10 फीट	613.57	614	167.00	102538.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	70.85	71	167.00	11857.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	224.43	224	167.00	37408.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	2468.72	2469	167.00	412323.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	62.00		185.07	11474.00
सूचना पट बनाने के लिए				1000.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				250.00
दवाई आदि का खर्च				250.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				1000.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				2500.00
कुल:				426297.00

दिनेश कुमार
 सहायक अभियंता

Supported by
 M. S.
 RPD, Planning Cell

Detailed Estimate of Cattle Proof Trench

Sl. No.	Detail of Items	Dimensions	Unit	Labour days/Unit	Length of the Trench/Unit
1	Earth work in Excavation	Length 500 Top width 6 Bottom width 3 Depth 2 Slope (in ratio) 1:1/2 C/S area of the C/P 13.5	ft	500	500 ft
	Quantity (i.e. volume) of soil cutting 1.00 (0'0" to 5'0" Lead upto 50'0"):- Hard soil		cu ft	6750	125.00 ind
	Labour days @ 1Mds/54 cu ft				
2	Labour required for chods breaking & rough dressing..... do..... 1/1 Qty (cu ft) same as item no. 1 i.e. Excavated earth to be slugged and compacted @ downstream slope as Top width=3', Bottom width=6' & height=2' at least 3ft distance from the cutting edge of the trench Labour-days @ 1Mds/1000 cu ft		cu ft	6750	6.75 ind
					131.75 ind
					6.59 ind
3	PROVISION AS PER MCHNREGA (1) Labour for drinking water @ 1Mds/20 Nos Labourers (2) Labour for Child care @ 1Mds/20 Nos Labourers		Soy:-		6.59 ind 144.93 ind 145.00 ind
			Soy:-		9.66 Nos
			Soy:-		10.00 Nos

10/11/2016
10/11/2016

10/11/2016


Submitted by
Shank
R.D.D. Planning Cell

ABSTRACT ESTIMATE OF A CATTLE PROOF TRENCH

Sl.No.	Item of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Earth work in Excavation	125.00	M.d		
2	Labour required for clods breaking & rough dressing.....doE/I	6.75	M.d		
3	PROVISION AS PER MGNREGA				
	(i) Labour for drinking water & child care	13.18	M.d		
	Total	144.93	M.d		
	Say:-	145.00	M.d	167.00	24215.00
	(ii) Mate (labour rate min 135+ DA 50.07= Rs.185.07)	10.00	Nos	185.07	1850.70
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp, Shed			L.S	250.00
	Total:-				27015.70
	Say:-				27016.00

Total Labour days:-	145.00	m.d
Labour:-	92.90	%
Materials:-	7.10	%

Technical Senction is accorded for Rs 27016.00
(Rupees twenty seven thousand & sixteen only)



Assistant Engineer
MGNREGA Cell
Ranchi, (Jharkhand)

supported by
M.A.L
RDD, Planning Cell


मधेशियों प्रतिरोधी खाई बनाने का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
खोदाई के लिए (कड़ी मिट्टी के खोदाई हेतु) गहराई 0-5 फीट तक और मिट्टी फेंकने की दूरी: 50 फीट तक				
कुल 500 feet लम्बाई का ट्रेंच खोदने के लिए 1 अकुशल प्रति 54 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से:	125.00	125	167.00	20875.00
मिट्टी का ढला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकुशल मजदूरी प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	6.75	7	167.00	1169.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के	13.18	13	167.00	2171.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	144.93	145	167.00	24215.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मिट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	10.00		185.07	1851.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				27016.00



 दिनांक 23/3/18
 सहायक अभियंता

supported by

 RPD, Planning Cell


Details Drawing of a Cattle Proof Trench



Top View of the CPT



C/S view of the CPT



C/S view of the Bund

[Handwritten signature]
अधिकारी
विभाग प्रमुख, जल विभाग
महाराष्ट्र सरकार


supported by
[Handwritten signature]
RDD, Planning cell

1 Acre में गेड़बंदी करने का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
खोदाई के लिए (मुलायम/सामान्य मिट्टी के खोदाई हेतु)				
गाहराई 0-5 फीट तक ओर मिट्टी फ्रेकने की दूरी: 100 फीट तक				
1 अकुशल मजदूरी प्रति 67 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से	28.07	28	167.00	4676.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकुशल मजदूरी प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	1.88	2	167.00	334.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	5.99	6	167.00	1002.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	35.95	36	167.00	6012.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	4.00		185.07	740.00
				500.00
सूचना पट बनाने के लिए				100.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				250.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				7702.00

दिनेश कुमार
कृषि विभाग

supported by
RPO, Planning Cell



Details of Bund in ft

C/S view of the Field Bund

[Handwritten signature]
दिनेश कुमार खन्ना
कृषि विभाग

supported by
[Handwritten signature]
RDD, Planning cell

Abstract estimate for Field Bunding 100 declinal=43560sf

Sl. No.	ITEM OF WORK	QTY	UNIT	RATE (Rs.)	AMOUNT (INR)
1	E/W IN EXCAVATION IN ALL KIND OF SOIL DO...E/I	28.07	md		
2	LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND COMPACTION DO.....E/I	1.88	md		
3	PROVISION AS FOR MGNREGA				
	(i) LABOUR FOR DRINKING WATER AND CHILD CARE	5.99	md		
	Total Labour	35.95	md		
	Says:	36.00	md	167.00	6012.00
	(ii) MATE (135+50.07)	4	No.	185.07	740.28
	(ii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	Photography			L.S	100.00
	First Aid Box			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	TOTAL				7702.28
	Say:				7702.00

TOTAL LABOUR DAYS		36.00	md
LABOUR:		89.04	%
MATERIAL:		10.96	%

Item	Amount (Rs.)
The overall cost for Farm Bunding @ per running feet (Say):	18.43

NB: It is suggested that if needs feel in some specific cases as per field situation technical official multiply the running feet of farm bound required to be constructed with the 'cost per running feet' keeping all other estimate technicalities unchanged (i.e. Soil specification in terms of 'Lift & Lead', slope & C/S area of the bund and labour requirement for 'Dressing & Compaction'). Farm Bunding is normally recommended for up barren land.

Technical Sanction is accorded for Rs. 7702.00
 (Rupees Seven thousand and Seven Hundred two only)

[Signature]
 3/13/16
 Assistant Engineer
 MGNREGA Cell
 Ranchi, Jharkhand

supported by
[Signature]
 RDD, Planning Cell

गली प्लगिंग (Gully Plugging)

तकनीकी प्रतिवेदन

8-10% ढलान वाले इलाके में भूक्षरण के कारण बने नालों में भूक्षरण की रोकथाम के लिए गली प्लगिंग किया जाता है। गली प्लगिंग नहीं होने के कारण नालों का पानी मिट्टी-बालू लेकर खेतों में घुस जाता है जिससे खेत खराब हो जाते हैं। ऐसे नालों को अगर क्रम में बने गलीप्लग से उपचारित किया जाये, तो पानी के साथ मिट्टी-बालू का कटाव नहीं होगा।

निर्माणकेसिद्धान्त

इसके नाले के संपूर्ण लम्बाई में बनाया जाता है। यह प्लगिंग पत्थरों द्वारा निर्मित क्रम में बने कई छोटे पत्थर बांधों द्वारा किया जाता है। इन बांधों के कारण नालों में बह रहे पानी की गति कम हो जाती है और भूक्षरण रुकता है।


नालों में गली प्लगिंग ढलान के दिशा में ऊपर से नीचे किया जाता है। दो पत्थर बांधों की बीच की दूरी horizontal interval (HI) से कम होनी चाहिए।

बाँध की ऊँचाई 1m रखी जाती है। एक बाँध में upstream की दिशा में 1:1 एवं downstream में 1:3 का ढलान रखा जाता है। केंद्र में बाँध को बीचो-बीच थोड़ा नीचा रखते हैं ताकि पानी उसके ऊपर से गुजर सके। अगर बाँध बीच में ऊँचा होगा तो पानी किनारों को काटता हुआ निकलेगा और गली प्लग टूट जायेगा।

यह ध्यान रखना चाहिए की यह संरचना हमेशा क्रम में बनाया जाता है।

प्रत्याशित फायदे

8-10% ढलान वाले उपरी ज़मीन में बने नालियों को इस संरचना द्वारा उपचारित करने से मिट्टी-बालू कटाव रुकती है, एवं नीचले खेतों में उपरी ज़मीन के मिट्टी-बालू नहीं जमा होते। अतः नीचले खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है।


निदेशक, प्लगिंग विभाग
2/13/16

Supported by
Shri
RDD, Farming Coll

150

ESTIMATE OF GULLY PLUGGING WITH LOCALLY AVAILABLE ROCK/LOOSE BOULDER
 DETAIL OF STRUCTURE

Slope	Unit	no.	Unit	Conversion			
				no.			
Bed/Top Length of Gully	%	8-10 %				Average Slope = $\frac{(B+T)}{L} \times 100$ %	9.50%
Gully Interval (MI)	M	60.00			196.80	$X = \text{Rainfall Excess for Sandy Soil}$	0.40
No. of Gully Plug	M	17.02	ft		55.81	Avg. Slope (incl. slope)	9.5
Length of Gully Plug	nos.	1.00				$K = \text{Kron Factor}$	1.50
Upper Width of Gully Plug	M	2.00	ft		6.56	$V(M) = 0.305^2 (XS + T)$ in Mtr.	1.62
Height of Gully Plug	M	0.60	ft		1.97	$H(M) = V \times (100/S)$ in Mtr.	17.02
Bottom Width of Gully Plug	M	1	ft		3.28	H/S SLOPE	3:1
Foundation Depth for Gully Plug	M	4.60	ft		15.09	D/S SLOPE	1:3
C/S AREA =	M	0.60	ft		1.97		
	Sqm	7.6	Sqft		27.97		

Handwritten signature and text in Hindi.

Handwritten notes in Hindi: "सुरक्षा के लिये" and "3000 x 3000 cell".

No.	Items of work	No.	Length	Breadth	Height/Depth	Quantity	Unit
	Total Labour days (Item no. 1 a & b, 2 a, b & c and 4 (i) & (ii)):					175.51	md
						176	md
	Save:					11.73	md
4	(iii) Mate @ 1 Sskd/15 Uskd.					12	md
	Save:						

Signature
 (Name of the Officer)
 District Engineer

Supported by
 BLS
 BDD, Planning Cell

ABSTRACT COST OF MODEL ESTIMATE FOR GULY PLUGGING

Sl. No.	Items of work	Quantity	Unit	Rate (Rs./Unit)	Amount (Rs.)
1.(a)	Earthwork including --- in all kinds of soil --- including lead of up to 50'0" and lift of up to 5'0" --- direction of engineer-in charge	14.43	md		
1.(b)	Labour required for clod breaking and rough dressing	0.78	md		
2 (SoR'2015 /5.6.4)	Supplying laying boulder in rock toe, hill trenches of the dam as per design, drawing including the cost of materials, royalty and taxes etc. -- all complete as per specification and direction of E/I.** (Item no. 2 (a), (b) & (c))	139.66	md		
3	Provision as per MGNREGA	10.32	md		
	(i) Labour for Drinking water @ 1 Uskd/15 Uskd.	10.32	md		
	(ii) Labour for Child care @ 1 Uskd/15 Uskd.	175.51	md		
	Total labour:	176	md	167.00	29392.00
	Say:				
		12	md	185.07	2220.84
4 (i)	Mate @ 1 Uskd/15 Uskd.	43.29	Cum	877.00	37968.49
4 (ii)	Cost of Boulder				
4.(iii)	Carriage of Boulder 10 Km. lead including Contractor profit	43.29	Cum.	290.92	12594.98
4.(iv)	Material (boulder) cost (after deducting 9.09% as per provision)				45967.25
	Total material cost (Item no. 4(i) & (iv)):				48188.09
5	Contingencies	1	LS	750	750
	i) Sign board	1	LS	250	100
	ii) Photography	1	LS	250	100
	iii) First aid	1	LS	500	500
	iv) Temp shed				1450.00
	Sub-Total:				79030.09
	Grand-Total:				79030.00
	Say:				79030.00

Item	No.	Unit
Total Labour days:	176	md
Labour:	37.89	%
Material:	62.11	%

Technical Sanction is accorded for Rs. 79030.00
(Rupees Seventy nine thousand and thirty only)

[Signature]
Assistant Engineer
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

supported by
[Signature]
R.D.D., Planning Cell

60 Mtr. लम्बाई वाली Gully में Gully Plug/Loose Boulder Check बनाने का तकनीकी प्रावधान में अकुशल मजदूरी का एवं सामग्री का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (रु)	कुल मजदूरी दर (रु)
खोदाई के लिए (कड़ी मिट्टी के खोदाई हेतु)				
गहराई 0-5 फीट तक और मिट्टी फेंकने की दूरी: 50 फीट तक				
1 अकुशल प्रति 54 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से	14.43	14.00	14.00	196.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकुशल प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	0.78	1.00	167.00	167.00
नाले में पत्थरों की जुड़ाई का कार्य	139.66	140.00	167.00	23380.00
मजदूरी का पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	20.65	21.00	167.00	3507.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस:	175.51	176.00	167.00	29392.00
भेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुग (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 15 अकुशल मानव-दिवस):	11.73	12.00	185.07	2220.84
पत्थर की कीमत द्रव्याः सहित				45967.25
सूचना पट बनाने के लिए				750.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				500.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				1450.00
कुल:				79030.09
			Say:	79030.00


2015/11/14

Supported by
Blas
PDD, Planning Cell

Handwritten notes in Hindi, possibly a signature or title, including the name 'Rajendra Prasad'.

Handwritten text in a box: 'The Government of India, Ministry of Agriculture, New Delhi, India'.

Scale 1:25000



1955

Supported by
Rajendra Prasad
Planning Cell
S.P.D.

4

Abstract of cost of model estimate for construction for 'Land Levelling with Farm Bunding'


Sl. No.	ITEM OF WORK	QTY	UNIT	RATE (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
				Plot Area (in Decimal):	50
				Slope (%):	3
1	E/W IN EXCAVATION IN ALL KIND OF SOIL DO...E/I	362.89	md		
2	LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND LEVELING DO...E/I	21.65	md		
3	LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND COMPACTION DO...E/I	2.66	md		
4	PROVISION AS FOR MGNREGA				
	(i) LABOUR FOR DRINKING WATER AND CHILD CARE	51.63	md		
	Total Labour:	438.83	md		
	Say:	439	md	167.00	73313.00
	(ii) MATE (135+50.07)	29	nos	185.07	5367.03
	(iii) Contingencies				
	Signboard			LS	500.00
	Photography			LS	100.00
	First Aid Box			LS	100.00
	Temp. Shed			LS	250.00
	TOTAL				79630.03
	Say:				79630.00

TOTAL LABOUR DAYS:	439	md
LABOUR:	93.18	%
MATERIAL:	6.82	%


Technical Senction is accorded for Rs 79630.00
 (Rupees Seventy nine thousand and Six hundred thirty only)

[Signature]
 Assistant Engineer
 MGNREGA Cell
 Ranchi, (Jharkhand)


supported by
[Signature]
 RDD, Planning Cell



Details of C/S view of the Plot



Top View of the Plot



Details of Bund in ft

Drawing of Land Levelling and Field Bunding of the Plot area=50 Decimal (21780 sqft.)

[Handwritten Signature]
 P. P. S. Planning Cell
 P. P. S. Planning Cell

supported by
[Handwritten Signature]
 P. P. S. Planning Cell

0.5 Acre (50 हेसीमल) जमीन में समतलीकरण के साथ साथ मेढबन्धी बनाने का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (रु)	कुल प्राक्कलित राशी (रु)
मिट्टी खोदाई के लिए कार्य				
गहराई 0-5 फीट तक ओर मिट्टी फेकने की दूरी: 100 फीट तक 1 अकुशल मजदूरी प्रति 67 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से	362.89	363	167.00	60621.00
1 अकुशल मजदूरी प्रति 1000 घनफीट के हिसाब से:				
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....	2.66	3	167.00	501.00
उबर-खाबर जमीन को समतलीकरण करने के लिये	21.65	22	167.00	3674.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	51.63	51	167.00	8517.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	438.83	439.00	167.00	73313.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (रु)	कुल प्राक्कलित राशी (रु)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुग (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	29.00		185.07	5367.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पौने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				79630.00

INDIA 21/2/16

supported by
M.A.
RSD, Planning Cell

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR LAND LEVELLING WITH FARM BUNDING IN 0.25 ACRE OF LAND

Item	No.	Unit	Item	No.	Unit
Plot area:	25	Decimal.	Top width of the Field Bund:	1.5	ft
Slop of the plot area:	3	%	Bottom Width of the Field Bund:	4.5	ft
Plot area in Sqft. (@ 1 acre=100 Decimal=43560 Sqft.):	10890	Sqft.	Height of the Field Bund:	1.5	ft
Length of the plot:	104	ft	SLOPE (in ratio) to be maintained: 1:1		
Breadth of the Plot:	104	ft	C/S AREA OF BUND:	4.50	Sqft.
Total Depth at one end:	3.12	ft	Perimeter of the Bund (104'x4=416'):	416	ft
			Total Volume of the bund:	1872	cf
Cutting depth (% of total depth. Assuming 50% of total plot area is from upper slope area and needs to be cut off):	50 %				
Therefore the cutting depth:	1.56	ft	X (i.e. cutting depth):	1.56	ft
Cutting Volume (Length x half of width x half of cutting depth):	8436.48	cf	Y (i.e. balance depth):	1.56	ft
Bund Volume:	1872	cf	A (i.e. cutting width):	52	ft
Filling Volume (Assuming 77.5% of the plot area of the downstream slope that needs to be filled up after construction of field bunding throughout the perimeter as per specification mentioned): (Filling volume-Cutting volume-Bund volume):	5564.48	cf	B (i.e. balance width):	52	ft
Gap [i.e. Cutting volume-(Bund volume+Filling Volume)]:	0.00	cf			
1 VOLUME OF EARTH TO BE EXCAVATED					
EW IN EXCAVATION IN ALL KIND OF SOIL: DO.....E/I					
LIFT UPTO 5'0" LEAD-0'0" to 100'0"					
ORDINARY SOIL 100%					
@ 1 md/67 cft					
1 LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND COMPACTION: DO.....E/I					
TOTAL VOLUME OF SOIL for Bund (cft):	1872.00				
Mandays @ 1 MD/1000cft					
2 LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND LEVELLING EARTH FOR FILLING PORTION					
Qty.(cft) same as 'Filling volume':	6564.48				
@ 1 md/1000 cft					
			Total labour days		
			(1+2+3):	134.35	md
4 PROVISION AS PER MGNREGA					
(i) LABOUR OR DRINKING WATER @ 1M.D/15 NOS OF LABOURS					
(ii) LABOUR FOR CHILD CARE @ 1M.D/15 NOS OF LABOURS					
			Grand total labour-		
			days:	152.27	md
			Say:	152.00	md
				10	nos


*Subtotal by
Mandays, Manning call*

Abstract of cost of model estimate for construction for 'Land Levelling with Farm Bunding' (b)

Sl. No.	ITEM OF WORK	QTY	UNIT	RATE (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
				Plot Area (in Decimal):	25
				Slope (%):	3
1	E/W IN EXCAVATION IN ALL KIND OF SOIL DO...E/I	125.92	md		
2	LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND LEVELING DO...E/I	1.87	md		
3	LABOUR REQUIRED FOR DRESSING AND COMPACTION DO...E/I	6.56	md		
4	PROVISION AS FOR MGNREGA				
	(i) LABOUR FOR DRINKING WATER AND CHILD CARE	17.91	md		
	Total Labour:	152.27	md		
	Say:	152	md	167.00	25384.00
	(ii) MATE (135+50.07)	10	nos	185.07	1850.70
	(iii) Contingencies				
	Signboard			LS	500.00
	Photography			LS	100.00
	First Aid Box			LS	100.00
	Temp. Shed			LS	250.00
	TOTAL				28184.70
				Say:	28185.00

TOTAL LABOUR DAYS:	152	md
LABOUR:	93.20	%
MATERIAL:	6.80	%

Technical Senction is accorded for Rs 28185.00
(Rupees twenty thousand and one hundred eighty five only)


Assistant Engineer
MGNREGA Cell
Ranchi, (Jharkhand)

Supported by

ADD, Planning cell


164
151

0.5 Acre (25 डेसीमल) जमीन में समतलीकरण के साथ मेढ़वंधी बनाने का तकनीकी प्राक्कलन में अकुशल मजदूरी का भुगतान स्वरूप


	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मिट्टी खुदाई के लिए कार्य				
गहराई 0-5 फीट तक और मिट्टी फ्रेकने की दुरी: 100 फीट तक				
1 अकुशल मजदूरी प्रति 67 घनफीट मिट्टी के खुदाई करने के हिसाब से	125.92	126	167.00	21042.00
1 अकुशल प्रति 1000 घनफीट के हिसाब से:				
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बांध बनाने के लिए.....	1.87	2	167.00	334.00
उबर-खाबर जमीन को समतलीकरण करने हेतु	6.56	6	167.00	1002.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	17.91	18	167.00	3006.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	152.27	152.00	167.00	25384.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-कुशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल प्राक्कलित राशी (₹)
मोट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुगतान (1 अर्ध-कुशल मानव-दिवस प्रति 20 अकुशल मानव-दिवस)	10.00		185.07	1851.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				28185.00

15/11/16
निदेशा कृष्णा
शासक


Supported by
RDD, Planning Cell



Details of C/S view of the Plot



Top View of the Plot



Details of Bund

Drawing of Land Levelling and Field Bunding of the Plot area= 25 Decimal (10890 sqft)


 दिनेश कुमार शर्मा
 सहायक अभियंता

Supported by
 PWD, Planning Cell

लूज बोल्टर व पत्थर का बाँध

तकनीकी प्रतिवेदन

अधिक ढलान वाले इलाके में भूक्षरण के कारण बने नालों में भूक्षरण की रोक थाम के लिए लूज बोल्टर बाँध बनाया जाता है। पानी के बहाव को नहीं रोकने के कारण नालों का पानी मिट्टी-बालू लेकर खेतों में घुस जाता है जिससे खेत खराब हो जाते हैं। ऐसे नालों में अगर बोल्टर बाँध बनाया जाये, तो पानी के साथ मिट्टी-बालू का कटाव नहीं होगा।


निर्माण के सिद्धान्त

इस को नाले के ढलान के दिशा में बनाया जाता है। यह बाँध पत्थरों द्वारा निर्माण किया जाता है एवं इन बाँधों के कारण नाले में बह रहे पानी की गति कम हो जाती है और भूक्षरण रुकता है।

बाँध की ऊँचाई 1m राखी जाती है। बाँध में upstream की दिशा में 1:1 एवं downstream में 1:3 का ढलान रखा जाता है। केंद्र में बाँध को बीचो-बीच थोड़ा नीचा रखते हैं ताकि पानी उसके ऊपर से गुजर सके। अगर बाँध बीच में ऊँचा होगा तो पानी किनारों को काटता हुआ निकलेगा और बाँध टूट जायेगा।

प्रत्याशित फायदे


अधिक ढलान वाले उपरी ज़मीन में बने नालियों को इस संरचना द्वारा उपचारित करने से मिट्टी-बालू कटाव रुकती है, एवं नीचले खेतों में उपरी ज़मीन के मिट्टी-बालू नहीं जमा होते। अतः नीचले खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। बाँध में पानी के जमाव के कारण भूजल का स्तर बढ़ता है और नीचे बने जलश्रोतों में ज्यादा दिनों तक पानी उपलब्ध होता है।



 दिनेश कुमार शर्मा

 सहायक अभियंता

supported by



 RCD - Planning cell

551

15/2

DETAILED OF MODEL ESTIMATE FOR LOOSE BOULDER/ROCK CHECK

Sl. No.	Items of work	No.	Length	Breadth	Height/D epth	Quantity	Unit
1	Earthwork Incutting --- in all kinds of soil --- including lead of up to 500" and lift of up to 5'0" --- direction of engineer-in charge	3	4	5	6	7	8
1(a)	Hard Soil	1.00	32.8	15.09	1.97	973.94	cft
	1 md/54 cft					18.04	md
1(b)	Labour required for clod breaking and rough dressing						
	Hard Soil	1.00	32.8	15.09	1.97	973.94	cft
	1 md/1000 cft					0.97	md
A	Total:					19.01	md
2 (SORK 2015/ 5.6.4)	Supplying laying boulder in rock toe, hill trenches of the dam as per design drawing including the cost of materials, royalty and taxes etc. --- all complete as per specification and direction of E/I. **						
2(a)	Foundation	1.00	32.8	15.09	1.97	973.94	cft
	Above Foundation						
	C/S area 2.6						
	Sqm.=27.97 Sqft	1.00	32.8			917.48	cft
2(c)	For Apron	1.00	2.00	2.00	1.00	4.00	cft
	Sub-Total (of qty.):					1895.41	cft
						53.66	Cum.
3. (SORK 2015 /Pg. 56)	Carriage of Boulder 10 Km. lead including Contractor profit					53.66	Cum.
	Sub-Total:						
	Deduct 9.09% excluding item no. 1						
	Total:					173.11	md
B.	**Uskd. Labour under item no. 2 (i.e. @ 0.31 Cum/1 Uskd md)					192.12	md
	Total labour days (item no. 1a & b, 2a,b & c):						

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

supported by
Blank
 Planning Cell
 R.O.D., Planning Cell

2017

Sl. No.	Items of work	No.	Length	Breadth	Height/D eprh	Quantity	Unit
4	Provision as per MGNREGA (i) Labour for Drinking water @ 1 Uskd/15 Uskd. (ii) Labour for Child care @ 1 Uskd/15 Uskd.					12.81 12.81	md md
	Total Labour days (Item no. 1 a & b, 2 a, b & c and 4 (i) & (ii)):					217.74	md
						218	md
	(iii) Mate @ 1 Sskd/15 Uskd					14.53	md
C.						15	md

Handwritten signature
प्रधान कार्यपालक
महाराष्ट्र सरकार

Supervised by
Handwritten signature
BDO, Harising Cell

1970
157

ABSTRACT COST OF MODEL ESTIMATE FOR LOOSE BOULDER/ROCK CHECK

Sl. No.	Items of work	Quantity	Unit	Rate (Rs./Unit)	Amount (Rs.)
1.(a)	Earthwork incutting --- in all kinds of soil --- including lead of up to 50'0" and lift of up to 5'0" --- direction of engineer-in-charge	18.04	md		
1.(b)	Labour required for clod breaking and rough dressing	0.97	md		
2. (SoR'2015/ 5.6.4)	Supplying laying boulder in rock toe, hill trenches of the dam as per design, drawing including the cost of materials, royalty and taxes etc. -- all complete as per specification and direction of E/I ** (Item no. 2 (a), (b) & (c))	173.11	cft		
3	Provision as per MGNREGA				
	(i) Labour for Drinking water @ 1 Uskd/15 Uskd.	12.81	md		
	(ii) Labour for Child care @ 1 Uskd/15 Uskd.	12.81	md		
	Total labour:	217.74	md		
	Say:	218	md	167.00	36406.00
4.(i)	Mate @ 1 Sskd/15 Uskd	15	md	185.07	2776.05
4.(ii)	Cost of Boulder	53.66	Cum	877.00	47063.34
4.(iii)	Carriage of Boulder 10 Km. lead including Contractor profit	53.66	Cum.	290.92	15611.93
4.(iv)	Material (boulder) cost (after deducting 9.09% as per provision)				56978.09
	Total material cost (Item no. 4(i) & (iv)):				59754.14
5	Contingencies:				
	i) Sign board	1	LS	750	500
	ii) Photography	1	LS	250	100
	iii) First aid	1	LS	250	100
	iv) Temp shed	1	LS	500	250
	Total:				950.00
	Grand-Total:				97110.14
	Say:				97110.00

Item	No.	Unit
Total Labour days:	218	md
Labour:	37.86	%
Material:	62.14	%

Technical Senction is accorded for Rs. 97110.00
(Rupees Ninety Seven thousand and One hundred ten only)

Assistant Engineer
MGNREGA Cell
Ranchi (Jharkhand)

31/2/16

supported by
Ranchi
RSD, Planning Cell


10 Mtr. लम्बाई Loose Boulder/Rock Check बनाने का तकनीकी प्रोपोजल में अकुशल मजदूरी का एब सामग्री का भुगतान स्वरुप

	कुल मानव-दिवस (अकुशल)	After wastage (less roots, shurbs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकुशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल मजदूरी दर (₹)
खोदाई के लिए (कड़ी मिट्टी के खोदाई हेतु)				
गहराई 0-5 फीट तक और मिट्टी फेकने की दूरी: 50 फीट तक				
1 अकुशल प्रति 54 घनफीट मिट्टी के खोदाई करने के हिसाब से	18.04	18.00	167.00	3006.00
मिट्टी के ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकुशल प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	0.97	1.00	167.00	167.00
नाले में पत्थरों की जुड़ाई का कार्य	173.11	173.00	167.00	28891.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	25.62	26.00	167.00	4342.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	217.74	218.00	167.00	36406.00
सेट की मजदूरी कार्य के देख-रेख के लिए भुग (1 अर्ध-अकुशल मानव-दिवस प्रति 15 अकुशल मानव-दिवस) उत्थर की कीमत दुलाई सहित	14.53	15.00	185.07	2776.05
				56978.09
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शेड एवं पीने के पानी रखने के लिए प्रबंध				250.00
हायस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				97110.14
			Say:	97110.00

31/3/16

Submitted by
 [Signature]
 P.P.P. Planning Cell

137
159



OBJECTIVE:	(A) TO REDUCE THE VELOCITY OF WATER
	(B) TO PREVENT SOIL EROSION

Supported by
Bharat
RCD, Planning Cell

दिनेश कुमार शर्मा
सहायक अभियंता

Staggered Contour Trench (असमान खांचे)

वैसे स्थान जहाँ सालाना माध्यम वारिस (750-1200 मी.मी.) हो एवं जमीन उबर-खाबर हो वैसे स्थान पर असमान खांचेका निर्माण किया जाता है

इसकी लम्बाई 2 से 3 मीटर और पंक्तियों के बिच का दुरी इसके अनुपात में 3 से 5 मीटर होता है लगातार कंटूर ट्रेच की अपेक्षा असमान कंटूर ट्रेच में बनाये गए संरचनाओं को कम नुकसान होता है समय के साथ जल छाजन प्रोग्राम में यह अनुभाव किया गया है की असमान कंटूर ट्रेच की संरचनाओं को बनाना लगातार कंटूर ट्रेच से अच्छा होता है क्योंकि लम्बा ट्रेच बनाने में गलतियों होने का खतरा अधिक होता है. यदि कंटूर ट्रेच का लेवल एक सामान नहीं है या गलती से उसका ढाल(स्लोप) की गणना गलत हो गया हो वैसे स्थिति में पानी का बहाव उचतम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक होता है जिससे मिट्टी का कटाव अधिक होता है. इसलिय लगातार ट्रेच(कंटीन्यूअस ट्रेच) बनाने से अच्छा है सामान अंतराल में ट्रेच बनाना.

समोच्च रेखा पर 2 मीटर लम्बी ट्रेच खोदा जाता है फिर 2 मीटर के अंतराल पर पुनः 2 मीटर लम्बी ट्रेच बनाया जाता है. इस प्रक्रिया को दुहराते हुए सामान समोच्च रेखा पर ट्रेच का निर्माण किया जाता है. दूसरा कंटूर लाइन का शुरुआत उपरवाले दो सामान्य खांचे के बीच बचे जमीन के सामान अन्तराल में बनाया जाता है एवं दो सामान्य खांचो के बीच का अन्तराल उपरवाले खांचे के समान्तर होता है. इस प्रकार हम अधिकतम बहता हुआ वर्षा जल को खांचो के माध्यम से उपयोग कर सकते है, इस प्रकार के श्रृंखला पूर्वक ट्रेच बनने से ऊपरी रेखा पर बने खांचे से बचा हुआ बहता जल तुरंत निचली रेखा पर बनी ट्रेच (खांचे) में जमा हो जाती है.

जिस स्थान में वृक्ष या झाड़िया हो, वैसे स्थानो पर ट्रेच के बीच का अंतराल वृक्ष एवं झाड़ियों की वृद्धि को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए. इसी प्रकार चट्टान या पत्थर मिलने पर भी ट्रेच के बीच का अंतराल कम या अधिक किया जा सकता है.

डिजाइन :- ट्रेच का आकार मिट्टी की गहराई एवं जलछाजन के अन्य माप-दंडो पर निर्भर करती है. सामान्यतः अनेक जल-छाजन प्रोग्राम में असामान्य खांचे (ट्रेच) का आकार 50 सेमी गहरा एवं 50 सेमी चौड़ा होता है.

ट्रेच की खुदाई से निकली मिट्टी को गड्ढा से 20 सेमी की दुरी पर निचे की ओर (D/S) अर्ध-चन्द्र आकार में रखना चाहिए जिससे खोदी गई मिट्टी ट्रेच में नहीं गिरे.

Supported by
RDD, Planning Cell

दिनेश कुमार
सहायक अधिकारी

DETAILED MODEL ESTIMATE FOR STAGGERED CONTOUR TRENCHES (I)

Item	<u>Acre)</u> No.	Unit
Area of Plot:	1	Acre
Conversion of plot area in Sqft.:	43560	sqft
Slope of the plot area (%) :	10 to 20	%
Length of each trench:	6	ft
Width/breadth of each trench:	2	ft
Depth of each trench:	2	ft
Volume of excavated soil from 1 trench:	24	cft
For safety purpose horizontal distance:	12	ft
Catchment area of 1 trench:	72	Sqft
Total no. of trenches to be excavated:	605	Nos

S. No.	Detail of Items	Labour Days	Unit
1	Labour required for site clearance and bush cutting	5	md
2	E/W in excavation of 1 trench (6'x2'x2') in very hard soil.....do.....E/i		
	(i) Lead 0'0" to 2'0" Lead upto 50'0"		
	L(ft) B(ft) D(ft) Qty(cft)		
	6 2 2 24 cft		
	Volume of one trench =	24	cft
	Total excavation work in 1 acre land (24 cft x 605 nos) =	14,520	cft
	Total labour days@1 md/44 cft =	330.00	md
3	Labour required for clods breaking & rough dressing.....do.....E/i person days@1 md/1000 cft =	14.52	md
	TOTAL Labour Days Required (1+2+3) =	349.52	md
4	PROVISION AS PER MGNREGA		
	(i). Labour for drinking water: Person days@1 md/20 Nos of labour:	17.48	md
	(ii). Labour for Child care: Person days@1 md/20 Nos of labour:	17.48	md
	GRAND TOTAL MAN DAYS =	384.47	md
		Say 384.00	md
	(ii) Mate @1 No./20 Nos of labour =	19.22	no.
		Say 19.00	no.

दिनेश कुमार खन्ना
सहायक अभियन्ता
24/3/16

supported by
RDP, Planning Cell


137
164

**ABSTRACT OF COST FOR MODEL ESTIMATE FOR STAGGERED CONTOUR
TRENCHES (1 Acre)**

S.N.	Item of work	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Labour required for site clearance & bush cutting	5.00	md		
2	E/W in excavation of trenches	330.00	md		
3	Labour required for clod breaking & rough dressing	14.52	md		
	Total Labour Days	349.52	md		
4	PROVISION AS PER MGNREGA				
	(i) Labour for drinking water & child care	34.95	md		
	Grand Total Labour-Days:	384.47	md		
	Say:-	384.00	md	167.00	64128.00
	(ii) Mate	19	No.	185.07	3516.33
	(iii) Contingencies				
	Signboard			L.S	500.00
	First aid Box			L.S	100.00
	Photography			L.S	100.00
	Temp. Shed			L.S	250.00
	Total:-				68,594.33
	Say:-				68,594

Total person days:	384	md
Labour:	94.80	%
Material:	5.20	%

Technical Senction is accorded for Rs 68594.00
(Rupees Sixty eight thousand and five hundred ninty four) only


Assistant Engineer
MGNREGA Cell
Ranchi, (Jharkhand)


supported by

RDP, Planning Cell

FIGURE OF STAGGERED TRENCH

Fig.1: Top view of single pit




Fig.2: Top view of treated patch





Fig.3: Top view of the trench






 विनाय कुमार

 सहायक अभियंता

Supported by





 RSD, Planning cell

1 Acre में SCA बनाने का तकनीकी प्राक्कलन में अकशल मजदूरी का आगतान स्वरूप

152
166

	कुल मानव-दिवस (अकशल)	After wastage (less roots, shrubs, bushes etc.)/consolidation: कुल मानव-दिवस (अकशल)	कुल मजदूरी दर (₹)	कुल मजदूरी दर (₹)
स्थल पर सफाई एवं झाड़ी आदि को साफ करने के लिए	5.00	5	167.00	835.00
मिट्टी खुदाई कार्य के लिए (अति कड़ी मिट्टी के खुदाई हेतु)				
गहराई 0-5 फीट तक ओर मिट्टी फेंकने की दूरी: 50 फीट तक 1 अकशल प्रति 44 घनफीट मिट्टी के खुदाई करने के हिसाब से	330.00	330	167.00	55110.00
मिट्टी का ढेला तोड़कर, ढाल बनाकर बंध बनाने के लिए.....(1 अकशल प्रति 1000 घनफीट मिट्टी के हिसाब से)	14.52	14	167.00	2338.00
मजदूरी को पानी पिलाने एवं बच्चों की देख-रेख के लिए..	34.95	35	167.00	5845.00
कुल मजदूरी मानव-दिवस	384.47	384	167.00	64128.00
	कुल मानव-दिवस (अर्ध-अकशल)		कुल मजदूरी दर (₹)	कुल मजदूरी दर (₹)
मेट की मजदूरी, कार्य के देख-रेख के लिए भुग (1 अर्ध-अकशल मानव-दिवस प्रति 20 अकशल मानव-दिवस)	19.00		185.07	3516.00
सूचना पट बनाने के लिए				500.00
स्थल फोटोग्राफी करने के लिए				100.00
दवाई आदि का खर्च				100.00
स्थल पर शौच एवं पीने के पानी रखने के लिए पबंध				250.00
कार्यस्थल सहयोग राशि (मनरेगा के तहत):				950.00
कुल:				68594.00


दिनेश कुमार शर्मा
सहायक अभियन्ता

Supported by

RDD, Planning Cell

12

Draft MoU for NRLM-MGNREGS-CFT Convergence Project

The MoU for the implementation of project for convergence NRLM-MGNREGS and CFT¹ strategy is entered into and made effective as of 1st November 2015

between

The Rural Development Department, Government of Jharkhand, 1st Floor ,FFP Building Dhurwa, Ranchi 834004 represented by the Principal Secretary, Department of Rural Development, Government of Jharkhand, herein referred to as the Government of Jharkhand, which shall mean and include its successors and permitted assigns shall be known as First Party

And

Full Name and Address of CSO
Head office:
represented by, State Office:

herein referred to as "Partner" (which shall mean and include its successors and designs) shall be known as the Second Party

Whereas

The objective of the MoU is to ensure the clear division of roles and responsibilities between the CSO selected for facilitating the CFT Pilot Project and the State Rural Development Department, Government of Jharkhand in order to achieve the deliverables of the project as listed in the Project Proposal submitted by the CSO. The MoU is expected to affix responsibilities to each stakeholder and ensure greater transparency and accountability in the implementation of the NRLM-MGNREGS-CFT Project.

Now this Memorandum of Understanding Witnesses as Follows

1. Scope of the Partnership

The objective of this partnership is to strengthen the implementation of the MGNREGS programme by the Government of Jharkhand through active engagement of Partner to play critical facilitation and capacity building roles at the grassroots-strategically mobilizing CBOs (SHG Collectives) and Gram Panchayats, by employing a team of staff under the CFT project.

Partner and Government of Jharkhand, in strategic collaboration with Rural Development Department, Govt. of Jharkhand and JSLPS, will work in synergic relationship through provision of adequate and timely support and cooperation as mentioned within service standards laid down in the MoU in Section 3 to achieve the CFT Project goals. The coverage of the project will be as mentioned in Section 2 of this MoU document. As a reference document, a copy of the CFT Project Proposal is annexed to this MoU.

¹ See Abbreviation at the end of this document (Section-12)

2. Coverage and Output

The agreed coverage for MGNREGA intervention under the CFT Pilot Project in second year and third year (Nov 2015-Oct 2017) are as follows:

S. No.	Name of District	Name of Block	Total no. of Gram Panchayats in the block	Total no. of Gram Panchayats proposed to be intervened in two years	Name of Gram Panchayats proposed to be intervened in two years

For each CFT, the scale of operation for second year and third year (Nov 2015 – October 2017) is as tabulated below:

Project Output Details	Outreach and deliverables per CFT (latest by October 2016)
Number of Gram Panchayats	One third of total Gram Panchayats in the block
Number of Revenue Villages	All villages of selected Gram Panchayats
Minimum number of SHGs per Gram Panchayat to be involved in planning for MGNREGA works and mobilization of workers	30
Minimum number of households per Gram Panchayat for whom an individual MGNREGA asset has to be planned in the village development plan	300
Minimum number of households per Gram Panchayat that will work in MGNREGA	500
Minimum number of SHG mates per revenue village to be trained	4
Preparation of Village Development Plans (Consolidation of Hamlet-level plans)	To be prepared for all revenue villages of the selected Gram Panchayats
Total CFT Cost (Lakhs INR) for two years	18.66
Average person-days/SC-ST household/year to be generated	60 person days in the second year and 75 person days in the third years

Project Coverage Details	IIrd Year (1 st Nov 2015 – 31 st Oct 2016)	IIIrd Year (1 st Nov 2016 – 31 st Oct 2017)	Cumulative
Number of Gram Panchayats			
Number of Revenue Villages			
Total CFT Cost (Lakhs INR) for two years			
Average person-days/SC-ST household/year to be generated	60	75	
Number of CFTs established			

The partner CSO will put in place CFTs as per the following composition and structure (efforts are to be made to ensure equal participation of women):

Name of Block	Number of CFTs	Number of Social Mobilisers	Number of INRM and participatory planning technologies experts	Number of Civil Engineering experts (for land & water works)	Number of Community Resource Persons
	CFT I				
	CFT II				
	CFT III				

The CFTs will work as per the Standard Operating Procedure issued by the MGNREGA Cell of Rural Development Department, Government of Jharkhand [letter number 2505] on 16 November 2015.

2. Role and Responsibility of Stakeholders

2.1. Role of Partner (Name of CSO)

Component	Sub-Component	Role of Partner (Name of CSO)
Preparatory Groundwork	Establishing CFTs	Identify, train, place and operate the Cluster Facilitation Team which will perform as a technical secretariat to the selected Gram Panchayats. Each CFT will have at least three experts with the following skills: 1) social mobilization, 2) INRM and participatory planning technology expertise and 3) civil engineering expertise for land & water works. Efforts will be made to ensure equal participation of women in the Cluster Facilitation Teams. For each Gram Panchayat the CFTs will also identify, train and support Community Resource Persons in INRM technologies, participatory planning technologies, and MGNREGA. CSOs will send the names of CFT members with their complete details and also the names of community resource persons trained by them.
	Preliminary Studies	Conduct baseline survey of the hamlets, and assess the condition of MGNREGS in each Gram Panchayat (Institutions, Infrastructure, Practices)
Community Mobilization and Demand Generation	Concept Seeding	Organize district, block and Gram Panchayat level workshops with panchayati raj representatives, MGNREGA functionaries, local officials and CBOs on the objectives and processes of the CFT project and will send the report regarding the same
	Demand Generation	Support the CBOs to facilitate application for job cards and work and opening of bank accounts and report Support the Gram Panchayat members in organizing weekly Rozgar Divas at the Panchayat Bhavan and facilitate application for work and report
Planning	Participatory Planning	<ol style="list-style-type: none"> Village/ Hamlet level planning: Facilitate the participation of the CBOs (in collaboration with the BMMU wherever it exists) in the planning process to identify works from the approved list (as per Schedule I of the MGNREG Act 2005) that could help them in their livelihoods as per the guideline of IPPE II. Support the Gram Panchayat members in the participatory planning exercise. Community Assets: Help the CBOs and tola sabhas in preparing perspective plans for the development of community livelihoods based on principles of watershed planning and natural resource management. Individual assets: Help the SHGs to identify individual assets focusing on improving the land, water and trees. Facilitating the SHG tier (VOs) in collation of these works and present to the Gram Sabha for approval.
Implementation	Plan Sanctioning	Provide INRM training to JEs and TAs/Barefoot Engineers to help them prepare technical estimates.
	Planning the work implementation	Facilitate the CBO to support the gram sabha in preparing a plan for work implementation and for selecting SHG members as mates.
	Measurement and MIS	<ol style="list-style-type: none"> Facilitate the streamlining of the measurement and implementation process by introducing daily measurement book and other formats, as and when required. Facilitate the CBOs to monitor the mate and to ensure that filled-up e-muster rolls and daily measurement books are submitted to the GP/Block within two days of end of work-week.

Monitoring and Supervision	Reporting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Support the gram panchayat representatives and Block Administration in setting up the GP-level and Block-level monitoring mechanisms. 2. Provide reports on the activities and progress of the CFT project to the state administration in the prescribed formats.
Capacity Building	Capacity Building	Organize trainings, workshops, and exposures as per the project proposal, and ensure capacity building of all stakeholders such as SHG members, mates, frontline functionaries of MGNREGA, PRI representatives etc. especially at the GP level.

2.2. Role of Block Administration

Component	Sub-Component	Role of Block Administration
Community Mobilization and Demand Generation	Concept Seeding	Ensure the participation of frontline functionaries and block officials in the workshop.
	Demand Generation	Ensure that the frontline functionaries support the CBOs, and issue the job-cards as per the Act.
		Ensure conduct of weekly Rozgar Divas at Panchayat Bhavan and participation of BPO and other frontline functionaries in it. Ensure that the Gram Rozgar Sewak and the block administration accepts the applications for Job Cards and work, and issue dated and signed receipts.
Planning	Participatory Planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure the support of the BPO, AE, JE and Gram Rozgar Sewak in the participatory planning exercise. 2. Ensure that the village plans, approved by the GS and GP, are given expeditious administrative and technical sanctions, in any case, not later than 30 days from the date of convening of the Gram Sabha. 3. Ensure that the village annual plan is sanctioned in totality under a single Work Order to commence MGNREGS Work in the hamlets.
Implementation	Plan Sanctioning	Ensure that the JE/TA prepares the technical estimates timely as per the norms of the MGNREG Act, and as per local requirements.
	Planning the work implementation – Work Initiation Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure the support of the BPO and frontline functionaries in the initiation meeting. 2. Ensure proactive disclosure of the estimates and SoR by the Gram Rozgar Sewak/JE during the initiation meeting. 3. Ensure that worksite facilities (drinking water, crèche, first aid, information board etc) are made available from the first day of work initiation.
	Measurement and MIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that e-muster rolls reach the worksite on the first day of the work. 2. Ensure that the works are opened as per the sanctioned village plan, and demand of the workers.
Support the CFT and mates in streamlining the measurement and implementation processes in the project Gram Panchayats, through daily measurement book and other relevant formats.		

		Ensure that the Gram Rozgar Sewak collects the filled muster roll and daily measurement book from the mates within two days of the end of the work-week.
		Ensure that the JE/TA verifies the measurement and updates the MB regularly at the end of the work-week.
	Payment of wages	Ensure that timely entry of muster roll and other data in the MIS, to make sure that the payment is done within 15 days of work-week.
		Ensure that payment of wages is done within 15 days of work-week.
	Closure	Ensure that closure procedure of the schemes after the physical work completion, is discussed in the monthly GS, and attended by the Gram Rozgar Sewak. Also, ensure the closure of the scheme in the MIS after the GS discussion, as per the norms of the Act, within a period of two months.
Monitoring and Supervision	Reporting	Ensure that block-level monitoring mechanism is in place, and stakeholder meetings are held weekly.
	Social Audit	Ensure regular social audits with active participation of CBOs and PRIs, as per the norms of the Act. Ensure pro-active disclosure of information related to works.

2.3. Role of District Administration

Component	Sub-Component	Role of District Administration
Planning	Participatory Planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that the village plans approved by the GS and GP are given administrative and technical sanctions within 30 days from the date of approval in the Gram Sabha and are included in the MGNREGS Works. 2. Ensure that the village annual plan is sanctioned in totality under a single Work Order to commence MGNREGS work on time.
Implementation	Payment of Wages	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that all selected Gram Panchayats/ Blocks have adequate MGNREGS staff for implementation of CFT project. 2. Ensure that payment system (PFMS) is in place, and Banks and Post Offices help in timely payment of wages. 3. Ensure that payment of wages is done within 15 days of work-week.
Monitoring and Supervision	Reporting	Ensure that district-level monitoring mechanism is in place and stakeholder meetings are held monthly.
	Social Audit	Ensure regular social audits as per the norms of the Act.
Capacity Building/Support	Capacity Building/Support	Issue suitable instructions and hold meetings/workshops to acknowledge the role of CSOs, PRI bodies and CBOs like SHG, VO etc in MGNREGS planning, implementation and monitoring.

2.4. Role of RDD, GoJ (First Party)

Component	Sub-Component	Role of RDD, GoJ
Preparatory Groundwork	Establishing CFTs	Facilitate smooth interface and coordination between the State Administration, NREGA cell and CSOs at the State level.

Planning	Participatory Planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Issue GO to ensure that works identified by CBOs and approved by the Gram Sabhas and GPs under CFT are given expeditious administrative and technical sanctions, in any case, not later than 30 days from the date of convening of the GS. 2. Issue GO to ensure that the village annual plan is sanctioned in totality under a single Work Order.
Implementation	Plan Sanctioning	Recruit a Technical Assistant/Barefoot Engineer for every selected Gram Panchayat, and empower them to record in the M-book by issuing special GO, if not already recruited. The CSO may help in identification and training of such people.
	Payment of Wages	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure inclusion of plans by SHGs & GS d in the MGNREGS works of each financial year till the project period. 2. Ensure timely flow of MGNREGS funds to the districts and Panchayats. 3. Ensure that all selected Panchayats/ Blocks have adequate MGNREGS staff for implementation of CFT project. 4. Ensure that payment system (PFMS) is in place, and Banks and Post Offices ensure timely payment of wages.
Monitoring and Supervision	Reporting	Ensure that implementation and monitoring committees are formed at the District, Block and GP level with membership of CSO, MGNREGA functionaries and NRLM functionaries, clearly defining their role and responsibilities.
Capacity Building/Support		<ol style="list-style-type: none"> 1. Effectively engage with Jharkhand State Advisory Committee to inform policy as and when required. 2. Organize workshops and training events to build capacity of the CSOs on MGNREGS and INRM. 3. Facilitate building of a platform among various state-level stakeholders for knowledge management, capacity building and project coordination. 4. Ensure regular meetings of State Monitoring Committee, as per the schedule, and active participation of all relevant stakeholders. 5. Issue suitable GO to acknowledge the role of CBOs like SHG, VO etc in MGNREGS planning, implementation and monitoring. 6. Issue suitable GO to acknowledge the role of SHG mates in MGNREGS implementation and supervision. 7. Ensure the building up of institutional capacity (HR, infrastructure, connectivity etc) of Panchayat and Block, wherever required, for the effective implementation of the project. 8. Ensure setting up of State CFT Cell in the department to coordinate and monitor the NRLM-MGNREGA-CFT programme, and also to provide thematic handholding support to all stakeholders.
Project Implementation and Support		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ensure that CFT funds are sanctioned and released by JSLPS to the Partner within stipulated period, as mentioned in section 4 of the MoU, and as per the recommendation of Rural Development Department. 2. Ensure regular review of the project progress and support CSOs in addressing problems in implementation of the project. 3. Ensure that MGNREGA Ombudspersons are available for hand holding in case of any grievance redressal situation in the CFT project Gram Panchayats.

2.5. Role of SRLM (JSLPS)

Component	Sub-Component	Role of SRLM (JSLPS)
Preparatory Groundwork	Establishing CFTs	Facilitate CSOs in the placement of quality CFT Staff in the selected block on time, and as per the MoU.

Community Mobilization Demand Generation	Concept Seeding	Facilitate operationalizing this convergence through the DMMUs and the BMMUs / PRADAN-MFTs (If placed in the district) placed in the project blocks.
	Mobilising CBOs	Facilitate participation of CBOs (SHG, VO, Federation) in awareness generation and planning activities of MGNREGS, through all concerned DMMUs and BMMUs/PRADAN-MFTs to
Project Implementation and fund-flow Support		<ol style="list-style-type: none"> 1. To host a secretariat at Rural Development Department to oversee day-to-day activities & support the project. 2. To facilitate regular release of CFT and capacity building funds to the CSOs, based on the progress of implementation. 3. To monitor the fund expenditure and evaluate financial systems setup by partner CSO for implementing the project. 4. Ensure an end-term evaluation process and future strategy setting & expansion task is initiated with active participation of CBOs, State Advisory Group and other eminent personalities. 5. To effectively monitor the functioning of CFTs /CSOs and take corrective measures immediately wherever needed so that desired goals are achieved and report the same to RDD

3. Expected Outputs and Outcomes through Partnership

The partnership among the above mentioned Stakeholders is expected to yield the following results in the two years year (1st November 2015 – 31st October 2017):

3.1. Creation of Awareness and Demand Generation

Task-Outcome-Indicators

Task	Sub-Task	Process Output	Component Outcome
MGNREGA Awareness Building	Regular discussion on MGNREGA in SHG meetings		Increase in Demand
	Organizing Hamlet Sabhas on workers' rights and entitlements in MGNREGA		
	Selection of MGNREGA RPs	Number of Resource Persons	
	Selection of hamlet-level representatives for planning.	Number of Representatives	
	Organizing GS around MGNREGA/Informing villagers	Number of GS/ Participation of women	
	Organizing HS around MGNREGA-INRM convergence	Number of HS/ Participation of women	
Demand Generation	Facilitating application for job card.	Number of applications	Increase in Demand
	Opening of Bank accounts.	Number of Bank Accounts opened and frozen in NREGASoft	
	Transfer of PO accounts to Bank accounts	Number of Bank Accounts opened and frozen in NREGASoft	
	Organising Rozgar Divas	Number of Rozgar Divas held/Number of Rozgar Divas Reports shared	

Facilitating application for work.	Number of applications
------------------------------------	------------------------

3.2. Participatory Planning

Task-Outcome-Indicators

Task	Sub-task	Process Output	Component Outcome
Participatory Planning	Mapping at HS/GS level– social map, resource map, patch map, ownership map	Social Map, Resource Map, Ownership Map, Activity Map	Comprehensive Village Development Plan
	Transect walk – Identification of ridge and drainage line.		
	Generation of patch treatment options according to INRM approach and area need.		
	Discussion of plan in HS.		
Plan Consolidation and Submission	Collation of all patch-plans in specified format for GS plan.	Number of GS/ Participation of women	Shelf of Projects (including Plan, Labor Budget, Implementation priority)
	Converting the plan into project, along with labor budget.		
	Organizing GS/Informing villagers		
	Discussion and finalization of plan in GS.		
	Work scheduling according to labor budget.		
	Submission of GS plan to Panchayat		
	Discussion of GS plans in Panchayat		
	Submission of final plan to block.		

3.3. Implementation

Task-Outcome-Indicators

Task	Sub-task	Process Output	Component Outcome
Planning the work implementation	Organizing GS/HS-level initiation meeting to <ul style="list-style-type: none"> • Select SHG mate • Identify interested wage earners • Finalize modalities of implementation 	Number of SHG mates	Active SC/ST job-cards to get at least 60 person-days by end of Second Year, and 75 person-days by the end of the Third Year
	Entry of demand in MIS	Number of initiation meetings	
	Issuing e-muster roll	No of MGNREGA, block functionaries, PRI, CBOs actively involved, minute of meeting with the commitment of future course of action	
	Laying-out of structure.		
	Assigning work to the labor groups, and deciding the work unit as per the SOR and the physical conditions.		
Measurement and MIS	Field-level Daily Work Measurement.		
	Filling up daily Muster roll etc		

Filling up daily local measurement book	Timely submission (end of one week) of filled-in muster roll by mate
Filling up job card (weekly), and its verification	
Submitting muster roll and local measurement book to RS/PS	
Verifying the muster roll and the daily measurement book	

4. Fund Flows

I. For the purpose of implementing the CFT Project,

a) A sum of Rs 9.33 Lakhs per CFT has been sanctioned for each of the years 2015-16 and 2016-17 (*1st November 2015 to 31st October 2016, and 1st November 2016 to 31st October 2017*) as per the budget breakup given in Annexure 1.

II. The State Government shall release the funds for each CFT/year, in three installments to Partner:

a) 1st Installment (50% of ICFT) of Rs. 4.66 Lakhs -Within 4-weeks of signing of the MoU.

b) 2nd Installment (40% of ICFT) of Rs. 3.74 Lakhs-Within 5 month of first release date.

The second installment release shall be under following conditions:

1. Utilization of 60% of the last installment
2. Submission of Utilization Certificate of the last installment in the format given by JSLPS
3. Satisfactory Physical Progress of work in the last Project Review.

c) 3rd Installment (remaining 10% of ICFT) of Rs.-0.933 Lakhs-In the last month of the Project Period.

The third installment release shall be under following conditions:

1. Utilization of 85% of the cumulative previous instalment
2. Submission of Utilization Certificate of the last instalment in the format given by JSLPS .
3. Satisfactory Physical Progress of work in the last Project Review

III. At the time of release of funds, the Partner shall furnish the following documents to the State Government

1. Utilization Certificate
2. Audited Financial Statements at the end of each Financial Year
3. Quarterly Reports on work Progress.

IV. The Funds released for the project to the CSO will be maintained in a separate Bank Account.

V. No funds released for the project would be kept in Fixed Deposit and shall not to procure Fixed Asset (beyond 5% of per CFT cost, if required). The interest accrued on the deposited amount in the Bank would be used only for the purposes of the Project. The fund shall be utilized for the purpose for which it has been sanctioned and shall not be diverted for any other use.

5. Transparency Framework

I. All information listed under Section 4 (1) (a) of the Right to Information Act to be disclosed by the CSO and the Nodal Government Department implementing the CFT Project, pertaining and limited to only to aspects of this partnership project.

II. It shall be ensured by the Block and District Administration that there is pro-active disclosure of the following information related to works:

- List of works taken up by the GP and Line Departments

QR

- List and quantities of materials used in works
- Rates at which material was procured
- Labour expenditure incurred
- Break up of administrative costs of the GP for the FY etc at the Panchayat Bhawan through notice boards and wall paintings

III. It shall be ensured by the Block and District Administration that there is pro-active disclosure of the following information relating to job card holders:

- List of job card holders
- Number of days of work provided in the FY to each job card holder
- Wage payments made to every Job Card holder in a year through wall paintings at the village level through wall paintings

IV. It shall be ensured that the Partners shall facilitate the Gram Panchayat that there are pro-active disclosure of shelf of works approved for roll out under MGNREGA and its order of roll out at the Panchayat Bhawan through wall paintings.

6. Duration of Partnership

The duration of this partnership is for two years. The project period will be from 1st November 2015 to 31st October 2017 – a period of two years. Based on the experience and learning of the first year, the action plan for the next two years will be made.

7. Reporting and Review Mechanisms

I. The Partner must facilitate the Panchayat/Block MGNREGS Machinery for updating the CFT Data Entry Module as per norms prescribed by the MoRD.

II. There shall be a State Coordination Committee consisting of the following members to review the functioning of the CFT Project

- a) Principal Secretary, RDD, GoJ
- b) Mission Director, SRLM
- c) Designated Representatives, CSOs
- d) MGNREGA-Commissioner
- e) Director, Panchayati Raj
- f) Eminent Personalities from technical institutions, social organisation and others
- g) Representative from NREGA-Watch
- h) Representatives from State Advisory Group

The State Coordination Committee shall meet once in 3 months to review the status of performance of the CFT Project. The decisions taken by the State Coordination Committee shall be binding on the operation of the project

III. There shall be a District Coordination Committee consisting of the following members to review the functioning of the CFT Project

- a) District Programme Coordinator – DC
- b) DDC
- c) District Programme Manager, SRLM - Convener
- d) Designated Representatives, CSOs
- e) Zilla Parishad, Chairperson
- f) Representative from CBO (SHG Federation)
- g) Representative from Gram Panchayat

The District Coordination Committee shall meet monthly to review the status of performance of the CFT Project in the concerned District and redress grievances faced by either of the parties in the roll out.

IV. There shall be a Block Level Coordination Committee, consists of BDO, BPO, Designated Representatives of CSOs , Representative from CBO (SHG Federation), Representative from Gram Panchayat. This committee will be chaired by BDO.

BCC shall meet monthly to review the status of performance of the CFT Project in the block and shall redress grievances faced by either of the parties in the roll out.

V. The CSO shall submit progress reports of the project, as and when requested by the Rural Development Department.

27

8. Force Majeure

In the purpose of this agreement, "force majeure" means an event which is beyond the reasonable control of either party, and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.

The failure of either party, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this Agreement in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this Agreement.

In the event of a force majeure, the RDD and the CSO shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

9. Termination

This agreement can be terminated by any of the parties with a written notice of 30 days showing adequate reason. There will be a mid-term assessment of the project and quarterly reviews. This MOU will be extended for the third year automatically subject to satisfactory performance in the mid term review at the end of second year.

10. Disputes and Arbitration

Any dispute between the signing parties on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of the project, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Principal Secretary, Rural development of the State will act as the Arbitrator.

- a. In case of any disagreement and disputes between the parties attempt shall be made to resolve the disputes through consultations between the parties.
- b. The decision regarding breach of any clause under this agreement by the second party shall be discussed and arrived at after mutual consent and in case any breach has been committed by the second party of any of the terms and conditions of this agreement/ sanction letter/guidelines, such decision taken by the first party shall be conclusive, final and binding on the third party and they shall not question the same in any court, tribunal, etc.
- c. Any disputes arising of this agreement which cannot be amicable settled shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Indian arbitration & conciliation Act 1996.
- d. The notice required to be given under this agreement shall be served on the party at their respective address given below by hand delivery or by registered post

Authorized Signatory for
Secretary, Rural Department Deptt,
Jharkhand

Authorized Signatory for

.....
**Signed seal with Place, Date
and delivered** within the Rural Department,
within Jharkhand, by the hand of its
duly authorized representative.

.....
**Signed seal with Place, Date
and delivered** within“(Abbreviated name
of PIA), by the hand of its duly authorized
Representative.

In the presence of following witnesses:

- 1.
- 2.

In the presence of following witnesses:

- 1.
- 2.

14. Note: MOU should be signed in witness where off the parties hereto have caused this agreement and a triplicate

thereof on their respective behalf by their duly authorized officials on the date and place herein above mentioned.

11. Abbreviations:

CFT	Cluster Facilitation Team
NRLM	National Rural Livelihood Mission
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
MoRD	Ministry of Rural Development
SRLM	State Rural Livelihood Mission
JSLPS	Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS)
GP	Gram Panchayat
CBO	Community Block Organisation
CSO	Civil Society Organisation
SHG	Self Help Group
RnE	Rights and Entitlements
BPO	Block Program Officer
BDO	Block Development Officer
GRS	Gram Rozgar Sevak
MoU	Memorandum of Understanding
HS/GS	Hamlet Sabha/ Gram Sabha
JE/TA	Jr. Engineer/ Tech Assistant
PRI	Panchayati Raj Institutions
eFMS	Electronic Fund Mgmt System
MIS	Mgmt Information System
INRM	Integrated Natural Resource Mgmt
GO	Government Order
SoR	Schedule of Rate
TBA	To Be Announced
VO	Village Organisation
IPPE	Intensive Participatory Planning Exercise

Enclosed: 1. Budget breakup of each block